

96th

Annual Report 2017 - 18

नैनीताल बैंक
दि नैनीताल बैंक लि०



NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

**Inauguration of New Premises at Delhi Region office &
Naini Business Centre at Noida - 62 on 24/10/2017**



Sh. Mukesh Sharma, Chairman & CEO (In Office)



निदेशक मंडल
Board of Directors



Sh. Mukesh Sharma
Chairman & CEO



Sh. Rakesh Kumar Bhatia



Sh. S. S. Ghag



Sh. K. Venkateswarlu



Dr. (Mrs.) K. K. Sharma



CA Mradul Kumar Agarwal

Vice Presidents



Sh. A. K. Singh
Chief Financial Officer &
Chief Operating Officer



Sh. D K Kandpal



Sh. Narendra Sharma



Sh. Ravindra Saxena



Sh. Sanjay Lal Sah

Associate Vice Presidents



Sh. Girish Pant



Sh. Raman Kumar Gupta



Sh. B. C. Chandola



Sh. Amar Singh



Sh. U. C. Ruwali



Sh. V. K. Mehrotra



Sh. Bhuvnesh Saxena



Sh. H. C. Pant



Sh. D. K. Lal



Sh. B. K. Joshi



Sh. B. B. Pandey



Sh. R. K. Shah



Sh. M. M. Aggarwal



Sh. H. S. Nagarkoti



Sh. A. K. Karnatak



Mrs. Renu Pathak



Sh. C. S. Kandpal



Sh. T. D. Tripathi



Sh. V. K. Joshi



Sh. S. P. Singh



Sh. S. K. Chhabra



Mrs. Lata Acharya



Sh. S. C. Shukla



Sh. D. S. Bisht



Sh. Y. C. Sharma



Sh. Raj K. Gupta

Performance Highlights 2017-18

- Total Business of the Bank increased from ₹ 10,132.80 crore as on 31st March, 2017 to ₹ 10,772.09 crore as on 31st March, 2018 showing annualized growth of 6.31%.
- Total Deposits increased to ₹ 7,331.87 crore against ₹ 6,852.79 crore last year, registered growth of 6.99%.
- Gross Advances registered a growth of 4.88% over previous year to reach at ₹ 3,440.22 crore against ₹ 3,280.01 crore last year.
- Share of CASA to Total Deposits stood at 33.36% in comparison to last year's 33.82%.
- C. D. Ratio of the Bank stood at 46.92% in comparison to last year's 47.86%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 601.79 crore as on March 31st, 2018 as against ₹ 589.46 crore last year.
- Cost of Deposits decreased to 5.96% as on March 31st, 2018 as against 6.29% last year.
- Yield on Advances stood at 10.45% in comparison to last year's 11.41%.
- Priority Sector Lending stood at 54.59% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the bank stood at ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018 against ₹ 109.78 crore as on 31st March, 2017, registering a decline of 11.02%.
- Net Profit of the bank increased to ₹ 48.89 crore as on 31st March, 2018, against ₹ 48.46 crore as on 31st March, 2017.
- Capital Adequacy Ratio stood at 15.30% as per Basel-II and 14.95 % as per Basel-III norms as compared to last year's 13.02% as per Basel-II and 12.78% as per Basel-III norms.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 4.87% as on March 31st, 2018 as against 5.01% last year.
- Net NPA to Net Advances was reduced to 1.14% in comparison to last year's 1.25 %.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.67% in comparison to last year's 2.80%.
- Average Return on Assets stood at 0.63% in comparison to last year's 0.73%.
- Business per Employee stood at ₹ 11.70 crore in comparison to last year's ₹ 12.71 Crore and profit per employee stood at ₹ 0.06 crore in comparison to last year's ₹ 0.07 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 77.65 as on March 31st, 2018 as against ₹ 73.51 last year.
- Earnings per Share (EPS) decreased to ₹ 6.31 as on March 31st, 2018 as against ₹ 7.17 last year.

विषय-सूची CONTENTS

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	1	Report of the Board of Directors
बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण	47	Basel-III Pillar-3 Disclosures
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	76	Balance Sheet as on 31st March 2018
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता	77	Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2018
तुलन-पत्र की अनुसूचियां	78	Schedules to Balance Sheet
खातों पर टिप्पणियां	88	Notes on Accounts
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण	115	Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2018
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	116	Independent Auditors' Report
हमारी शाखायें	123	Our Branch Network

निदेशक मंडल की 96^{वीं} रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षित तुलना पत्र, लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 96^{वीं} रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेतक:

- 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2017 के स्तर ₹ 10,132.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,772.09 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2018 को 6.31% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- कुल जमा राशि पिछले वर्ष के स्तर ₹ 6852.79 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ₹ 7331.87 करोड़ हो गई, इस प्रकार 6.99% की वृद्धि दर्ज हुई।
- सकल अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 4.88% की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष के अग्रिमों, ₹ 3,280.01 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ₹ 3440.22 करोड़ हो गये।
- कुल जमाओं में कम लागत वाली (कासा) जमाओं का प्रतिशत 33.36% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 33.82% था।
- बैंक का ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के स्तर 47.86% की तुलना में 46.92% रहा।
- बैंक की शुद्ध स्वाधिकृत निधियां 31 मार्च 2018 को बढ़कर 601.79 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले वर्ष ये ₹ 589.46 करोड़ थीं।
- 31 मार्च, 2018 को जमाओं की लागत पिछले वर्ष 6.29% के मुकाबले कम होकर 5.96% हो गई।
- अग्रिम पर आय 10.45% रही जबकि पिछले वर्ष यह 11.41% थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 54.59% रहा।
- 31 मार्च, 2018 को बैंक का परिचालन लाभ ₹ 97.68 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 109.78 करोड़ था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 11.02% की गिरावट दर्ज हुई।
- 31 मार्च, 2018 को बैंक का शुद्ध लाभ बढ़कर ₹ 48.89 करोड़ हो गया जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 48.46 करोड़ था।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल-II के अनुसार 15.30% और बेसल-III मानदंडों के अनुसार 14.95% था जबकि पिछले वर्ष बेसल-II के अनुसार 13.02% और बेसल-III मानदंडों के अनुसार 12.78% था।
- 31 मार्च, 2018 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 4.87% था जबकि पिछले वर्ष यह 5.01% था।

96th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Shareholders,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 96th Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2017-18.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- Total Business of the Bank increased from ₹ 10,132.80 crore as on 31st March, 2017 to ₹ 10,772.09 crore as on 31st March, 2018 showing annualized growth of 6.31%.
- Total Deposits increased to ₹ 7331.87 crore against ₹ 6,852.79 crore last year, registered growth of 6.99%.
- Gross Advances registered a growth of 4.88% over previous year to reach at ₹ 3440.22 crore against ₹ 3,280.01 crore last year.
- Share of CASA to Total Deposits stood at 33.36% in comparison to last year's 33.82%.
- C. D. Ratio of the Bank stood at 46.92% in comparison to last year's 47.86%.
- Bank's Net owned Funds increased to ₹ 601.79 crore as on March 31st, 2018 as against ₹ 589.46 crore last year.
- Cost of Deposits decreased to 5.96 % as on March 31st, 2018 as against 6.29% last year.
- Yield on Advances stood at 10.45% in comparison to last year's 11.41%.
- Priority Sector Lending stood at 54.59% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the bank stood at ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018 against ₹ 109.78 crore as on 31st March, 2017, registering a decline of 11.02%.
- Net Profit of the bank increased to ₹ 48.89 crore as on 31st March, 2018, against ₹ 48.46 crore as on 31st March, 2017.
- Capital Adequacy Ratio stood at 15.30% as per Basel-II and 14.95 % as per Basel-III norms as compared to last year's 13.02% as per Basel-II and 12.78% as per Basel-III norms.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 4.87% as on March 31st, 2018 as against 5.01% last year.

- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के 1.25% की तुलना में कम होकर 1.14% रह गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष 2.80% की तुलना में 2.67% पर रहा।
- पिछले वर्ष के 0.73% की तुलना में परिसंपत्तियों पर औसत प्रतिफल 0.63% रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 12.71 करोड़ के मुकाबले ₹ 11.70 करोड़ रहा और प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वर्ष के 0.07 करोड़ रुपये की तुलना में 0.06 करोड़ रुपये रहा।
- 31 मार्च, 2018 को प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष 73.51 रुपये के मुकाबले बढ़कर ₹ 77.65 हो गया।
- 31 मार्च, 2018 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष ₹ 7.17 के मुकाबले कम होकर 6.31 रही।
- Net NPA to Net Advances stood at 1.14% in comparison to last year's 1.25 %.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.67% in comparison to last year's 2.80%.
- Average Return on Assets stood at 0.63% in comparison to last year's 0.73%.
- Business per Employee stood at ₹ 11.70 crore in comparison to last year's ₹ 12.71Crore and profit per employee Stood at ₹ 0.06 crore in comparison to last year's ₹ 0.07 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 77.65 as on March 31st, 2018 as against ₹ 73.51 last year.
- Earnings per Share (EPS) decreased to ₹ 6.31 as on March 31st, 2018 as against ₹ 7.17 last year.

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2017 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का वर्ष रहा है और इस दौरान यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत अधिक तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2018 भी सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से मजबूत वृद्धि वाला वर्ष साबित होगा और यह वृद्धि दर 3.2% तक पहुंचने की सम्भावना है। यह 2011 के बाद से उच्चतम स्तर होगा। व्यापार वृद्धि उत्साह जनक है और निवेश की स्थिति अंततः बेहतर हो रही है। ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से आनंदित होकर निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। गतिविधियाँ/सम्भावनाएँ प्रचुर मात्रा में हैं। विकास, व्यापक और मजबूत आधार पर टिका है और इसमें उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ भी शामिल हैं। यहां तक कि लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से ब्राजील, खुद को आर्थिक प्रतिक्रियाओं की लंबी अवधि से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।

वर्ष 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है, लेकिन यह 3.0% तक के मामूली स्तर तक ही रहेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अन्य उन्नत बाजारों को आगे बढ़ा रही है, इस वर्ष विकास की दर 2.8% तक बढ़ेगी लेकिन 2019 में 2.4% के स्तर पर सिकुड़ जायेगी। विकास की दृष्टि से अत्यंत मजबूत वर्ष के बाद, यूरोजोन अर्थव्यवस्था का अनुमान है कि इस वर्ष यह 2.2% की मजबूती तक पहुंच जायेगी जबकि वर्ष 2019 में यह विस्तार 1.9% तक सिमट जायेगा।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सुदृढ़ हो रही है। लैटिन अमेरिका 2018 में 2.0% और 2019 में 2.9% की वृद्धि दर के साथ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था रहने की सम्भावना है। एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत विकास वाली अर्थव्यवस्था बने रहने की सम्भावना है, लेकिन चीन में धीरे-धीरे पसरती मंदी क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित होने का अनुमान है, इसके बावजूद 2018 में भी सम्मान जनक 5.8% और 2019 में 5.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान है।

वैश्विक उछाल ने दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिये एक उम्मीद की किरण जगायी है। 2017 में उन्नत बाजारों में कॉर्पोरेट विफलताओं में 4% की गिरावट के बाद, इस वर्ष 3% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। प्रमुख उभरते बाजारों में भी दिवालियापन अब कमजोर प्रवृत्ति पर है।

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO

The year 2017 marked a year of acceleration in GDP growth, which grew 0.6 percentage points faster than the year before. 2018 promises to be another year of strong growth, with GDP growth pushing up to 3.2%. That would be the highest level since 2011. Trade growth is buoyant and investments are finally recovering. Energy and commodity prices rejoice in an upswing, supporting investments. Activity abounds. Growth, moreover, is broad-based and includes advanced as well as emerging economies. Even Latin America, notably Brazil, is dragging itself out of a long period of economic backlash.

Global GDP growth is expected to remain strong in 2019 but moderate slightly to 3.0%. The US economy is outpacing other advanced markets, with growth set to expand 2.8% this year before easing to 2.4% in 2019. After a very strong year, the eurozone economy is forecast to expand a solid 2.2% this year before easing further to 1.8% in 2019.

GDP growth across emerging market economies as a whole is picking up strongly. Latin America is set to see the strongest acceleration, to 2.0% in 2018 and 2.9% in 2019. Emerging Asia will continue to enjoy the strongest growth, but a gradual slowdown in China is forecast to increasingly drag on regional growth, bringing it down to the still respectable 5.8% in 2018 and 5.5% in 2019.

The global upswing has translated in further improvements in the insolvency environment. After a 4% decline in corporate failures across advanced markets in 2017, Atradius forecasts a further 3% decline this year. Insolvencies are also on a downward trend in key emerging markets.

वर्ष 2019 में वैश्विक विकास और बढ़ने का पूर्वानुमान

2017 में अनुभूत मजबूत चाल 2018 एवं 2019 में भी जारी रहने की आशा है वैश्विक विकास की दर दोनों वर्षों के लिए 3.9 प्रतिशत तक संशोधित की गई है (जो कि गिरावट के समय के पूर्वानुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक है)।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थ व्यवस्था के रूप में उभरा है और अगले 10-15 वर्षों में इसके अपने मजबूत लोकतंत्र और भागीदारियों के बल पर दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की उम्मीद है। 2017-18 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है और 2018-19 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के अनुसार सितंबर-दिसंबर 2017 तिमाही में स्थिर कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा। जेएम फाइनेंशियल के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट आय वित्त वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय में सुधार के बल पर 15-20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च, 2018 को समाप्त सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 422.53 अरब अमेरिकी डॉलर था।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और सुनियंत्रित एवं विनियमित है। देश में वित्तीय और आर्थिक स्थितियां दुनिया के किसी अन्य देश से कहीं बेहतर हैं। क्रेडिट, बाजार और तरलता जोखिम अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय बैंक आम तौर पर लचीले होते हैं और वैश्विक मंदी की स्थितियों में भी परस्थितियों के अनुरूप खरे उतरे हैं।

भारतीय बैंकिंग उद्योग में हाल ही में भुगतान और छोटे वित्त बैंकों जैसी अभिनव बैंकिंग मॉडल परिकल्पना ने साकार रूप लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए उपाय घरेलू बैंकिंग उद्योग के पुनर्गठन में मदद करने में बेहतर साबित हो सकते हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली 25 देशों में सबसे अधिक विकसित हुई है और भारत की तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) तेजी से भुगतान नवाचार सूचकांक (एफपीआईआई) में स्तर 5 पर एकमात्र प्रणाली है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रण करते हैं, फल स्वरूप उनके समकक्ष निजी बैंकों के लिए तुलनात्मक रूप से कम हिस्सा रह जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करके अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अशोध्य ऋणों के बोझ से दबे होने के कारण, बैंकिंग क्षेत्र विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन असंतोष जनक रहा है। लेकिन बैंकों द्वारा लगन से वसूली तथा तनावग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान हेतु किये गये ठोस प्रयासों, ऋण मांग

GLOBAL GROWTH FORECAST TO RISE FURTHER IN 2019

The stronger momentum experienced in 2017 is expected to carry into 2018 and 2019, with global growth revised upto 3.9% for both years (0.2 percentage point higher in comparison to the fall forecast).

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the Central Statistics Organization (CSO) and International Monetary Fund (IMF) and it is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships. India's GDP is estimated to have increased 6.7 per cent in 2017-18 and is expected to grow 7.4 per cent in 2018-19.

India's gross domestic product (GDP) at constant prices grew by 7.2 per cent in September-December 2017 quarter as per the Central Statistics Organization (CSO). Corporate earnings in India are expected to grow by 15-20 per cent in FY 2018-19 supported by recovery in capital expenditure, according to JM Financial.

India's foreign exchange reserves were US\$ 422.53 billion in the week up to March 23, 2018, according to data from the RBI.

INDIAN BANKING SCENARIO

As per the Reserve Bank of India (RBI), India's banking sector is sufficiently capitalized and well-regulated. The financial and economic conditions in the country are far superior to any other country in the world. Credit, market and liquidity risk studies suggest that Indian banks are generally resilient and have withstood the global downturn well.

Indian banking industry has recently witnessed the roll out of innovative banking models like payments and small finance banks. RBI's new measures may go a long way in helping the restructuring of the domestic banking industry.

The digital payments system in India has evolved the most among 25 countries with India's Immediate Payment Service (IMPS) being the only system at level 5 in the Faster Payments Innovation Index (FPII).

Public-sector banks control more than 70 per cent of the banking system assets, thereby leaving a comparatively smaller share for its private peers. Banks are also encouraging their customers to manage their finances using mobile phones.

Weighed down by a pool of bad loans, performance of the banking sector, especially of public sector banks, has remained subdued in the current financial year, according to the Economic Survey. But, the situation is likely to improve with banks diligently

में विशेषतः उद्योगों की ओर से मांग बढ़ने के फलस्वरूप स्थितियों में पर्याप्त सुधार की उम्मीद है।

सेक्टर फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इनक्लूजन (सीडीएफआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में असंगठित खुदरा क्षेत्र में भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं हैं, क्योंकि 63 प्रतिशत खुदरा विक्रेता मोबाइल और कार्ड भुगतान जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं के उपयोग में रुचि रखते हैं।

आईसीआरए (ICRA) का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट की वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत रहेगी।

बैंक का कार्य निष्पादन

उपरोक्त परिदृश्य में विभिन्न मानकों पर बैंक का कार्य निष्पादन निम्नलिखित अनुसार था –

वित्तीय उपलब्धियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.18 की स्थिति के अनुसार	31.03.17 की स्थिति के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	617.29	559.65
	क. अग्रिमों से ब्याज के रूप में आय	343.86	313.19
	ख. निवेशों से ब्याज के रूप में आय	135.46	115.57
	ग. अन्य	137.97	130.89
2.	गैर ब्याज आय	35.47	52.44
	कुल आय-क (1+2)	652.76	612.09
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	411.41	374.48
	क. जमा पर दिया गया ब्याज	409.55	367.62
	ख. अन्य ब्याज व्यय	1.86	6.86
4.	स्टाफ लागत	89.87	82.13
5.	अन्य परिचालन लागत	53.81	45.70
	कुल खर्च-ख (3+4+5)	555.09	502.31
	परिचालन लाभ (क-ख)	97.68	109.78
	प्रावधान और आकस्मिकताएं-ग	48.79	61.32
	शुद्ध लाभ (क-ख-ग)	48.89	48.46

following on recoveries and stressed asset resolution. Early signs of a pick-up in credit demand, especially from industry, also give room to expect a change in the state of affairs.

The unorganized retail sector in India has huge untapped potential for adopting digital mode of payments, as 63 per cent of the retailers are interested in using digital payments like mobile and card payments, as per a report by Centre for Digital Financial Inclusion (CDFI).

ICRA estimates that credit growth in India's banking sector would be at 7-8 per cent in FY 2017-18.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ in Cr.)

S. No.	Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
1.	Total Interest Income	617.29	559.65
	(a) Interest Income from Advances	343.86	313.19
	(b) Interest Income from Investments	135.46	115.57
	(c) Others	137.97	130.89
2.	Non Interest Income	35.47	52.44
	TOTAL INCOME – A (1+2)	652.76	612.09
3.	Total Interest Expended	411.41	374.48
	(a) Interest Expended on Deposits	409.55	367.62
	(b) Other Interest Expenses	1.86	6.86
4.	Staff Cost	89.87	82.13
5.	Other Operating Costs	53.81	45.70
	Total Expenses – B (3+4+5)	555.09	502.31
	Operating Profit (A-B)	97.68	109.78
	Provision & Contingencies – C	48.79	61.32
	Net Profit (A-B-C)	48.89	48.46

वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.18 की स्थिति के अनुसार	31.03.17 की स्थिति के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	5.96	6.29
2.	अग्रिमों से औसत आय (%)	10.45	11.41
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.67	2.80
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति (%)	0.63	0.73
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.16	1.24
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	1.27	1.66
7.	प्रति शेयर आय (रु० में)	6.31	7.17
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (रु० में)	77.65	73.51

पूंजी पर्याप्तता

बेसल-II के मानकों के अंतर्गत बैंक की पूंजी पर्याप्तता जो विगत वर्ष 13.02% थी, इस वर्ष 15.30% रही। 31.03.2018 को सकल पूंजी पर्याप्तता में टीयर-I पूंजी 14.67% थी और टीयर-II पूंजी 0.63% रही।

बेसल-III के मानकों के अंतर्गत 31.03.2018 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता 14.95% थी, जिसमें से टीयर I पूंजी 14.51% थी और टीयर II पूंजी 0.44% रही।

जमा संग्रहण

बैंक की जमा राशियां जो 31.03.2017 को ₹ 6,853 करोड़ थीं, 31.03.2018 को 6.99% की वृद्धि दर के साथ बढ़कर ₹ 7,332 करोड़ हो गईं। 31.03.2018 को कुल जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियां 33.36 प्रतिशत रहीं जबकि विगत वर्ष ये 33.82 प्रतिशत थीं। 31 मार्च 2018 को जमा राशियों की लागत दर पिछले वर्ष की लागत दर 6.29% की तुलना में घट कर 5.96% हो गई।

कुल जमा राशियों / TOTAL DEPOSITS



FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
1.	Average Cost of Deposits (%)	5.96	6.29
2.	Average Yield on Advances (%)	10.45	11.41
3.	Net Interest Margin (%)	2.67	2.80
4.	Average Return on Assets (%)	0.63	0.73
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	1.16	1.24
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.27	1.66
7.	EPS (in ₹)	6.31	7.17
8.	Book Value per share (in ₹)	77.65	73.51



CAPITAL ADEQUACY

Bank's Capital Adequacy under Basel-II norms stood 15.30% against 13.02% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier-I capital was 14.67% and Tier-II was 0.63% as on 31.03.2018.

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 14.95% out of which, Tier I Capital was 14.51% & Tier II was 0.44% as on 31.03.2018.

DEPOSIT MOBILISATION


Deposits of the Bank stood at ₹ 7,332 crore as on 31.03.2018 in comparison to ₹ 6,853 crore as on 31.03.2017 showing acceleration of 6.99%. The Share of low cost deposit was 33.36% as on 31.03.2018 as against 33.82% in previous year. Cost of Deposits decreased to 5.96% as on March 31st, 2018 as against 6.29% last year.

जमा राशियों का सममिश्रण / Deposit Mix
31 मार्च 2018 को / Deposit Mix as on 31st March 2018
31 मार्च 2017 को / Deposit Mix as on 31st March 2017

कम लागत वाली जमा राशियों / CASA (Low Cost Deposits)

अग्रिम विनियोजन

31.03.2018 को बैंक का सकल ऋण बढ़कर ₹ 3440.22 करोड़ हो गया जबकि 31.03.2017 को यह ₹ 3280.01 करोड़ था। इस प्रकार इनमें विगत वर्ष की तुलना में 4.88% की वृद्धि हुई।

CREDIT DEPLOYMENT


The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 3,440.22 crore as on 31.03.2018 from ₹ 3280.01 crore on 31.03.2017, showing a rise of 4.88% over previous year.

सकल अग्रिम / Gross Advances


प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2018 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम ₹ 1,815 करोड़ रहा जबकि 31.03.2017 को यह ₹ 1,556 करोड़ था, जो कि बैंक के समायोजित शुद्ध ऋण का 54.84 प्रतिशत रहा।

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI of 40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 1,815 Crore as on 31.03.2018 against ₹ 1,556 Crore as on 31.03.2017 representing 54.84% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण / Priority Sector Advances



बैंक के खुदरा ऋण जो 31.03.2017 को ₹ 705 करोड़ थे, 31 मार्च, 2018 को 27.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 896 करोड़ हो गये।

अग्रिमों से औसत प्राप्ति, जो विगत वर्ष 11.41 प्रतिशत थी, 31.03.2018 को कम हो कर 10.45 प्रतिशत रह गई।

नये प्रयास एवं प्रौद्योगिकी समावेश

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना पहल

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस पटल पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधाएं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी आईएमपीएस (एसएमएस चैनल पर मोबाइल बैंकिंग) और नेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को रुपये डेबिट कार्ड और एसएमएस बैंकिंग उपलब्ध करा रहा है। ग्राहकों को (ईएमवी) चिप आधारित डेबिट कार्ड जारी किये गए हैं।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी युक्त कार्ययोजना तैयार की है जिसमें व्यावसायिक वृद्धि और मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को उन्नत करने/बेहतर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र, जिन पर जोर देना है, चिन्हित किये हैं ताकि नैनीताल बैंक लि. को डिजिटल बैंक बनाया जा सके;

- परिपत्र प्रबंधन मॉड्यूल के लिए व्यवस्था करना
- यूपीआई का क्रियान्वयन (जारीकर्ता जैसे- भीम, अधिग्रहीता जैसे व्हाइट लेवल पी.एस.पी.)
- ई-केवाईसी का क्रियान्वयन
- आईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) का क्रियान्वयन

Retail Advances of the Bank stood at ₹ 896 crore as on March 31st, 2018 against ₹ 705 crore as on 31st March, 2017, registering an acceleration of 27.09%.

The Yield on Advances decreased to 10.45% as on 31.03.2018 against 11.41% as on 31.03.2017.

NEW INITIATIVES AND TECHNOLOGY ABSORPTION

(A) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AND IT INITIATIVES

Extensive use of information technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go in for computerization and make maximum use of technology available. Bank's all branches are functioning on CBS platform and facilitating customers by providing electronic payment facilities like RTGS, NEFT, IMPS (mobile banking on SMS channel) and NET BANKING. Bank is issuing Rupay Debit Cards and also providing SMS banking facility to its customers. EMV chip based debit cards are being issued to the Bank's customers.

Bank has prepared IT Strategy Plan wherein following major thrust areas are identified for achieving business growth and to upgrade/ enhance the existing IT platform so as to make The Nainital Bank Limited a Digital Bank

- Implementation of Circular Management Module
- Implementation of UPI-(Issuer like-BHIM; acquirer like-White Label PSP)
- Implementation of E-KYC
- Implementation of AEPS (Aadhaar Enabled Payment System)

- एमएसएमई ऋण के लिए क्रेडिट प्रस्ताव ट्रैकिंग सिस्टम (सीपीटीएस) का क्रियान्वयन
- बैंक अपने सी.बी.एस.-सॉफ्टवेयर को वर्तमान वीबी (VB) टेक्नोलॉजी से एसपी.नेट संस्करण में विस्थापित करने की प्रक्रिया में है ताकि बढ़ती हुई व्यावसायिक जटिलताओं के कारण नई व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

(ख) विकासात्मक कार्य

अपने ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयासों के अन्तर्गत बैंक ने निम्नलिखित सेवायें प्रारम्भ की:-

- बैंक की अपनी शाखाओं में 23 (On site) व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना।
- एक ऑफ साइट लोकेशन पर व्हाइट लेबल एटीएम का प्रविस्तारण।
- बैंक की चुनिंदा शाखाओं में आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना।
- यूआईडीआई (UIDAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ग्राहकों का आधार प्रमाणीकरण प्रारम्भ किया।
- प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में सी टी एस (CTS) का सफल क्रियान्वयन।
- भारत सरकार की एक पहल केन्द्रीय KYC का सफल क्रियान्वयन।
- व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पीओएस (POS) टर्मिनलों की स्थापना का सफल क्रियान्वयन।
- वित्तीय समायोजन योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा उत्तराखण्ड में आबंटित 10 डार्क एरिया आउटलेट में बैंकिंग मित्रों द्वारा सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु 10 उप सेवा क्षेत्रों में सौर वी सैट की स्थापना एवं उपयोग।
- प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों का उपयोग कर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बनाते हुए बैंक की, अपने समस्त कार्यक्षेत्र में पैठ बनाने के लिये वित्तीय समावेशन समाधान
- सूचना सुरक्षा; इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम और साइबर धोखाधड़ी पर गोपालकृष्ण समिति की सिफारिशें लागू करने और कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है। बोर्ड की आईटी रणनीति समिति; आईटी संचालन समिति; सूचना सुरक्षा समिति; मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न दिशानिर्देशों और शर्तों को शामिल करने वाली संशोधित सूचना सुरक्षा नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है और यह अपना कार्य कर रही है। गोपालकृष्ण समिति की सिफारिशें लागू करने और कार्यान्वित करने संबंधी प्रगति स्थिति की समीक्षा तिमाही आधार पर बोर्ड और निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति द्वारा की जाती है। बैंक ने साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना भी तैयार की है। यह नीति साइबर खतरों से जोखिम और इन जोखिमों से निपटने/जोखिम कम करने के उपायों पर प्रकाश डालती है।
- सूचना सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन-जैसा कि बैंक मौजूदा बैंकिंग परिवेश में पेश आने वाली वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए परिष्कृत तकनीकों को अपनाते हैं, ऐसे में उनके समक्ष प्रौद्योगिकी जोखिम भी तेजी से उजागर हो रहे हैं। इसलिये प्रत्येक

- Implementation of Credit Proposal Tracking System (CPTS) for MSME Loans

- Bank is in process of migrating Fincraft CBS software from the existing VB Technology to ASP.NET version to cope up with the new business requirement because of increasing business complexity.

(B) DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort, the Bank has introduced:

- Deployment of White Label ATMs at 23 on-site Bank's Branches.
- Deployment of White Label ATM at 1 off-site location.
- Setting up of Aadhaar Enrolment Centers at selected Bank's Branches.
- As per UIDAI notification, Aadhaar authentication of Bank's customers started.
- Successful implementation of CTS as a Direct Member.
- Successful implementation of Central KYC, an initiative of Govt. of India.
- Successful implementation of installation of POS Terminals at merchant establishments.
- Installation and commissioning of Solar VSAT at 10 Sub Service Areas (SSAs) for extending Banking Services through BCs under Financial Inclusion Plan at 10 dark area outlets allotted by SLBC in Uttarakhand.
- Financial Inclusion Solution to enable the Bank to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- Gopalakrishna Committee Recommendations on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk and Cyber Frauds as applicable to the Bank have been taken up for enforcement and implementation. IT Strategy Committee of the Board, IT Steering Committee, Information Security Committee, Chief Information Officer (CIO), Chief Information Security Officer (CISO) are in place. Revamped Information Security policy incorporating the various guidelines and stipulations mentioned in the report has been approved by Board and is in place. The progress of implementation of GKC recommendations are reviewed by IT Strategy Committee of the Board and Board of Directors on quarterly basis. The Bank has also formulated Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan. The policy highlighted the risks from cyber threats and the measures to address/mitigate these risks.
- Information Security and Risk Management- As banks adopt sophisticated technology to face challenges in the emerging realities of banking; they are increasingly exposed to technology risk. It is therefore imperative for each bank

बैंक के लिए अपनी आईटी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अपनी सबसे महत्वपूर्ण सूचना संपत्ति को सुरक्षित करना अनिवार्य है और यह भी सुनिश्चित करना है कि संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया एवं वर्तमान और भविष्य दोनों बैंकिंग गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए निरंतर आधार पर मजबूत हों। बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति ने इन पहलुओं को पहले से ही ध्यान में रखा है। इसके अलावा, बैंक आईटी कार्यों की सूचना सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक एसओसी (सुरक्षा संचालन केंद्र) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

to work out appropriate IT risk management strategies to secure its most vital information asset and ensure that related risk management systems and processes are strengthened on continual basis to secure both present and future banking activities. Bank's Information Security Policy and Information Technology Policy have already taken these aspects into consideration. Further, the Bank is in process of implementation of a SOC (Security Operation Centre) for strengthening Information Security of banking IT functions.

आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन

गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से निपटने और वसूली के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक के पास एक सक्रिय एवं प्रभावशाली दृष्टिकोण है। बैंक की आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

आस्ति वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.18 की स्थिति के अनुसार		31.03.17 की स्थिति के अनुसार	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	3272.74	95.13%	3,115.74	94.99%
अवमानक	43.13	1.25%	76.09	2.32%
संदिग्ध	114.34	3.32%	67.14	2.05%
हानिकर आस्ति	9.99	0.29%	21.04	0.64%
सकल अग्रिम	3440.22	100.00%	3,280.01	100.00%

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:


ASSET CLASSIFICATION

(₹ in Cr.)

	As on 31.03.2018		As on 31.03.2017	
	Amount	%	Amount	%
Standard	3272.74	95.13%	3,115.74	94.99%
Sub-Standard	43.13	1.25%	76.09	2.32%
Doubtful	114.34	3.32%	67.14	2.05%
Loss assets	9.99	0.29%	21.04	0.64%
Gross Advances	3440.22	100.00%	3,280.01	100.00%


आस्तियों का वर्गीकरण / Assets Classification

31 मार्च 2018 को / 31st March, 2018



बैंक का सकल एनपीए 31.03.2017 के स्तर ₹ 164.27 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2018 को ₹ 167.48 करोड़ हो गया। हालांकि, प्रतिशत की दृष्टि से यह मार्च 2017 के स्तर 5.01% से कम होकर मार्च, 2018 में 4.87% हो गया। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ-साथ हाल ही में जुड़े नए एनपीए खातों में वसूली करने और उन्हें अपग्रेड करने के लिये निरंतर प्रयास रत है। शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का स्तर 1.14% था।

31 मार्च 2017 को / 31st March, 2017



Gross NPA of the Bank increased to ₹ 167.48 crore as on 31.03.2018 from ₹ 164.27 crore as on 31.03.2017. However, in percentage terms it decreased from 5.01% in March, 2017 to 4.87% in March 2018. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year. Net NPA to Net Advances stood at 1.14% level.

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के कुल निवेश जो 31.03.2017 को ₹ 2104.48 करोड़ थे, 31.03.2018 को ₹ 1704.76 करोड़ हैं। कुल निवेश में से 43.30% प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में “बाजार (क्रय-विक्रय) हेतु” “चिह्नित” किया गया है और शेष 56.70% को परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निवेशों में लेन-देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्य ह्रास से संविभाग को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2017 के स्तर रु 109.78 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2018 को कम होकर ₹ 97.68 करोड़ हो गया, इस प्रकार 11.02% की गिरावट दर्ज हुई। अनुमानित देनदारियों के लिए सभी प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2018 को बैंक का शुद्ध लाभ रु 48.89 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च 2017 को यह ₹ 48.46 करोड़ था, जो 0.89% की वृद्धि दर्शाता है। 31.03.2018 को प्रति शाखा कारोबार बढ़कर रु. 78.63 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष 31.03.2017 को यह ₹ 75.62 करोड़ था। घाटा देने वाली उन 12 शाखाओं में से जो 31.03.2016 से पहले खोली गई थीं 04 शाखाएं लाभ देने वाली शाखाओं के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हालांकि 31.03.2018 को घाटा देने वाली शाखाओं की कुल संख्या 24 थी, जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 03 नई शाखाएं भी शामिल हैं।

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का निरीक्षण प्रभाग उचित लागत से बैंक के कार्य कलापों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण को बढ़ाने के कार्य कर रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए वर्ष के दौरान “जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा” प्रणाली को युक्तिसंगत रूप से अपनाया गया है। निरीक्षण प्रभाग निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति को भी और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहयोग देता है। बैंक ने निर्धारित व्यवसाय को समवर्ती लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक कार्यकलाप

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के इस माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य पूर्ववत् पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ₹ 1814.76 करोड़ का ऋण दिया गया जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 54.84 प्रतिशत है, जबकि कृषि ऋण ₹ 752.90 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 22.75 प्रतिशत है जबकि इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 18 प्रतिशत है।

INVESTMENT OPERATIONS

Total Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1704.76 crore as on 31.03.2018 against ₹ 2104.48 crore on 31.03.2017. Out of total investments, 43.30% securities have been “marked to market” in “Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)” and rest 56.70% is classified under “Held to Maturity (HTM)” category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank decreased to ₹ 97.68 crore as on 31st March, 2018 against ₹ 109.78 crore as on 31st March, 2017 showing a decline of 11.02%. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 48.89 crore as on 31st March, 2018, against ₹ 48.46 crore as on 31st March, 2017, showing an increase of 0.89%. Business per branch increased to ₹ 78.63 crore as on 31.03.2018 in comparison to last year's ₹ 75.62 crore as on 31.03.2017. Out of 12 loss making branches opened before 31.03.2016, 04 branches turned into profitable. However the total number of loss making branches as on 31.03.2018 stood at 24 which include 03 new branches opened during the current financial year.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Inspection division of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The ‘Risk Based Internal Audit’ system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by Inspection Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority Sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹ 1,814.76 crore during the year and constituted 54.84% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹ 752.90 crore constituting 22.75% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

वित्तीय समावेशन योजना

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, हमारे बैंक ने पहले ही निदेशक मंडल की दिनांक 07.05.2010 को हुई बैठक में अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2016-19 के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

बैंक को मार्च 2019 तक 425 आउटलेट (गांव) को कवर करने के लिए 95 केन्द्रों में एजेंटों की तैनाती करना वित्तीय समावेशन योजना 2016-19 के तहत आवश्यक है। बैंक ने 31 मार्च 2018 तक 227 गांवों को शामिल करते हुए शाखाओं के विभिन्न उप सेवा क्षेत्रों में 57 बीसी एजेंटों को तैनात किया है। हमें आशा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बचे हुए 38 उप सेवा क्षेत्रों में बीसी एजेंटों को तैनात कर हम 258 गांवों को इसमें शामिल कर लेंगे।

अटल पेंशन योजना

यह योजना हमारे बैंक की सभी शाखाओं के सरकार के सामाजिक लाभ योजना को समर्थन के रूप में दिसम्बर, 2015 में प्रारम्भ की गयी। 31 मार्च, 2018 तक हमने 1795 लोगों को योजना में सूचीबद्ध कर लिया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

हमारा बैंक इन सभी योजनाओं में शामिल है और अब तक पीएमएसबीवाई के तहत 22,932 व्यक्तियों और पीएमजेबीवाई के तहत 8,736 व्यक्तियों को नामांकित कर चुका है और हमें आशा है कि शाखाएं 31 मार्च, 2018 के बाद इस संख्या में 20% की और उल्लेखनीय वृद्धि कर देगी।

शाखा नेटवर्क और विस्तार कार्यक्रम

बैंक उत्तर भारत भर में अपने नेटवर्क को विस्तार देते हुए शाखाओं की संख्या को 137 तक ले जाने में सफल रहा है और बैंक ने 23 ऑन-साइट शाखाओं पर व्हाइट लेबल एटीएम तथा 1 ऑफ-साइट लोकेशन पर व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित किया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 03 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फैला है। बैंक की वित्तीय वर्ष 2018-19 में 08 नई शाखाएं खोलने और 20 व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने की योजना है।

शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

क्षेत्रवार शाखाएँ			
क्र सं	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2018*	2017
1	महानगरीय	33	33
2	शहरी	35	35
3	अर्धशहरी	31	31
4	ग्रामीण	38	35
	कुल	137	134

FINANCIAL INCLUSION PLAN (FI)

In compliance to the directives of the Reserve Bank of India, as well as Government of India in this regard, our Bank has already initiated process for implementation of Financial Inclusion Plan, duly approved by the Board of Directors in its meeting held on 7th May 2010. Detailed FI Plan of the Bank for the period 2016-19 was submitted to Reserve Bank of India, as approved by the Board.

Bank is required to equip a total of 95 Centers with BC Agents covering 425 outlets (villages) by March 2019, under the FI Plan 2016-19. Bank has deployed 57 BCs at various Sub Services Areas of branches covering 227 villages as on 31 March, 2018. We expect that during the F.Y. 2018-19, we shall be able to provide B.C. Agents in all the remaining 38 Sub Service Areas covering 258 villages.

ATAL PENSION YOJNA (APY)

This scheme was launched in our bank in the month of December 2015 in all our branches to support government's social benefits scheme. Till 31st March, 2018 we have enrolled 1795 persons in this scheme.

PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJNA (PMSBY) & PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJNA (PMJJBY)


Our Bank has been participating in all these schemes and enrolled 22,932 persons under PMSBY and 8,736 persons under PMJJBY so far and we hope that branches will further add to the figure significantly by an increase of 20% over and above 31st March, 2018.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank had been successful in widening its network across North India with 137 branches, and successfully Deployed White Label ATMs at 23 on-site Bank's Branches and Deployed white Label ATM at 1 off-site location. The Bank has opened 03 new branches during the financial year 2017-18. The branch network now covers 05 States/Union Territories. The Bank plans to open 08 new Branches and deployment of 20 WLATMs in the financial year 2018-19.

AREA WISE POSITION OF BRANCHES

Area-wise Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2018*	2017
1	Metro	33	33
2	Urban	35	35
3	Semi-Urban	31	31
4	Rural	38	35
	Total	137	134

शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार, वर्ष की समाप्ति पर / Area-wise Spread of the Branches at the year ended on
31 मार्च 2018* को / 31st March 2018*
31 मार्च 2017 को / 31st March 2017


* जनगणना 2011 के अनुसार बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

* Area-wise classification of branches as per Census 2011


वर्तमान में बैंक की शाखायें देश के 5 राज्यों में हैं। इनका राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है:

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position of branches is given below:

शाखाओं की राज्य वार स्थिति
STATE WISE POSITION OF BRANCHES

राज्यवार शाखाएं			
क्र.सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या	
		2018	2017
1	उत्तराखण्ड	75	73
2	उत्तर प्रदेश	36	35
3	दिल्ली	16	16
4	हरियाणा	7	7
5	राजस्थान	3	3
	कुल	137	134

State-wise Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2018	2017
1	Uttarakhand	75	73
2	Uttar Pradesh	36	35
3	Delhi	16	16
4	Haryana	7	7
5	Rajasthan	3	3
	Total	137	134

शाखाओं का राज्यवार विस्तार / State-wise Spread of the Branches at the year ended on
31 मार्च 2018 को / 31st March 2018
31 मार्च 2017 को / 31st March 2017

मानव संसाधन की स्थिति
HUMAN RESOURCE POSITION

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्व:प्रेरित और सहानुभूतिपूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। बैंक के स्वस्थ और निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथ

Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained

मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण की अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्ग वार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	2018	2017
1	कार्यपालक	29	27
2	अधिकारी	425	326
3	लिपिक	330	290
4	अधीनस्थ कर्मचारी	60	76
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	79	81
	कुल योग	923	800

growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2017-18.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:



S. No.	Cadre	2018	2017
1	Executive	29	27
2	Officers	425	326
3	Clerks	330	290
4	Sub-Ordinate Staff	60	76
5	Part Time Sub-Staff	79	81
	TOTAL	923	800

मानव संसाधन की स्थिति / Human Resource Position

वर्ष के अंत में संवर्गवार स्टाफ संख्या / Cadre wise staff strength at the year ended on

31 मार्च 2018 को / 31st March 2018

31 मार्च 2017 को / 31st March 2017



बैंक में मानव संसाधन की उपरोक्त वर्णित स्थिति के अतिरिक्त 31-03-2018 को बैंक में, बैंक के डिजिटल वेंचर के लिये अनुबंध की शर्तों पर -06- सदस्यों की टीम और -44- प्रबन्धन प्रशिक्षु (मैनेजमेन्ट ट्रेनीज़) सेवारत थे।

उत्प्रेरक पहलें / प्रयास

बैंक कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

क) विभिन्न संवर्गों/ग्रेड में अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने के लिये -तेरह- अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में, -दस- लिपिक कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग-कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-I में, -पैंतीस- कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-I से मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-II में, -अठारह- मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-II से मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-III में, -सात- मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-III से वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-IV में एवं -दो- वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-IV से वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-V में पदोन्नत किये गये।

ख) 107 प्रबन्धन प्रशिक्षु कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल I में समायोजित किये गये। बैंक ने -78- लिपिकों एवं -40- प्रबन्धन प्रशिक्षुओं की भर्ती की है।

ग) विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को निब्सकाम-नोएडा, एन.आई.बी.एम-पुणे, बड़ौदा अपेक्स अकादमी, गांधीनगर, यूआईडीएआई, नाबार्ड,

In addition to the above listed position of the Human Resources in the Bank, there were -44- Management Trainee besides -06- member team on Contractual terms for Digital Venture of the Bank, as on 31.03.2018.

MOTIVATIONAL INITIATIVES

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

A) In order to cater the need of officers/staff members in various cadres/grades and extend career progression opportunities to the employee, -Thirteen- Subordinate Staff were promoted to Clerical Cadre, -Ten- Clerks were promoted to JMGS-I, -Thirty five - Officers were promoted from JMGS-I to MMGS-II, -Eighteen- Officers were promoted from MMGS-II to MMGS-III, -Seven- Officers were promoted in MMGS-III to SMGS-IV and -Two- Officers were promoted in SMGS-IV to - SMGS V.

B) -107- Management Trainees were absorbed in JMGS-I. The Bank recruited -78- clerks and -40- Management Trainees.

C) Various categories of Staff were deputed to and attended training programmes at NIBSCOM-Noida, NIBM-Pune,

तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे, में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के लिये भेजा गया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आदि द्वारा आयोजित विशिष्ट वर्कशाप/सेमिनार में भी सहभागिता की। उपरोक्त के अलावा बैंक के अपने स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये गए।

घ) समीक्षा वर्ष के दौरान 496 स्टाफ सदस्य, बैंक द्वारा तात्कालिक प्रासंगिक विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/कार्यशालाओं में सम्मिलित हुए।

31.03.2018 को संवर्गवार ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	02	27	29
2	अधिकारी	61	364	425
3	लिपिक	58	272	330
4	अधीनस्थ कर्मचारी	3	57	60
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	25	54	79
	कुल	149	774	923

कारपोरेट गवर्नैन्स

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट अभिशासन (गवर्नैन्स) के महत्व से भली भांति परिचित है। बैंक न केवल इस संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है बल्कि शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सहित अपने सभी हितधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। कारपोरेट गवर्नैन्स पर बैंक का दर्शन उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, शेयरधारकों के मूल्यों में अधिकतम अभिवृद्धि करने और उनके हितों को सुरक्षित रखने हेतु व्यावसायिक नैतिकता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, संबद्ध नियमों के तहत आवश्यक सरकारी और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण है। बैंक ने बोर्ड के सदस्यों और अपने निदेशकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन सहित कर्मियों के कोर प्रबंधन दल और बैंक के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन के एक भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है।

कॉर्पोरेट गवर्नैन्स के तहत पर्यावरण सुधार हेतु पहल (ग्रीन इनिशिएटिव)

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कागज रहित कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नैन्स के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा "ग्रीन इनिशिएटिव" की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के त्वरित संचार की सुविधा और डाक पारगमन में सांविधिक दस्तावेजों के खो जाने की आशंकाओं से बचने के लिए एक पहल है। इस संबंध में, हमने शेयरधारकों, जिन्होंने बैंक में अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं, को ई-मेल भेजने की शुरुआत की है और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों जैसे वार्षिक सामान्य बैठक हेतु नोटिस, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

Baroda Apex Academy, Gandhinagar, UIDAI, NABARD and College of Agriculture Banking Pune. They also participated in specific workshops/seminars arranged by Reserve Bank of India/State Level Bankers Committee etc. Besides, Training Programmes were also carried out at Bank's own Training Centre, at Haldwani.

D) During the year under review -496- staff members attended various training programmes, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

Cadre wise break-up as on 31.03.2018 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executive	02	27	29
2	Officers	61	364	425
3	Clerks	58	272	330
4	Sub-Ordinate Staff	3	57	60
5	Part Time Sub-Staff	25	54	79
	TOTAL	149	774	923

CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel forming Core Management Team and functional Heads of the bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors'

निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि भी शामिल है तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करते हैं ताकि बैंक के शेयर धारकों की सांविधिक दस्तावेजों तक पहुंच बनाने को और अधिक सुविधा जनक बनाया जा सके।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में श्री मुकेश शर्मा (अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री ए के सिंह (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद को अलग करने से संबंधित 'गांगुली समिति' सिफारिशों से बैंक को छूट प्रदान की है।

निदेशक मंडल

➤ बोर्ड की संरचना :

बोर्ड का विधान कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य लागू सभी कानूनों के तहत यथानिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, विधि, आईटी, डिजिटल और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

निरंतर, टिकाऊ और संतुलित विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड स्तर पर विविध योग्यताओं वाले सदस्यों को शामिल किये जाने को एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण उपाय मानता है। एक विविध योग्यताओं वाले निदेशक सदस्यों से युक्त बोर्ड में कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव प्राप्त, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और गुणों से युक्त निदेशकों की उपस्थिति शामिल है।

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और बोर्ड रूम में विविध योग्यताओं वाले सदस्य निदेशकों को शामिल किये जाने को अहमियत देता रहा है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सहित कई कारकों पर विचार करते हुए विविध योग्यताओं वाले निदेशकों से युक्त बोर्ड को सुनिश्चित किया जाता है। विविधता पर अपने परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए, बैंक समय-समय पर अपने व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

➤ एक निदेशक की कार्य की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड:

निदेशक की कार्य की स्वतंत्रता का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की अपनी पहली बैठक में, जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित करता है, तो

Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, on the date Mr. Mukesh Sharma (Chairman and Chief Executive Officer), Mr. A.K. Singh (Chief Financial Officer) and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are the Key Managerial Personnel of the bank.

Reserve Bank of India has exempted the Bank from 'Ganguly Committee' recommendations pertaining to separating post of Chairman and Managing Director/Chief Executive officer.

BOARD OF DIRECTORS

➤ Composition of Board:

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT, Digital & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

The bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

➤ Criteria for determining independence of a Director:

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The independent director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every financial year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent direc-

वह इस आशय की घोषणा करेगा कि वह एकस्वतंत्र निदेशक के मानदंडों को पूरा करता है।

➤ बोर्ड स्तर पर प्रदर्शन का मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम, 2013 बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निर्धारित करता है। उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तय किए हैं, जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

औपचारिक वार्षिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष एवं सीईओ और समग्र बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।
- नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (मूल्यांकन हेतु निर्दिष्ट निदेशक के अलावा) सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है और अंतिम अनुमोदन के लिए बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- बोर्ड, बोर्ड स्तर की उप-समितियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है।
- नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति प्रत्येक निदेशक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन/समीक्षा करती है और बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति/निरंतरता की सिफारिश करती है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड समुचित कार्रवाई करता है।

निदेशकों के कार्य निष्पादन संबंधी मानदंड निम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी, गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों (विसल ब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों पर समय पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो, तो बैंक की ब्रांड छवि में वृद्धि, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम शमन की समीक्षा करना।

अध्यक्ष एवं सीईओ के कार्य निष्पादन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी, नेतृत्व पहल तथा गम्भीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की अभिरक्षा, स्वतंत्र, निष्पक्ष राय प्रस्तुत करना और बैठकों में मुद्दों का समाधान, बैंक के लिए नए विचारों और योजनाओं के संदर्भ में पहल, सतर्क तंत्र के तहत सतर्क करने वालों (विसल ब्लोअर्स) के हितों की रक्षा करना और बोर्ड एवं समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों पर समय

tor, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

➤ Board Level Performance Evaluation:

The Companies Act, 2013 stipulates the performance evaluation of the Directors including Chairman, Board and its Committees. Considering the said provisions, the bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been recommended by the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee and approved by the Board.

The process for formal annual performance evaluation is as under:

- Independent Directors evaluate the performance of Chairman & C.E.O. and the Board as a whole.
- The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee(excluding the director being evaluated) evaluates the performance of all the Directors and submit its report to the Board for final approval.
- The Board Evaluates the performance of Board level Sub-Committees.
- Nomination & Remuneration and Human Resource Committee evaluate/review the performance of each Director and recommends the appointment/reappointment/continuation of Directors to the Board. Based on the recommendation of Nomination & Remuneration Committee, Board takes appropriate action.

The criteria for performance of Directors are as under:

Attendance and participations in Board & Committee Meetings, Raising of concerns to the Board, Safeguard of confidential information, Rendering independent, unbiased opinion and resolution of issues at meetings, Initiative in terms of new ideas and planning for the bank, Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil mechanism, Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any, Contribution to the enhancement of brand image of the bank, Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria for performance of Chairman & C.E.O. are as under:

Attendance and participations in Board & Committee Meetings, Leadership initiative and raising of concerns to the Board, Safeguard of confidential information, Rendering independent, unbiased opinion and resolution of issues at meetings, Initiative in terms of new ideas and planning for the bank, Safeguarding interest of whistle-blowers un-

पर इनपुट उपलब्ध कराना, यदि कोई हो तो, वित्तीय विवरणियों की समीक्षा, व्यावसायिक कार्य निष्पादन को बेहतर बनाना और रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान, बैंक की ब्रांड छवि के संवर्द्धन में योगदान, जोखिम आकलन और जोखिम में कमी, बैंक में मानव संसाधन पहलों, बैंक की नीतियों, नैतिकता, आचार संहिता आदि का अनुपालन, धोखाधड़ी, नियमों का उल्लंघन की रिपोर्टिंग इत्यादि, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कार्य निष्पादन, बैंक का समग्र कार्य निष्पादन की समीक्षा।

समितियों के कार्य निष्पादन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

बैठकों की संख्या, बैठकों की कार्य सूचियों का समुचित मूल्यांकन तथा विचार-विमर्श, समिति की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि इनमें प्रतिभागी अपने विचार खुलकर रख सकें, अपनी भागीदारी को सार्थक कर सकें और मुद्दों का समय पर समाधान हो सके, बैठक के कार्यवृत्तों पर समय पर इनपुट प्रस्तुत करना।

बोर्ड के कार्य निष्पादन के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं:

- बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावशाली है।
- निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संरचना विकसित करने में सक्षम एवं प्रभावशाली है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है।
- बैंक की नियंत्रण प्रणालियां तथ्यपरक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों तथा नियमों के विचलन की रिपोर्टिंग में प्रभावशाली हैं।
- बोर्ड निर्दिष्ट मिशन को पूरा करने में संगठन के कार्य निष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करता है।
- निदेशक मंडल कंपनी प्रबंधन को आवश्यक परामर्श और सुझाव देने में प्रभावशाली है, क्या बोर्ड नियामक पर्यावरण और बाजार में नवीनतम परिवर्तनों आदि से पूरी तरह परिचित है?
- बोर्ड की बैठक से पहले निदेशकों को उपलब्ध करायी गई जानकारी, रूपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है।
- बोर्ड की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि ये बैठकें मुक्त चर्चा, सार्थक प्रतिभागिता और मुद्दों के सामयिक समाधान को प्रोत्साहित करती हैं।
- बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों, बोर्ड की नीति तथा गवर्नेंस का समुचित और प्रभावी नेतृत्व करते हैं और बोर्ड की नीति और प्रशासनिक कार्य को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं।
- बोर्ड, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन के उत्तर और सुधार पर समुचित रूप से विचार करता है।

der vigil mechanism, Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any, Review of financial statements, driving business performance and contribution to strategic decision making, Contribution to the enhancement of brand image of the bank, Review of Risk Assessment and Risk Mitigation, Human Resource Initiatives in the bank, Compliance with policies of the bank, ethics, code of conduct, etc., Reporting of frauds, violation etc., Review of performance Senior Management of the Bank, Overall performance of the bank.

The criteria for performance of Committees are as under:

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria for performance of Board by Independent Directors are as under:

- The Board of Directors of the bank is effective in decision making.
- The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfill its responsibilities.
- The bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law.
- The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis.
- The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market?
- The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail.
- Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues.
- The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board.
- The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement.

- बोर्ड, स्वतंत्र लेखा परीक्षक के चयन से कार्य समाप्ति तक उसकी भूमिका की पूरी तरह देखरेख करता है तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की योग्यता और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रभावी प्रक्रिया है।

बोर्ड स्वतंत्र लेखा परीक्षा योजना पर विचार करता है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें देता है।

➤ बोर्ड की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की कई बैठकों के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के संबद्ध प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की कुल -07 बैठकें आयोजित की गईं।

➤ बोर्ड की समितियां (रिपोर्टिंग की तारीख पर):

वर्तमान में बैंक की निम्नलिखित अनुसार 14 उपसमितियां हैं—

1. बोर्ड मीटिंग (बीएम)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
4. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
5. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
6. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
7. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
8. ग्राहक सेवा समिति (सीएम)
9. विलफुल डिफॉल्टर समिति (डब्ल्यूडी)
10. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
11. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
12. असहयोगी ऋणी (एनसीबी)
13. वसूली समिति (आरसी)
14. निवेश समिति (आईसी)

- The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance.

The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

➤ Number of Board Meetings:

During the Financial Year 2017-18, total -07-meetings of the Board of Directors were held in compliance of relevant provisions of Companies Act, 2013, in addition to several meetings of various Sub-Committees of Board.

➤ Committees of the Board [on the date of reporting]:

At present the bank has 14 sub-committees of Board as follows-

1. Board Meeting (BM)
2. Audit Committee of Board (ACB)
3. Management Committee of Board (MCB)
4. Risk Management Committee (RMC)
5. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
6. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
7. Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)
8. Customer Service Committee (CS)
9. Wilfull Defaulter Committee (WD)
10. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
11. Large Value Fraud's Committee (LVF)
12. Non-Cooperative Borrower (NCB)
13. Recovery Committee (RC)
14. Investment Committee (IC)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2017-18

क्र.सं. S.N.	बीएम BM	एसीबी ACB	एमसीबी MCB	आरएमसी RMC	आईटीडी ITD	एसआर SR	एनआरएचआर NRHR	सीएस CS	डब्ल्यूआर WD	सीएसआर CSR	एलवीएफ LVF	एनसीबी NCB	आरसी RC	आईसी IC
1.	15.05.17	15.05.17	15.05.17	15.05.17	15.05.17	24.10.17	15.05.17	15.05.17	-	28.07.17	-	-	18.12.17	18.12.17
2.	17.06.17	17.06.17	17.06.17	28.07.17	28.07.17	18.12.17	17.06.17	28.07.17	-	-	-	-	27.02.18	27.02.18
3.	28.07.17	28.07.17	28.07.17	24.10.17	24.10.17	27.02.18	24.10.17	24.10.17	-	-	-	-	26.03.18	-
4.	24.10.17	24.10.17	24.10.17	18.12.17	18.12.17	-	26.03.18	27.02.18	-	-	-	-	-	-
5.	18.12.17	18.12.17	15.11.17	27.02.18	27.02.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	28.02.18	27.02.18	18.12.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	26.03.18	-	27.02.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	26.03.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	7	6	8	5	5	3	4	4	0	1	0	0	3	2

➤ **समितियों की संरचना**
(रिपोर्टिंग की तारीख पर):

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति:

1.	श्रीमृदुल कुमार अग्रवाल	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	सदस्य

2. बोर्ड की प्रबंधन समिति:

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	श्रीमृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

3. जोखिम प्रबंधन समिति:

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	सदस्य

4. सू प्रौ कार्यनीति समिति:

1.	श्री एस एस घाग	समिति अध्यक्ष
2.	श्री के वेकटेश्वरलू	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	सदस्य
4.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य

5. हित धारक संबंध समिति:

1.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	सदस्य

6. नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन समिति:

1.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य

7. ग्राहक सेवा समिति:

1.	श्री के वेकटेश्वरलू	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के शर्मा	सदस्य

8. विलफुल डिफाल्टर समिति :

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

➤ **Composition of the Committees**
[on the date of reporting]:

1. Audit Committee of Board:

1.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

2. Management Committee of Board:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

3. Risk Management Committee:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

4. IT Strategy Committee:

1.	Mr. S.S. Ghag	Chairman of the Committee
2.	Mr. K. Venkateswarlu	Member
3.	Dr. (Mrs. K.K. Sharma)	Member
4.	Mr. Mukesh Sharma	Member

5. Stakeholders' Relationship Committee:

1.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

6. Nomination and Remuneration & Human Resource Committee:

1.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Chairperson of the Committee
2.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member
3.	Mr. Mukesh Sharma	Member

7. Customer Service Committee:

1.	Mr. K. Venkateswarlu	Chairman of the Committee
2.	Mr. Mukesh Sharma	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

8. Willful Defaulter Committee:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

9. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति :

1.	डा. (श्रीमती) के. के. शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य
3.	श्री आर के भाटिया	सदस्य

10. बड़ी राशि की धोखाधड़ियां समिति :

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री के. वेकटेश्वरलू	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

11. असहयोगी ऋणी समिति :

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य

12. वसूली समिति :

1.	श्री मुकेश शर्मा	समिति अध्यक्ष
2.	श्री आर के भाटिया	सदस्य
3.	डा. (श्रीमती) के. के. शर्मा	सदस्य

13. निवेश समिति :

1.	श्री आर के भाटिया	समिति अध्यक्ष
2.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
3.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य

➤ बोर्ड की संरचना में बदलाव:

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने त्यागपत्र दिए:

क्र.स.	नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति की तारीख	त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री एच के अवस्थी	26.08.2016	20.06.2017
2.	श्री नीरज शारदा	27.08.2012	27.08.2017
3.	प्रो (डॉ.) वी. पी. एस अरोड़ा	27.08.2012	27.08.2017
4.	श्री एस आर सोलंकी	23.12.2016	11.10.2017
5.	श्री राम कुमार गुप्ता	26.08.2016	24.10.2017
6.	श्री राकेश नेमा	26.06.2015	22.12.2017

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशको नियुक्त किये गए :-

क्र.स.	नाम (श्री/श्रीमती)	नियुक्ति की तारीख	डीआईएन स.
1.	श्री एस एस घाग	24.10.2017	06957371
2.	श्री के. वेकटेश्वरलू	24.10.2017	06931804

9. Corporate Social Responsibility Committee:

1.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Chairperson of the Committee
2.	Mr. Mukesh Sharma	Member
3.	Mr. R.K. Bhatia	Member

10. Large Value Fraud's Committee:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. K. Venkateswarlu	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

11. Non-Cooperative Borrower Committee:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member

12. Recovery Committee:

1.	Mr. Mukesh Sharma	Chairman of the Committee
2.	Mr. R.K. Bhatia	Member
3.	Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	Member

13. Investment Committee:

1.	Mr. R.K. Bhatia	Chairman of the Committee
2.	Mr. Mradul Kumar Agarwal	Member
3.	Mr. Mukesh Sharma	Member

➤ Changes in the composition of the Board:

The below mentioned Directors resigned during the Financial Year-

S. N.	Name [Mr./Mrs.]	Date of Appointment	Date of Resignation/Retirement
1.	Mr. H.K. Awasthi	26.08.2016	20.06.2017
2.	Mr. Neeraj Sharda	27.08.2012	27.08.2017
3.	Prof (Dr.) V.P.S. Arora	27.08.2012	27.08.2017
4.	Mr. S.R. Solankee	23.12.2016	11.10.2017
5.	Mr. Ram Kumar Gupta	26.08.2016	24.10.2017
6.	Mr. Rakesh Nema	26.06.2015	22.12.2017

The below mentioned Directors were appointed during the Financial Year-

S. N.	Name [Mr./Mrs.]	Date of Appointment	DIN No.
1.	Mr. S. S. Ghag	24.10.2017	06957371
2.	Mr. K. Venkateswarlu	24.10.2017	06931804

निर्देशकों द्वारा घोषणापत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत—निर्देशकों की जिम्मेदारी संबंधीवक्तव्य)

निदेशक मंडल का एतद्वारा कथन है कि:

- यह अभिव्यक्त किया जाता है कि वार्षिक खातों की तैयारी के लिये लागू मानकों का पालन किया गया है ताकि बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि आपके बैंक ने उन लेखा नीतियों को चुना है तथा उन पर अमल किया है जो हमारे निर्णय और आकलन में उचित एवं विवेक संगत है एवं बैंक के कार्य कलापों को वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उक्त अवधि में बैंक के लाभ की सही एवं वास्तविक स्थिति दर्शाती है।
- पुनः, निर्देशकों ने खातों के अभिलेखों की देख रेख के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि बैंक की अस्तित्वां सुरक्षित रहें तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम हो सके।
- पुनः बैंक ने सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित व्यवस्था अपनायी है। यह व्यवस्था पर्याप्त है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि निर्देशकों ने वार्षिक खातों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया है।

वार्षिक विवरणी

निदेशक मण्डल एतद्वारा यह पुष्टि करता है कि बैंक की 95वीं वार्षिक आम सभा से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, कानपुर (उ.प्र.) के कार्यालय में जमा कर दी गई है। 96वीं वार्षिक आम सभा से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी बैंक की आम सभा के सम्पादित होने के बाद जमा कर दी जायेगी।

लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 18 प्रतिशत के लाभांश की संस्तुति करते हैं। यदि वार्षिक साधारण सभा में इसकी अनुमति मिलती है तो वर्ष 2017-18 के लाभांश पर रु. 2.84 करोड़ (लगभग) के लाभांश कर सहित रु. 16.79 करोड़ (लगभग) व्यय होगा।

जोखिम प्रबन्धन

बैंक में हमेशा विभिन्न प्रकार के जोखिमों की आशंका बनी रहती है जो कि बैंकिंग व्यवसाय का एकनिहित अंग है। प्रमुख जोखिम जैसे कि ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम व परिचालन जोखिम हैं। स्थायी व निरन्तर विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक ठोस जोखिम प्रबन्धन फ्रेमवर्क विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा माने गये जोखिम लगातार उचित रूप से आकलित किये जा सकें और उनकी निगरानी की जा सके। यहां

DECLARATION BY DIRECTORS

(Information u/s 134 (5) of the Companies Act, 2013 - Directors' Responsibility Statement)

The Board of Directors hereby state that:

- It is stated that for preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed so as to give a true and fair view of the state of affairs of the bank.
- It is further stated that your bank has opted such accounting policies and applied them consistently, which in bank's judgments and estimates are reasonable and prudent and give a true and fair view of the state of affairs of the bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the said period.
- Further, the Directors had taken proper and adequate care for the maintenance of accounts and records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the bank and for prevention and detection of fraud and other irregularities.
- Further, the bank has devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.
- It is further stated that Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

ANNUAL RETURN

The Board of Directors hereby confirms that Annual Return of the Bank relating to Bank's 95th Annual General Meeting has been filed in prescribed format within stipulated time and in conformity with provisions of The Companies Act 2013 with the office of Registrar of Companies, Kanpur (UP). Annual Return of the Bank relating to Bank's 96th Annual General Meeting shall be filed after conclusion of General Meeting of the Bank.

DIVIDEND

Your Directors recommend dividend of 18% for the Financial Year ended March 31, 2018. If approved in the Annual General Meeting the total dividend outgo for the Financial Year 2017-18 would be Rs. 16.79 Crore (Approx.) including dividend tax for Rs.2.84 Crore (Approx.).

RISK MANAGEMENT

The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, your Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored continuously. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the

यह उल्लेखनीय है कि जोखिम फ्रेमवर्क बनाना बैंक के बोर्ड की मूलभूत जिम्मेदारी है। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए नियंत्रक रुपरेखा बनाने के प्रयोजन से निदेशक मंडल अथवा बोर्ड समिति द्वारा समय-समय पर नीतियां अनुमोदित की जाती हैं। इन नीतियों के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आपके बैंक में विभिन्न जोखिमों के निर्धारण, मूल्यांकन तथा प्रबंधन की प्रक्रिया संक्षेप में निम्नानुसार है:-

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें बैंक, आस्तियों में वृद्धि या दायित्वों को पूरा करने के लिए बिना अस्वीकार्य क्षति के कोष की व्यवस्था नहीं कर सकता है। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार ब्याज दरों में बदलाव से बैंक की आय में, शुद्ध ब्याज आय से बदलाव एवं ब्याज दर संवेदनशील आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बैंक की साधारण पूंजी के बाजार मूल्य में बदलाव के द्वारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तरलता एवं ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन के लिए नीति की रुपरेखा बैंक की ए.एल.एम. नीति में स्थापित है जो कि नियामक आदेशों से मार्गदर्शित है। आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कई सीमाएं तय की हैं जैसे परिपक्वता अन्तर सीमा, तरलता अनुपात के लिए स्टॉक अनुपात की सीमा, ब्याज दर जोखिम के लिए आय प्रभाव एवं बाजार मूल्य प्रभाव की सीमा। आपके बैंक की आस्ति देयता समिति (एल्को) यह सुनिश्चित करती है तरलता जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम सहिष्णुसीमा के अन्दर है। इसके अतिरिक्त आपके बैंक के पास एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण कार्यक्रम है जो कि तरलता एवं ब्याज दर जोखिम को शामिल करता है जो कि नियामक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफॉल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। आपके बैंक का ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम का तात्पर्य बाजार दरों अथवा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में बाजार स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण सम्भावित आर्थिक हानियों से है। आपके बैंक ने अपनी ट्रेजरी गतिविधियों को नियंत्रित व मॉनिटर करने के लिए स्पष्ट नीतियां बना रखी हैं। आपके बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम की एक सुपरिभाषित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम पालिसी द्वारा पर्याप्त रूप से देखरेख की जा रही है। बाजार जोखिम का आकलन मानकीकृत विधि से किया गया है। बैंक में बोर्ड द्वारा स्वीकृत एक निवेश नीति है जिसका निवेश या ट्रेडिंग करते समय पूर्णतः पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक में बोर्ड द्वारा स्वीकृत एक तनाव परीक्षण पालिसी एवं फ्रेमवर्क है जिसमें बाजार जोखिम तनाव परीक्षण परिदृश्य शामिल है ताकि तनाव का आकलन किया जा सके एवं नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय किये जा सकें।

risk management framework lies with the Board of the Bank. Policies approved from time to time by the Board of Directors or Committees of the Board form the governing framework for each type of risk. The business activities are undertaken within these policy frameworks. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within your Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity risk is the risk that the Bank may not be able to fund increases in assets or meet obligations as they fall due without incurring unacceptable losses. Interest rate risk is the risk where change in market interest rates affects the Bank's earnings through changes in its Net Interest Income (NII) and the market value of equity through changes in the economic value of its interest rate sensitive assets and liabilities. The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy which is guided by regulatory instructions. Your Bank has established various Board approved limits viz., maturity gap limits and limits on stock ratios for liquidity ratio and limits on income impact and market value impact for interest rate risk. Your Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, your Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default or from reduction in portfolio value. Your Bank's Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Credit Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

MARKET RISK

Market risk is the possibility of loss a Bank may suffer on account of changes in values of its trading portfolio, due to change in market variables. Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. The market risk is calculated using Standardized Approach. Market Risk in the trading portfolio of your Bank has been adequately managed through a well-defined Board approved market risk policy. The Bank also has an approved investment policy which is adhered while investing or trading. Additionally, Bank has a Board approved stress test policy and framework which encompasses the market risk stress test scenarios so that stress losses can be measured and adequate control measures can be initiated.

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। परिचालन जोखिम का आकलन मूलभूत सूचक प्रणाली से किया गया है।

तरलता कवरेज अनुपात

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जटिल परिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल-III फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, मॉनिटरिंग टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के आधार पर आपके बैंक का एलसीआर वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर अर्थात् 90 प्रतिशत पर था।

बेसल-III कार्यान्वयन

बेसल-III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल-III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरूप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल-III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल-III के अन्तर्गत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

बैंक के पास इसकी आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता प्रक्रिया (आईकैप) में उन सभी जोखिमों के महत्व की पहचान व मूल्यांकन करने के लिए, जिनका कि बैंक को सामना करना पड़ सकता है तथा जो बैंक के व्यवसाय व वित्तीय स्थिति पर तात्त्विक विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। एक संरचित प्रबन्धन फ्रेमवर्क है। बैंक के पास एक बोर्ड द्वारा स्वीकृत तनाव परीक्षण फ्रेमवर्क है जो कि बैंक के आईकैप का एक अभिन्न अंग है। तनाव परीक्षण बैंक की चरम परन्तु सत्य प्रतीत होने वाली दबावपूर्ण व्यवसाय स्थितियों में संभावित सुरक्षाछिद्रों का आकलन करने वाली विभिन्न तकनीकों को शामिल करता है। विभिन्न जोखिमों के स्तर में परिवर्तन एवं बैंक के तुलनपत्र के शामिल व उसके बाहर की स्थितियों में परिवर्तन कल्पित 'तनाव' परिदृश्य एवं संवेदनशील कारकों के अन्तर्गत मूल्यांकित किये जाते हैं। आम तौर पर ये हमेशा बैंक की लाभप्रदता एवं पूंजी पर्याप्तता पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होते हैं।

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. The Operational Risk is calculated using the Basic Indicator Approach.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar days liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio is at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. As per the prevailing guidelines on March 2018, your Bank's monthly average LCR, for the quarter ended March 31, 2018 was above the present minimum requirement i.e. 90%.

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for the identification and evaluation of the significance of all risks that Bank faces, which may have a material adverse impact on its business and financial position. The Bank has a Board approved Stress Testing Framework which forms an integral part of the Bank's ICAAP, stress testing involves the use of various techniques to assess the Bank's potential vulnerability to extreme but plausible stressed business conditions. The changes in the levels of various risks and the changes in the on and off balance sheet positions of the Bank are assessed under assumed "stress" scenarios and sensitivity factors. Typically, these relate, inter alia, to the impact on the Bank's profitability and capital adequacy.

निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दर निर्धारित करने की निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) के नाम से एक नई पद्धति आरम्भ की है। इस प्रणाली से अप्रैल, 2016 से मौजूदा आधार दर पर आधारित उधार दर प्रणाली में संशोधन हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर तैयार करनी है, जो कि आन्तरिक बैंच मार्क उधार दर होगी। इस एमसीएलआर के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उनके जोखिम के अनुसार ब्याजदर निर्धारित की जानी चाहिए।

हमारे बैंक ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) को कार्यान्वित किया।

निदेशक मंडल ने दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को आयोजित बैठक में आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को) को निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) को अंतिम रूप देने एवं इसकी गणना की पद्धति निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत किया। बैंकों को बैंक की प्रचलित पद्धति के अनुसार बोर्ड अथवा आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को) के अनुमोदन से न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक अवधि में एक बार समीक्षा करना एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अपेक्षित है। हमारे बैंक ने आरबीआई के निदेशानुसार त्रैमासिक आधार पर एमसीएलआर की गणना करने का निर्णय लिया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक उधार दर का निर्धारण एमसीएलआर में कीमत लागत अंतर को जोड़कर किया जाएगा। कीमत लागत अंतर का अर्थ है कि बैंक उधार लेने वाले के जोखिम के आधार पर अधिक ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं। आधार दर से जुड़ी मौजूदा ऋण एवं क्रेडिट सीमा पुनर्भुगतान अथवा नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, तक जारी रह सकती हैं। उधार लेने वाले मौजूदा ग्राहकों के पास परस्पर सहमत शर्तों पर निधियों की सीमान्त लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में जाने का भी विकल्प होगा।

एमसीएलआर प्रणाली का वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटक यह है कि बैंकों को अपनी सीमांत लागत मासिक आधार पर संशोधित करनी होगी। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार "बैंक पूर्व घोषित तिथि को प्रत्येक माह विभिन्न परिपक्वताओं की एमसीएलआर की समीक्षा करेंगे और उसे प्रकाशित करेंगे"। यह मासिक संशोधन बैंकों को बदलाव के बारे में विचार करने के लिए बाध्य करेगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महीने भर में रेपो दर में कोई भी परिवर्तन किया जाता है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण की समीक्षा करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) दृष्टिकोण अपनाया है। आरबीएस फ्रेमवर्क को "जोखिम एवं पूंजीगत निर्धारण का पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी)" का नाम दिया गया है और इस प्रक्रिया में लागू एक महत्वपूर्ण घटक/उपकरण "समेकित जोखिम और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी)" है। आरबीएस और प्रभाव अंकन (आईआरआईएससी) मॉडल है। आरबीएस ऑफसाइट और प्रभाव

MARGINAL COST OF FUNDS BASED LENDING RATE (MCLR)

The Reserve Bank of India has brought a new methodology of setting lending rate by commercial banks under the name Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR). It has modified the existing base rate system from April 2016 onwards.

As per the new guidelines by the RBI, banks have to prepare Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) which will be the internal benchmark lending rates. Based upon this MCLR, interest rate for different types of customers should be fixed in accordance with their riskiness.

Our Bank has implemented Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) w.e.f 1st April 2016.

Board of Directors in its meeting dated 28th April 2016 authorised the Asset Liability Committee (ALCO) of the bank to finalise Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) and methodology of computation of Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) for the bank. Banks are required to review the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate (MCLR) at on monthly basis with the approval of the Board or the Asset liability Management Committees (ALCOs) as per the Bank's practice and publish on the Bank's website. Our Bank has decided to compute MCLR on monthly basis as per RBI directives.

According to the RBI guideline, actual lending rates will be determined by adding the components of spread to the MCLR. Spread means that banks can charge higher interest rate depending upon the riskiness of the borrower. Existing loans and credit limits linked to the Base Rate may continue till repayment or renewal, as the case may be. Existing borrowers will also have the option to move to the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) linked loan at mutually acceptable terms.

Powerful element of the MCLR system from the monetary policy angle is that banks have to revise their marginal cost on a monthly basis. According to the RBI guideline, "Banks will review and publish their MCLR of different maturities every month on a pre-announced date." Such a monthly revision will compel the banks to consider the change in repo rate change if any made by the RBI during the month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

The Department of Banking Supervision (DBS) at RBI has adopted a Risk Based Supervisory (RBS) approach for Review of Supervisory Processes of Commercial Banks. The RBS framework has been named as "Supervisory Program for Assessment of Risk and Capital (SPARC)" and one of its important components/ tools employed in the process is the "Integrated Risk and Impact Scoring (IRISc)" Model. RBS is driven by Offsite as well as Onsite supervision which requires a Bank to put in place ro-

अंकन (आईआरआईएससी)'' मॉडल है। आरबीएस ऑफसाइट और साथ ही ऑफसाइट पर्यवेक्षण द्वारा संचालित है जिसमें बैंक को आंकड़ा संग्रहण और समेकन की प्रक्रिया तथा रिपोर्टिंग की आधुनिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आरबीएस 2015-16 पर्यवेक्षी चक्र में आपके बैंक में आरंभ किया गया था। एसपीएआरसी जोखिम केन्द्रित है और इसका लक्ष्य पर्यवेक्षी प्रक्रिया और प्रभावी बनाना है। एसपीएआरसी के तहत मूल्यांकन के दो प्रमुख क्षेत्र जोखिम और पूंजीगत मूल्यांकन है। किसी बैंक के लिए जोखिम मूल्यांकन में अंतर्निहित जोखिम, अंतर्निहित जोखिम के लिए नियंत्रण में अंतर के कारण जोखिम, अभिशासन और ओवरसाइट में अंतर के कारण जोखिम तथा साथ ही विनियामक अपेक्षाओं की संस्कृति और डिग्री शामिल होती है। ये मूल्यांकन बैंक के लिए जोखिम को समेकित करते हैं। समेकित रूप से उपलब्ध समेकित जोखिम और पूंजी बैंक के लिए विफलता अंकन का जोखिम (आरओएफएस) निर्धारित करता है। आपके बैंक ने एसपीएआरसी के तहत दो चक्र सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं और अब यह 2017-18 का तीसरा पर्यवेक्षी चक्र आरंभ करने की स्थिति में है।

क्रेडिट मॉनिटरिंग

क्रेडिट मॉनिटरिंग आस्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखने और समय-सूची के अनुसार लेनदारी को वसूल करने के कार्यकलापों का अभिन्न अंग है। क्रेडिट पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग के व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रयास में प्रधान कार्यालय स्तर पर एक एसोसिएट उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संपूर्ण विभाग को बैंक में कार्यात्मक बनाया गया है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है जिसमें लेखा विशिष्ट मॉनिटरिंग, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार स्टॉक लेखापरीक्षा और क्रेडिट लेखापरीक्षा शामिल है जिसमें उधार संबंधी खातों की निरंतर निगरानी की जाएगी और बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विपणन

बैंक का विपणन विभाग ग्राहक अधिग्रहण के माध्यम से बैंक के लिए नया व्यवसाय अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक, बैंक के उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा कर और ग्राहक केंद्रित अभियान संचालित कर उत्पाद विकास और प्रचार प्रसार में भी पहल करता है। विपणन विभाग के डोमेन के तहत उत्पादों और सेवाओं को व्यापक रूप से धन प्रबंधन सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

धनसंपदा प्रबंधन सेवाएँ

एक विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने बीमा (जीवन बीमा/सामान्यबीमा) उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कंपनियों के साथ प्रबंध व्यवस्था की है। बैंक जीवन बीमा और सामान्य बीमा के लिए क्रमशः मैसर्स एक्ससाइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैसर्स फ्यूचर जनरालि इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा उत्पादों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। आईआरडीए (जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है) के नए विनियमन के अनुसार, बैंक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के तहत 1 से अधिक बीमा प्रदाता, लेकिन अधिकतम 3 बीमा प्रदाताओं के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। आईआरडीए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार हमने

built systems for data collection and compilation process and reporting. RBS was rolled out in your Bank in 2015-16 supervisory cycles. SPARC is risk focused and intended to increase the effectiveness of the supervisory process. The two major areas of assessment under SPARC are Risk and Capital Assessment. The risk assessment for a Bank covers the inherent risks, risks due to gaps in controls for the inherent risks, risks due to gaps in the Governance & Oversight as also the culture and degree of compliance to regulatory requirements. These assessments together determine the Aggregate Risk for a Bank. The Aggregate Risk and Capital Available together determine the Risk of Failure Score (RoFS) for a Bank. Your Bank has successfully completed the two cycle under SPARC and is now well positioned to embark on the third supervisory cycle of 2017-18.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity to maintain the quality of assets and recover dues in time as per schedule. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full-fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level is made functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits & credit audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts & to take prompt corrective action to improve quality of credit portfolio of bank.

MARKETING

The Marketing Department of the Bank plays a critical role in generating new business for the Bank through customer acquisition. The Bank also takes initiatives in product development and promotion by creating awareness on products and by driving customer-centric campaigns. The products and services under the domain of Marketing Department can be broadly classified as Wealth management services.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

To cater to the needs of a diverse customer base, the Bank has made arrangements with several companies to distribute Insurance (Life/General) products. The Bank acts as a corporate agent for the distribution of insurance products of both M/s Exide Life Insurance Company Limited and M/s Future Generali India Insurance Company Ltd for life insurance and general insurance respectively. As per the new regulation by IRDA (which is effective from 1st April, 2016), banks can act as Corporate Agent for more than 1 Insurance provider subject to a maximum of 3 insurance providers - under Life, General and Health each. As per the approvals received from IRDA we have opted

1 अप्रैल, 2016 से “अनेक कॉर्पोरेट एजेंसी मॉडल” का चयन किया है।

बैंक ने सामान्य बीमा के लिये अपने मौजूदा साझेदार, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अलावा फ्यूचर जनरालि इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ तथा जीवन बीमा उत्पादों के लिये अपने मौजूदा साझेदार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के अलावा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। फ्यूचर जनरालि इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जनरल इंश्योरेंस के लिए नए साझेदार के रूप में जोड़ा गया है।

अनुपालन विभाग

बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है। बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में नियामक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक एसोसिएट उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है। इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों (वर्टिकलों) को प्रभावित करने वाले प्रमुख विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं की समीक्षा, अनुपालन संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, और अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह 31 मार्च, 2018 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है चूंकि विद्यमान केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र और इसके लिये आवश्यकता स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई थी।

जहां तक शाखा की सांविधिक लेखा परीक्षा का सम्बन्ध है 56 लेखा परीक्षक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे, उन्हें लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया और लेखा परीक्षण के कार्य के लिए 48 नये लेखा परीक्षक नियुक्त किये गये।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह पुष्टि की है कि तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार तैयार किये गये हैं। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि इस सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 के उपनियम 3 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड में आवश्यक धनराशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

for Multiple Corporate Agency Model with effect from 1st April, 2016.

The Bank has tied up with Future Generali India Insurance Company Ltd. in addition to our existing partner National Insurance Company Limited for general Insurance and Exide Life Insurance in addition to our existing partner India First Insurance for Life Insurance products. The Future Generali India Insurance Company Ltd. has been added as the new partner for General Insurance.

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, pursuant to its strategic goals of transparency and trust, among all its stakeholders. The Bank has a dedicated independent Compliance Department headed by an Associate Vice President for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations. The key functions of this Department include dissemination of key regulatory updates affecting the various business verticals of the bank, review of processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, and impart training to employees on compliance aspects, among others.

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2018.

It is submitted that no changes was made in respect of Central Statutory Auditors during the year, as existing Central Statutory Auditors were eligible for re-appointment and required approval was granted by Reserve Bank of India in this regard.

As regards, Branch Statutory Audit, 56 Auditors were eligible for re-appointment and were assigned the audit job and 48 fresh Auditors were appointed for audit work.

The Central Statutory Auditors have confirmed that the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. They also confirmed compliance of sub section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as section 143(3) of the Companies Act, 2013. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

फार्म संख्याएँ एमजीटी 9 / FORM NO. MGT 9

वार्षिक विवरणी का सारांश / EXTRACT OF ANNUAL RETURN

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति / As on financial year ended on 31.03.2018

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 92(3) एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार
 Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण / REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1	सीआईएन / CIN	U65923UR1922PLC000234
2	पंजीकरण दिनांक / Registration Date	31/07/1922
3	कम्पनी का नाम Name of the Company	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड THE NAINITAL BANK LIMITED
4	कम्पनी का वर्ग / उपवर्ग Category/Sub-category of the Company	भारतीय गैर-सरकारी कंपनी Indian Non-Government Company
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण Address of the Registered office & contact details	जी.बी. पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001 G B PANT ROAD, NAINITAL, UTTARAKHAND-263001
6	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है / Whether listed company	नहीं / NO
7	रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट का नाम, पता व संपर्क विवरण Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	लागू नहीं Not Applicable

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां / PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(कम्पनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाली व्यावसायिक गतिविधियां)

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

क्र.सं. S. No.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम व विवरण Name and Description of main products / services	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/ service	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत % to total turnover of the company
1	बैंकिंग सेवाएं / BANKING SERVICES	64191	100%

III. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियों का विवरण / Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies

क्र. सं. S. No.	कंपनी का नाम और पता Name and Address of The Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	होल्डिंग/सब्सिडरी/एसोसिएट Holding/Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का प्रतिशत % of Shares Held	लागू धारा Applicable Section
1	बैंक ऑफ बड़ौदा / Bank of Baroda	-	होल्डिंग / Holding	98.57	-

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न / Share Holding Pattern

(इक्विटी शेयर पूंजी का कुल पूंजी के प्रतिशत में वर्गीकरण) / (Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) वर्गवार अंश धारिता / Category-wise Share Holding

अंशधारकों का वर्ग / Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरों की संख्या / No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अन्त में शेयरों की संख्या / No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन / % Change during the year
	डीमेट / Demat	प्रत्यक्ष / Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट / Demat	प्रत्यक्ष / Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	
अ. प्रवर्तक A. Promoters									
1) भारतीय / Indian									
क) व्यक्ति. / अ.हि.प. a) Individual/ HUF				0.00%				0.00%	0.00%
ख) केन्द्रीय सरकार b) Central Govt				0.00%				0.00%	0.00%
ग) राज्य सरकार(रें) c) State Govt(s)				0.00%				0.00%	0.00%
घ) कारपोरेट निकाय d) Bodies Corp.				0.00%				0.00%	0.00%
ङ) बैंक / वि.सं. e) Banks / FI				0.00%				0.00%	0.00%
च) अन्य कोई f) Any other				0.00%				0.00%	0.00%
उप जोड़ अ (1) Sub Total (A) (1)				0.00%				0.00%	0.00%
(2) विदेशी / Foreign									
क) एनआरआई व्यक्ति a) NRI Individuals				0.00%				0.00%	0.00%
ख) अन्य व्यक्ति b) Other Individuals				0.00%				0.00%	0.00%
ग) कारपोरेट निकाय c) Bodies Corp.				0.00%				0.00%	0.00%
घ) अन्य कोई d) Any other				0.00%				0.00%	0.00%
उप जोड़ अ (2) Sub Total (A) (2)				0.00%				0.00%	0.00%
जोड़ (अ) / TOTAL (A)				0.00%				0.00%	0.00%
ब. सार्वजनिक अंशधारिता B. Public Shareholding									
1. संस्थाएं / Institutions									
क. म्यूचुअल फंड a) Mutual Funds				0.00%				0.00%	0.00%
ख. बैंक / वि.सं. b) Banks / FI		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%	0.00%
ग. केन्द्रीय सरकार c) Central Govt				0.00%				0.00%	0.00%
घ) राज्य सरकार(रें) d) State Govt(s)				0.00%				0.00%	0.00%
ङ) उद्यम पूंजी कोष e) Venture Capital Funds				0.00%				0.00%	0.00%
च. बीमा कम्पनियां f) Insurance Companies				0.00%				0.00%	0.00%
छ. वि.सं. नि. g) FIs				0.00%				0.00%	0.00%

अंशधारकों का वर्ग / Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरों की संख्या / No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अन्त में शेयरों की संख्या / No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन / % Change during the year
	डीमेट / Demat	प्रत्यक्ष / Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट / Demat	प्रत्यक्ष / Physical	जोड़ / Total	कुल शेयरों का प्रतिशत / % of Total Shares	
ज. विदेशी उद्यम पूंजी कोष h) Foreign Venture Capital Funds				0.00%				0.00%	0.00%
झ. अन्य (विवरण दें) i) Others (specify)				0.00%				0.00%	0.00%
उप जोड़ (ब)(1) Sub-total (B)(1)		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%		7,63,92,430	7,63,92,430	98.57%	0.00%
2. गैर संस्थाएं / Non-Institutions									
क. कारपोरेट निकाय a) Bodies Corp.									
i) भारतीय / Indian		36456	36456	0.05%		36456	36,456	0.05%	0.00%
ii) विदेशी / Overseas				0.00%				0.00%	0.00%
ख) व्यक्तिगत b) Individuals				0.00%				0.00%	0.00%
i) रु. एक लाख तक शेयरपूँजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की शेयरधारिता / Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh		851187	851187	1.10%		850101	8,50,101	1.09%	-0.13%
ii) रु. एक लाख से अधिक शेयरपूँजी वाले व्यक्तिगत अंशधारकों की अंशधारिता / Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh		219927	219927	0.28%		221013	2,21,013	0.29%	0.49%
ग. अन्य (विवरण दें) c) Others (specify)									
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians				0.00%				0.00%	0.00%
विदेशी कॉरपोरेट निकाय / Overseas Corporate Bodies				0.00%				0.00%	0.00%
विदेशी नागरिक / Foreign Nationals				0.00%				0.00%	0.00%
समाशोधन सदस्य / Clearing Members				0.00%				0.00%	0.00%
न्यास / Trusts				0.00%				0.00%	0.00%
विदेशी निकाय-डीआर Foreign Bodies - D R				0.00%				0.00%	0.00%
उप जोड़ ब (2) Sub-total (B)(2)		11,07,570	11,07,570	1.43%		11,07,570	11,07,570	1.43%	0.00%
कुल सार्वजनिक (ब) Total Public (B)		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%	0.00%
स. जीडीआर व एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs				0.00%				0.00%	0.00%
समग्र योग (अ+ब+स) Grand Total (A+B+C)		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%		7,75,00,000	7,75,00,000	100.00%	0.00%

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता / Shareholding of Promoter

क्र. सं. SI No.	शेयरधारकों का नाम Shareholders Name	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन % change in shareholding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में वचनबद्ध / भारित शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में वचनबद्ध / भारित शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	
1			0.00%			0.00%		0.00%
2			0.00%			0.00%		0.00%
3			0.00%			0.00%		0.00%
4			0.00%			0.00%		0.00%

 (iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (उल्लेख करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो)
 Change in Promoters' Shareholding (please specify, is on change)

क्र. सं. SI No.	विवरण Particular	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का % % of Total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का % % of Total shares
1	वर्ष के आरंभ में / At the beginning of the year				0.00%		0.00%
2	वर्ष के दौरान परिवर्तन / Changes during the year				0.00%		0.00%
3	वर्ष के अंत में / At the End of the year				0.00%		0.00%

देश की आर्थिक प्रगति में सहयोगी



(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का अंशधारिता शेयरहोल्डिंग पैटर्न / Shareholding Pattern of top ten Shareholders

(निदेशकों, प्रमोटर एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) / (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र. सं. S. No.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1	बैंक ऑफ बड़ौदा M/s. Bank of Baroda						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		7,63,92,430	98.57%	7,63,92,430	98.57%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year			-	0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		7,63,92,430	98.57%	7,63,92,430	98.57%
2	मैसर्स जिन्दल पौलीमर प्रोडक्ट्स प्रा.लि. M/s. Jindal Polymer Products P. Ltd						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		36,256	0.05%	36,256	0.05%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		36,256	0.05%	36,256	0.05%
3	श्री संजय रावल Mr. Sanjay Rawal						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		31,586	0.04%	31,586	0.04%
4	श्रीमती कामाक्षी रावल Mrs. Kamakshi Rawal						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		31,586	0.04%	31,586	0.04%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		31,586	0.04%	31,586	0.04%
5	श्री इन्द्र देव Mr. Indra Dev						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		23,679	0.03%	23,679	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		23,679	0.03%	23,679	0.03%

क्र. सं. S. No.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For each of the Top 10 shareholders	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
6	श्री प्रमोद कुमार उप्रेती Mr. Pramod Kumar Upreti						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		20,846	0.03%	20,846	0.03%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		20,846	0.03%	20,846	0.03%
7	डॉ. डी.पी. गंगोला Dr. D.P. Gangola						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		18,056	0.02%	18,056	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		18,056	0.02%	18,056	0.02%
8	श्री मोहन चन्द्र जोशी सुश्री तनुश्री जोशी Mr. Mohan Chandra Joshi Ms. Tanushri Joshi						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		18,000	0.02%	18,000	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		18,000	0.02%	18,000	0.02%
9	श्री तारा चन्द्र उप्रेती Mr. Tara Chandra Upreti						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		17,985	0.02%	17,985	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		17,985	0.02%	17,985	0.02%
10	श्री सुनील कुमार साह Mr. Sunil Kumar Sah						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		16,875	0.02%	16,875	0.02%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		16,875	0.02%	16,875	0.02%

(v) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय व्यक्तियों की अंशधारिता: / Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र. सं. S. No.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मूल प्रबंधकीय व्यक्ति की अंशधारिता Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	दिनांक Date	कारण Reason	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संवयी अंशधारिता Cumulative Shareholding during the year	
				शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares	शेयरों की संख्या No. of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत % of total shares
1	श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Mr. Mukesh Sharma (Chairman & C.E.O)						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		1,019	0.0013%	1,019	0.0013%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		1,019	0.0013%	1,019	0.0013%
2	श्री अनिल कुमार सिंह (मुख्य वित्तीय अधिकारी) Mr. Anil Kumar Singh Chief Financial Officer						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		0	0.00%	0	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		0.00	-	0	0.00%
3	श्री विवेक शाह (कंपनी सचिव) Mr. Vivek Sah - Company Secretary						
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	01.04.2017		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन Changes during the year				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	31.03.2018		2,792	0.0036%	2,792	0.0036%

VI. ऋण ग्रस्तता / INDEBTEDNESS

कम्पनी की ऋणग्रस्तता बकाया ब्याज व प्रोदभूत परन्तु भुगतान के लिए अदेय ब्याज शामिल

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

विवरण / Particulars	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता / Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूल राशि / Principal Amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया / Interest due but not paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	-
iii) ब्याज प्रोदभूत परन्तु अदेय / Interest accrued but not due	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (i+ii+iii)	-	-		शून्य / Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन / Change in Indebtedness during the financial year				
* वृद्धि / Addition	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
* कमी / Reduction	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शुद्ध परिवर्तन / Net Change	-	-		-
वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता / Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूल राशि / Principal Amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ii) ब्याज देय परन्तु भुगतान नहीं किया गया / Interest due but not paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	-
iii) ब्याज प्रोदभूत परन्तु अदेय / Interest accrued but not due	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (i+ii+iii)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

* बैंक द्वारा प्राप्त जमाराशियां इसके व्यवसाय के सामान्य क्रियान्वयन में प्राप्त हुई हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार जमा के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः शामिल नहीं की गई। / Deposits received by the Bank were in the ordinary course of business and does not amount to deposits in terms of Companies Act, 2013, hence not included.

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक / REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

क प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक:

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

क्र. सं. Sl No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager	कुल राशि Total Amount
		श्री मुकेश शर्मा, (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) Mr. Mukesh Sharma (Chairman & C.E.O)	
1	सकल वेतन / Gross salary		
	(क) खंड 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	16.29	16.29
	(ख) अनुलाभ का मूल्य u/s 17 (2) आयकर अधिनियम, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	0.87	0.87
	(ग) खंड 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में मुनाफे (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961		-
2	स्टॉक ऑप्शन / Stock Option	-	-
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity		
4	कमीशन / Commission		
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में / - as % of Profit	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें / others, specify	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें / Others, please specify	-	-
	कुल (क) Total (A)	17.16	17.16
	अधिनियम के अनुसार सीमा / Ceiling as per the Act		

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक / B. Remuneration to other Directors

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

क्र. सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration		निदेशक का नाम Name of Director				कुल राशि Total Amount
			1	2	3	4	
1)	स्वतंत्र निदेशक	Independent Directors	प्रो. (डॉ.) वी.पी. एस. अरोड़ा Prof. (Dr.) V.P.S. Arora	श्री नीरज शारदा Sh. Neeraj Sharda	श्री मृदुल के. अग्रवाल Mr. Mradul K. Aggarwal	डॉ. (श्रीमती) के.के. शर्मा Dr. (Mrs.) K.K. Sharma	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	Fee for attending Board committee meetings	21,000.00	24,000.00	61,500.00	54,000.00	1,60,500.00
	कमीशन	Commission	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify	-	-	-	-	-
	कुल (1)	Total (1)	21,000.00	24,000.00	61,500.00	54,000.00	1,60,500.00
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक Other Non-Executive Directors- Directors- Nil						
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	Fee for attending Board committee meetings	-	-	-	-	-
	कमीशन	Commission	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify	-	-	-	-	-
	कुल (2)	Total (2)	0	0	0	0	0
	कुल (ख)=(1+2)	Total (B)=(1+2)	21,000.00	24,000.00	61,500.00	54,000.00	1,60,500.00

ग. प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य कार्मिक को पारिश्रमिक

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTDD

(राशि रुपये लाख में) / (Amt. ₹/Lacs)

क्र. सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम Name of Key Managerial Personnel				
			श्री मुकेश शर्मा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) Mr. Mukesh Sharma (CEO)	श्री प्रदीप कुमार काला (मुख्य वित्तीय अधिकारी) Mr. Pradeep Kumar Kala (CFO) (April 2017 to May 2017)	श्री अनिल कुमार सिंह (मुख्य वित्तीय अधिकारी) Mr. Anil Kumar Singh (CFO) (September 2017 to March 2018)	श्री विवेक शाह (कम्पनी सचिव) Mr. Vivek Shah (Company Secretary)	कुल Total
1	सकल वेतन	Gross Salary					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	16.29	2.28	8.29	6.22	33.08
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961	0.87	0.03	0.24	-	1.14
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के लिए लाभ	c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	-	-	-	-	-

क्र. सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम Name of Key Managerial Personnel				
			श्री मुकेश शर्मा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) Mr. Mukesh Sharma (CEO)	श्री प्रदीप कुमार काला (मुख्य वित्तीय अधिकारी) Mr. Pradeep Kumar Kala (CFO) (April 2017 to May 2017)	श्री अनिल कुमार सिंह (मुख्य वित्तीय अधिकारी) Mr. Anil Kumar Singh (CFO) (September 2017 to March 2018)	श्री विवेक शाह (कम्पनी सचिव) Mr. Vivek Shah (Company Secretary)	कुल Total
2	स्टॉक विकल्प	Stock Option	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	Sweat Equity	-	-	-	-	-
4	कमीशन	Commission	-	-	-	-	-
	— लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of Profit	-	-	-	-	-
	— अन्य, उल्लेख करें	- others, specify	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	Others, please specify	-	-	-	-	-
	कुल	Total	17.16	2.31	8.53	6.22	34.22

VI. दंड/सजा/अपराधों के समझौता:
VI. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type		कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाया गया जुर्माना / सजा / कंपाउंडिंग फीस का विवरण Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय] Authority [RD/ NCLT/COURT]	यदि कोई अपील की गई हो Appeal made if any (give Details)
क. कंपनी	A. Company					
Penalty levied by RBI under incentives and penalty scheme of RBI for deficiencies observed during inspection and Shortage, Mutilated, FICN detected in CVPS for the quarter ended June 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आरबीआई की प्रोत्साहन एवं दंड योजना के तहत निरक्षण के दौरान पाई गई कमियों तथा सीबीपीएस में पाई गई कमियों, त्रुटियों, एफआईसीएन के कारण लगाया गया अर्थ दंड						
दंड	Penalty	-	-	111000/-	आरबीआई RBI	शून्य / NIL
सजा	Punishment	-	-	-	-	-
समझौता	Compounding	-	-	-	-	-
ख. निदेशक	B. Directors					
दंड	Penalty	-	-	-	-	-
सजा	Punishment	-	-	-	-	-
समझौता	Compounding	-	-	-	-	-
ग. अन्य चूक. कर्ता अधिकारी	C. Other Officers in Default					
दंड	Penalty	-	-	-	-	-
सजा	Punishment	-	-	-	-	-
समझौता	Compounding	-	-	-	-	-

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरुआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) सामाजिक गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रति दीर्घावधि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हित धारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नति हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की कर्मचारियों, उनके परिवारों, स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान के लिए वचनबद्धता है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये और जो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो।

बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकर ऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं है) के विकास और उन्नति और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है। यह सीएसआर नीति इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं की सहायता, पहचान, निष्पादन और निगरानी के लिए निर्देशी दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी और इस संबंध में कानून और नीतिगत मानकों तथा पद्धतियों के अनुपालन द्वारा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के लिए स्व-विनियामक तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति सीएसआर गतिविधियों को चलाते और कार्यान्वित करते हुए नियमों का अनुपालन भी निर्धारित करेगी।

उद्देश्य

सीएसआर कारपोरेट व्यवहार और अभिशासन का उच्च स्तर है और इसे ऐसे साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो कारपोरेट और सामाजिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रयासों का सामाजिक उद्देश्यों की सतत् वृद्धि और विकास के संबंध में तालमेल करता है। सीएसआर आंतरिक (कर्मचारी, शेयरधारकों, निवेशकों) और बाह्य (सार्वजनिक अभिशासन, समुदाय सदस्यों, सिविल सोसायटी समूहों, अन्य उद्यमों) हितधारकों दोनों के लिए व्यापार गतिविधियों की लागत और व्यापार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। सीएसआर न तो परोपकार है और न ही विपणन का माध्यम। यह बैंक द्वारा समाज के कल्याण में सहयोग करने का प्रयास है जहां से वह अनिवार्य प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए सीमाओं के भीतर अपनी ताकत प्राप्त करता है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत व्यय की गयी राशि-

- क. कुल राशि जो वित्तीय वर्ष में व्यय की जानी थी
- रुपये 1.09 करोड़
- ख. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि
- रुपये 0.10 करोड़
- ग. वित्तीय वर्ष में व्यय न हो पायी (बाकी) राशि
- रुपये 0.99 करोड़

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited, since its incorporation, has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance and also in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Basically Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large, to improve their lives in ways that are good for business and for development.

The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and also reducing negative impact of its operations on the environment. This CSR Policy will serve as a guiding document to help, identify, execute and monitor CSR Projects in keeping with the spirit of the Policy and would function as a self-regulating mechanism for the Bank's CSR activities by observing adherence to laws and ethical standards and practices in this regard. The Policy also sets out the rules that need to be adhered to while taking up and implementing CSR activities.

OBJECTIVES

CSR is a niche area of corporate behavior and governance and is recognized as one of the tools that synergizes the efforts of corporate and the social sector agencies towards sustainable growth and development of social objectives at large. CSR is a process of managing the costs and benefits of business activity to both internal (employees, shareholders, investors) and external (institutions of public governance, community members, civil society groups, other enterprises) stakeholders. CSR is neither charity nor a marketing tool. It shall be an effort of the Bank to contribute to the welfare of the society from where it derives its strength, within the limits, while simultaneously ensuring the mandatory provisions.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Amount Spent during the Financial Year 2017-18 under Corporate Social Responsibility-

- A. Total amount which was to be spent in the Financial Year
- ₹ 1.09 Crore
- B. Amount spent by bank during the Financial Year
- ₹ 0.10 Crore
- C. Amount which remained unspent in the Financial Year
- ₹ 0.99 Crore

घ. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि का विवरण (व्यय स्वरूप) निम्नवत है—

D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below-

राशि लाख में (Amount in Lac)

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना अथवा चयनित गतिविधि CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. राज्य तथा जिले जहां परियोजना परिवालित की गई Projects or programs (1) Local area or other (2) State and district Where projects or Programs were undertaken	परिव्यय की राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम— वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष 1 परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2 ओवरहेड्स। Amount spent on the projects Or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
1.	रोगी वाहन Ambulance	रोगियों को वाहन प्रदान करना Providing conveyance to patients	जीबी पंत अस्पताल (रैमसे), नैनीताल G.B. Pant Hospital (Ramsey), Nainital	3.33	3.33	3.33	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & C.E.O
2.	जनरेटर सेट Generator Set	रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना Providing medical assistance to Patients	पंत अस्पताल (रैमसे), नैनीताल G.B. Pant Hospital (Ramsey), Nainital	3.38	3.38	6.71	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & C.E.O
3.	नैनीताल समाचार निबंध प्रतियोगिता का प्रायोजन Sponsoring of Nainital Samachar Essay Competition	शिक्षा उन्नयन और साक्षरता केस्तर को बढ़ावा देना To promote education & upliftment of literacy level	Shaheed Major Rajesh Adhikari Govt. Inter College, Nainital	0.15	0.15	6.86	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
4.	71 वें स्वतंत्रता दिवस परबच्चों के लिये फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजन Sponsoring of 71th Independence day children's football tournament	ग्रामीण प्रतिभाओं और खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए To promote & encourage rural talent & sports	डीएसए स्पोर्ट्स ग्राउंड नैनीताल D.S.A. Sports Ground Nainital	0.50	0.50	7.36	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना अथवा चयनित गतिविधि CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. राज्य तथा जिले जहां परियोजना परिचालित की गई Projects or programs (1) Local area or other (2) State and district Where projects or Programs were undertaken	परिव्यय की राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम— वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष 1 परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2 ओवरहेड्स। Amount spent on the projects Or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
5.	बैंक के 96 वें स्थापना दिवस पर, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स को दो वार्डरोब का दान। Donation of two wardrobes to National Association for the Blinds, on 96th foundation day of the bank.	समाज के दृष्टिहीन लोगों की मदद करने के लिए। To help visually impaired persons of the society.	एन ए बी गोलापुर हल्दवानी N.A.B. Gaulapar, Haldwani.	0.19	0.19	7.55	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
6.	चेजर्स फाउंडेशन, नैनीताल डीएसए स्पोर्ट्स ग्राउंड नैनीताल द्वारा आयोजित 7 ए साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजन। Sponsoring of 7 A side football tournaments organized by Chasers foundation, Nainital D.S.A. Sports Ground Nainital	खेल के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओंको बढ़ावा देने के लिए To promote local talent in the field of sports.	डीएसए स्पोर्ट्स ग्राउंड नैनीताल D.S.A. Sports Ground Nainital	0.25	0.25	7.80	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
7.	सेवानिवृत्त राज्य पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन के वार्षिक समारोह, "बाल दिवस" का प्रायोजन। Sponsoring retired state pensioners Kalyan Association annual function," Baal Divas".	80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के लिए वार्षिक समारोह To honor senior citizens, above 80 years. Annual Function	सम्मेलन हॉल नैनीताल क्लब नैनीताल Conference hall Nainital Club Nainital	0.05	0.05	7.85	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना अथवा चयनित गतिविधि CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. राज्य तथा जिले जहां परियोजना परिचालित की गई Projects or programs (1) Local area or other (2) State and district Where projects or Programs were undertaken	परिव्यय की राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम- वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष 1 परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2 ओवरहेड्स। Amount spent on the projects Or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
8.	वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्थापित "शारदा संघ" संगठन द्वारा आयोजित बाल चित्र कला प्रतियोगिता Sponsoring Baal Chitra Kala Pratiyogita 2017-18 organization founded by senior citizens "Sharda Sangh"	स्थानीय बच्चों में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना To promote art & culture amongst local children	म्युनिसिपल गार्डन, निकट बोट क्लब नैनीताल Municipal Garden Near Boat House Club, Nainital	0.25	0.25	8.10	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
9.	कुमाऊं विश्वविद्यालय कैम्पस भीमताल के मैनेजमेंट विभाग के वार्षिक उत्सव कैनवास का प्रायोजन Sponsoring Annual Fest. CANVAS at Deptt. Of Management Studies Kumaon University Campus Bhimtal	कुमाऊं क्षेत्र के कॉलेज के छात्रों की प्रतिभा और कौशल को प्रोत्साहित करना और निखारना। To encourage & nurture talent & skills of college students of Kumaon Region.	कुमाऊं विश्वविद्यालय भीमताल Kumaon University, Bhimtal	0.30	0.30	8.40	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
10.	नगर पालिका पारिशद नर्सरी स्कूल नैनीताल के 112 गरीब छात्रों को ब्लेज़रों का वितरण Blazers distribution to 112 poor students of Nagar Palika Parishad Nursery School, Nainital	निर्धन छात्रों को गर्म ब्लेज़र उपलब्ध कराने के लिए To provide warm blazers to poor students.	नगर पालिका पारिशद नर्सरी स्कूल, नैनीताल Nagar Palika Parishad Nursery School, Nainital	0.74	0.74	9.14	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & C.E.O

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना अथवा चयनित गतिविधि CSR project or activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2. राज्य तथा जिले जहां परियोजना परिचालित की गई Projects or programs (1) Local area or other (2) State and district Where projects or Programs were undertaken	परिव्यय की राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम— वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष 1 परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2 ओवरहेड्स। Amount spent on the projects Or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	संस्वीकृति प्राधिकारी Sanctioning Authority
11.	नयनज्योति समिति, तल्लीताल, नैनीताल द्वारा नि: शुल्क आई चेक अप शिविर Free Eye Check up camp by Naini Jyoti Samiti, Tallital, Nainital	स्थानीय निवासियों को नि: शुल्क जांच सुविधा प्रदान करने के लिए। To provide free check up to the local residents.	फ्री मैनशन हॉल नैनीताल Free Mansion Hall, Nainital	0.10	0.10	9.24	मुख्य परिचालन अधिकारी C.O.O
12.	बीडीओ कार्यालय, बहादराबाद (यूके) में एक कंटेनर आरओ प्रदान करना Providing one Kentt R.O. B.D.O. Office, Bahadarabad (U.K.)	समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु To provide safe drinking water to the community.	बी. डी. ओ. कार्यालय, बहादराबाद, रुड़की B.D.O. Office, Bahadarabad, Roorkee.	0.16	0.16	9.40	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer
13.	स्कूल बैग और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना Providing school bags serva samajamd other realted study material	शिक्षा Education	ऑल सोसाइटी फेडरेशनऑफ़ इंडिया भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली All societies federation of India Bhikaji Cama Place, New Delhi	0.35	0.35	9.75	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chairman & C.E.O
	कूल Total			9.75	9.75	9.75	

यद्यपि बैंक को सीएसआर गतिविधियों के लिए कई प्रस्ताव, अनुरोध प्राप्त हुए लेकिन इन पर इसलिए विचार नहीं किया गया क्योंकि ये प्रस्ताव, अनुरोध सीएसआर गतिविधियों के लिए उचित/अर्हता प्राप्त नहीं पाए गए। जिसके परिणामस्वरूप इस निधि का उपयोग कम हो पाया। बैंक एतद् द्वारा पुष्टि करता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी बैंक की सीएसआर नीति एवं इसके उद्देश्यों के अनुरूप है।

However, the bank had received various proposals, requests for CSR activities but did not consider them, as the same did not qualify for CSR activities which resulted in the underutilization of the funds. The bank hereby, confirms that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with the CSR objectives and policy of the bank.

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ— बैंक का डिजिटलइजेशन

बैंक ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में इस आशय का उल्लेख किया है कि बैंक ने डिजिटलइजेशन के माध्यम से बैंक में सुधार लाने का प्रस्ताव किया है और यह सूचित किया है कि बैंक की डिजिटलइजेशन प्रक्रिया को लागू करने की लागत अधिक हो सकती है या बैंक पर इसका अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जबकि इसके फलस्वरूप दीर्घावधि में हमारे बैंक राजस्व में कई गुना वृद्धि होगी और यह बैंक को अन्य बैंकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में भी मदद करेगा।

उपर्युक्त के संबंध में बैंक ने डिजिटल वेंचर के लिए मुंबई में स्थित एक कोर टीम नियुक्त की है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से मुंबई में एक प्रोजेक्ट ऑफिस खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है। 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने बैंक के डिजिटलइजेशन के लिये रु. 2.91 करोड़ (लगभग), जिसमें वेतन, उपकरण और अन्य सहायक खर्च शामिल हैं, व्यय किये हैं।

डिजिटलइजेशन के लिये बैंक ने निम्नलिखित अनुसार कदम उठाये हैं:-

1. बैंक ने, बैंक के डिजिटलइजेशन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए निवेशकों की पहचान के लिए क्रेडिट सुइस सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निवेश बैंकर को नियुक्त किया है। यदि निवेश बैंकर ऐसे संभावित निवेशकों की पहचान करता है जो बैंक के डिजिटलइजेशन के लिए आवश्यक धन निवेश करने के लिए सहमत हैं बशर्ते वे लागू सभी नियामक आवश्यकताओं (आरबीआई और डीएफएस) (एमओएफ) और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी के अनुपालन करते हों, तो इस निधि के नियोजन के परिणामस्वरूप बैंक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है।
2. बैंक ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध की प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित एक एंड टू एंड डिजिटल उद्यम के लिए डिजाइन, सृजन, लॉन्च और पोस्ट-लॉन्च सेवाओं के लिए परामर्श भागीदार की पहचान की है।

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को, महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिये गये बहुमूल्य दिशा निर्देशों एवं उचित समय पर दिये गये सहयोग के लिए, जिसके बिना वर्तमान परिणाम प्राप्त करना संभव न होता, कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी हित धारकों के प्रति उनके सतत् संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की, उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए भी सराहना करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी, उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा-निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

स्थान: नोएडा

दिनांक: 21.06.2018

(मुकेश शर्मा)

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS – DIGITISATION OF THE BANK

The bank in the previous Annual Report has expressed that the bank has proposed for revamping the bank through digitisation and further informed that the cost for implementing the digitization process of the bank might be high or add burden to banks financials, but in the long run it will increase our banks revenue manifold and also help the bank to sustain stiff competition from other banks.

In relation to the above the bank has appointed a Core Team for Digital Venture which is located in Mumbai. For the Financial Year ending 31.03.2018 the bank has spent Rs. 2.91 Crore (Approximately) towards digitisation of the bank, which includes salary, equipments and other ancillary expenses.

For digitisation the bank has taken the following steps as under-

1. Bank has appointed an Investment Banker named Credit Suisse Securities Private Limited for identifying the investors for funds needed for the digitisation of the bank. In case the Investment Banker identifies potential investors who agree for investing funds needed for the digitization of the bank subject to compliances of all applicable regulatory requirements and clearances from competent authorities RBI and DFS (MOF), this induction of funds might result in change in the shareholding pattern of the bank.
2. Bank has identified a consulting partner for design, build, launch and post-launch services for an end-to-end digital venture set up through process of Request for Proposal.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

For and on Behalf of The Board of Directors

Place: Noida

Date: 21st June, 2018

(Mukesh Sharma)

Chairman & CEO

फार्म न. MR-3**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए**

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम संख्या 9 के अनुसार (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014,

**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए**

सेवा में,
श्रीमान सदस्य
नैनीताल बैंक लिमिटेड
नैनी बैंक हाउस, सेवेन ओक्स
मल्लीताल नैनीताल, उत्तराखंड -2631001

सिन नं. U65923UR1922PLC000234**अधिकृत पूंजी : 1,500,000,000****चुक्ता पूंजी: 77,50,00,000**

मैं रमेश कुमार टंडन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सी पी न. 3356 ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैनीताल बैंक लिमिटेड का सचिवीयपद्धतियों के पालन एवं लागू सांविधिक प्रावधानों के परिपालन कीलेखा परीक्षा दिनांक 12से 15 जून 2018 तक किया जिसमें दिनैनीताल बैंक लिमिटेड (जिसे यहां बैंकिंग कंपनी कहा गया है) द्वारा बेहतर कार्पोरेट प्रथाओं के पालन एवं लागू सांविधिक प्रावधानों के परिपालन कीलेखा परीक्षा की गई। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई कि मुझे वैधानिक अनुपालन एवं कार्पोरेट आचरण के परिपालन का मूल्यांकन के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ, और जिससे मैं अपनी राय व्यक्त कर सकूँ।

नैनीताल बैंक लिमिटेड की बहियों, कागजातों, कार्य वृत्त पुस्तको, फार्म औरदायर रिटर्न और अन्य रिकार्ड, जो कंपनी ने रखे हैं के सत्यापन के आधार पर और कंपनी एवं इसके अधिकारियों, एजेंट एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान दी गयी जानकारी के आधार पर मैं व्यक्त करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में नीचे दिए गए नियमों का संविधिकरूप से पालन किया है और कंपनी के पास उचित-बोर्ड-प्रक्रिया एवं उचित अनुपालन-तंत्र है जो यहां दिये गए तरीके और इस सीमा तक नीचे दी गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

मैंने नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंकिंग कंपनी) की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की बहियों/बुक्स, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और दायर रिटर्न एवं अन्य रिकार्डों की कंपनी अधिनियम के उपबंधों, 2013 (अधिनियम) के तहत बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार की जांच की है तथा जहां लागू है, निम्नलिखित के संबंध में-

क) विविध सांविधिक रजिस्टर और दस्तावेजों का रख-रखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां।

Form No. MR-3**SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 2017-18**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

**SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 2017-18**

To
The Members
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

CIN NO: U65923UR1922PLC000234**AUTHORISED CAPITAL: 1,500,000,000****PAID UP-CAPITAL: 77, 50, 00,000**

I, Ramesh Kumar Tandon Practising Company Secretary having CP No.3556 have conducted the Secretarial Audit, from 12th to 15th day of June 2018 at Nainital, of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Nainital Bank Limited (hereinafter called the Banking Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my inspection of The Nainital Bank Limited books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2018 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by The Nainital Bank Limited ("the Banking Company") for the financial year ended on 31st March, 2018 according to the provisions of The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; The Banking Regulation Act, 1949; RBI Act, 1934 as and where applicable with regard to-

a. Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;

- ख) फार्म, विवरणी, दस्तावेज और प्रस्ताव जिन्हें रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, एन.सी.एल.टी. या अन्य अधिकारियों के सम्मुख फाइल किया जाना अपेक्षित है।
- ग) बोर्ड और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों के नोटिस।
- घ) निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैठकों और परिपत्र सेपारित प्रस्ताव।
- ङ) वार्षिक साधारण सभा, जो 29 जुलाई, 2017 को हुई, को आयोजित किये जाने कानोटिस 17 जून, 2017 को।
- च) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और सामान्य बैठकों की कार्य वाही का कार्यवृत्त।
- छ) निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों का संगठन और निदेशकों जिनमें प्रबन्ध निदेशक और कार्यकारी निदेशक भी सम्मिलित हैं की नियुक्ति, निवृत्ति और पुनर्नियुक्ति।
- ज) सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और मानदेय।
- झ) आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए निरीक्षण विभाग की समिति कागठन।
- ञ) कम्पनी के शेयरों का अन्तरण और संचरण, शेयरों को जारी और आबंटित करना और शेयर सर्टिफिकेटों की सुपुर्दगी।
- ट) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान।
- ठ) जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, निवेशक शिक्षा और संरक्षणकोष में राशि काअन्तरण।
- ड) निदेशक मंडल की रिपोर्ट।
- ढ) 31 मार्च, 2017 के तुलनपत्र को प्रकाशित करवाना और उन महत्वपूर्ण विवरणियों को फाइल करना जैसे- बैंक की तरल आस्तियां और देयताएं, फार्म-8 जिन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना है।
- ण) इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सेक्रेटरीयल मानकों के प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन।
- त) सीएसआर कमेटी का गठन एवं कम्पनीज एक्ट 2013 के खण्ड 135 केअनुसार इसका कार्यान्वयन।
- थ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई और पूंजी जारी नहीं की गई।
- द) सामान्यतः अधिनियम के अन्य सभी प्रयोज्य प्रावधान और उसके अन्तर्गत नियम।
- b. Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, NCLT or other authorities;
- c. Notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- d. Meetings of Directors and all the Committees of Directors and passing of circular resolutions;
- e. Notice dated 17th June, 2017 for convening of Annual General Meeting which was held on 29th July, 2017;
- f. Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee Meetings and General Meetings;
- g. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment, retirement and reappointment of Directors including Managing Directors and Executive Directors;
- h. Appointment and remuneration of Statutory & Internal Auditors;
- i. Constitution of inspection department committee for conducting internal audit;
- j. Transfer and transmission of the Company's shares, issue and allotment of shares and issue and delivery of certificates of shares;
- k. Declaration and payment of dividend;
- l. Transfer of amounts as required under the Act to the Investor Education and Protection Fund;
- m. Report of the Board of Directors;
- n. Publishing of Balance sheet as on 31st March, 2017& filing of important returns which are to be submitted to the RBI such as return of Bank's Liquid Assets & Liabilities, form 8, as per the Banking regulation Act, 1949;
- o. Compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of the Company Secretaries of India;
- p. CSR Committee constituted and functioning in accordance with the section 135 of Companies Act, 2013;
- q. No further Capital was issued during the FY 2017-18.
- r. Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देश, मानकों, आदि का पालन किया है।

सीएसआर अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, नैनीताल बैंक लिमिटेड के लिये प्रत्येक पिछले वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी को हुए औसत शुद्ध लाभ के कम से कम दो प्रतिशत खर्च अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्वों के अनुसरण में करना आवश्यक है, लेकिन

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.

CSR COMPLIANCES

According to section 135 of Companies Act, 2013, The Nainital Bank Limited is required to spend, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pur-

बैंक ने रुपये 1,09,00,000.00 राशि (औसत शुद्ध लाभ का 2%) के समक्ष रु. 9,75,000 व्यय किये। वर्ष के दौरान बैंक को सीएसआर गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रस्ताव, अनुरोध प्राप्त हुए थे, लेकिन इस पर विचार नहीं किया क्योंकि यह सीएसआर गतिविधियों के लिए अर्हताएं/शर्तें पूरी नहीं करते थे। बैंक ने निधि के कमउपयोग के संबंध में सीएसआर समिति को सूचित कर दिया है।

सीएसआर में खर्च की गई धनराशि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक कुल राशि का 10% है जिसके लिए बोर्ड को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैंकिंग कार्यों का डिजिटाइजेशन

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, बैंक ने बैंक के डिजिटाइजेशन के लिए व्यापक योजना शुरू की है, जिसमें बैंक को नए प्लेटफॉर्म पर ले जाना शामिल है, जो कि समय की मांग है और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। हमें उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, व्यय की गई राशि बोर्ड की मंजूरी के अनुसार थी। तात्कालिक मामलों में बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों का पालन किया है।

श्रम कानूनों का अनुपालन

हमें उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार बैंक विभिन्न श्रम और अन्य संबंधित कानूनों का अनुपालन कर रहा है जो इस पर लागू होते हैं।

मुझे आगे कहना है कि—

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक भी है। समीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरर्स की संरचना में परिवर्तन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013, जहां लागू हो के अनुपालन में किया गया है। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यक नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गये हैं और बैठक से पहले बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए समुचित नोटिस दिया जाता है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे दिये गये थे और बैठक से पहले बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा कार्यसूची मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एकव्यवस्थित कार्य पद्धति है। सचिवीय मानक में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

मुझे आगे कहना है कि कंपनी में प्रक्रियाओं और अनुपालन पर नजर रखने के लिए बैंक के आकार एवं संचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं हैं तथा यहलागू कानूनों, नियमों, दिशा निर्देशों और नियमों के अनुपालन के अनुरूप सुनिश्चित हैं।

(रमेश कुमार टंडन)

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

दिनांक: 15.06.2018

स्थान: नैनीताल

सदस्यता क्रमांक एफ 672

सीपी संख्या 3556

suance of its Corporate Social Responsibility, but the Bank has spent funds amounting to Rs. 9,75,000 out of Rs. 1,09,00,000.00 (2% of average net profit). During the year the bank had received various proposals, requests for CSR activities but did not consider it as the same did not qualify for CSR activities. The bank has also informed the CSR Committee for under utilisation of the funds.

The funds spent on CSR are approx. 10% of the total amount required to be spent during FY 2017-18 which requires immediate attention of the Board.

DIGITISATION OF BANKING FUNCTIONS

As per information furnished, the Bank has embarked upon the extensive plan for digitisation of the bank, which entails moving the Bank to a new platform which is the need of the hour and is in line with the priorities of the Government. According to the information provided to us, the amount expended was in accordance with the approval of the Board. The bank has complied with the standards of Corporate Governance in the instant matter.

COMPLIANCE IN RELATION TO LABOUR LAWS

As per the information provided to us the Bank is in compliance with various labour and other related laws as applicable upon it.

I further report that -

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors one of them is also a women director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and Companies Act, 2013 wherever applicable.

Proper notice is given to all directors to attend the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The guidelines as given in the Secretarial Standard have been followed.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

(RAMESH KUMAR TANDON)

Company Secretary in Practice

Date: 15.06.2018

Place: Nainital

Membership No. F672

CP No. 3556

इस रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में अनुलग्नक I के साथ पढ़ा जाए।

“अनुलग्नक-I”

सेवा में
श्रीमान सदस्य
नैनीताल बैंक लिमिटेड
नैनी बैंक हाउस, सेवेन ओक्स
मल्लीताल नैनीताल, उत्तराखंड -263001

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए **नैनीताल बैंक लिमिटेड** की सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित की जिसका गठन 31.07.1922 को हुआ था, जिसका पंजीकरण आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्टार के पास हुआ है। हमारी राय में **नैनीताल बैंक लिमिटेड** ने विधिवत लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया है। यह पाया गया कि रिकार्डों को ठीक से रखा गया है और संरक्षित किया गया है।

मैं आगे निम्नलिखित घोषणा करता हूँ।

1. सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर राय व्यक्त करने के लिए है।
2. हमने लेखा परीक्षा अभ्यास और प्रक्रिया का पालन किया है जो सचिवीय और अन्य रिकार्डों की सामग्री की शुद्धता और अंतर्वस्तु के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।
3. एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते खातों और लेखा मानक की पुस्तक की सत्यता का ऑडिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जा रहा है।
4. जहाँ भी आवश्यक है हमने बैंकिंग कंपनी और उसके परिणामी कानूनों पर लागू विभिन्न कानूनों के अनुपालन के संबंध में जानकारी, दस्तावेज़ और प्रबंधन के विचार प्राप्त किये हैं। स्पष्टीकरण और बैंक प्रबंधन के विचार प्रथम दृष्टया अनुपालन की पुष्टि करते हैं।
5. रिपोर्ट तैयार करने में, हमने हमारे सामने प्रस्तुत दस्तावेज़ों, व्यक्तिगत रूप से हमें दिए गए खुलासे और हमें प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया है।

(रमेश कुमार टंडन)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता क्रमांक एफ 672
सीपी संख्या 3556

दिनांक: 15.06.2018
स्थान: नैनीताल

This report is to be read with the Annexure I to this report

“Annexure-I”

To
The Members
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

I am pleased to inform that I have conducted the Secretarial Audit of **‘The Nainital Bank Limited’** which was incorporated on 31.07.1922, registered under the **Registrar of Joint Stock Companies United Provinces of Agra and Oudh** for the financial year **2017-18**. As per our opinion **‘The Nainital Bank Limited’** has duly complied with the provisions of the applicable laws as and when required. The Records were found to be properly maintained and preserved.

I further declare the following.

1. Maintenance of the Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practice and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial and other records.
3. Being a Banking company the correctness of the Book of accounts and accounting standard are being audited by the Central Statutory Auditors approved by the Reserve Bank of India.
4. Wherever required we have obtained information, documents and management views with regard to compliance of various laws applicable on banking company and consequential laws thereof, the explanations and views of Bank's Management prima facie confirm compliances.
5. In preparation of the report, we have relied on documents presented before us, disclosures made to us in person and certificates rendered to us.

(RAMESH KUMAR TANDON)
Company Secretary in Practice
Membership No. F672
CP No. 3556

Date: 15.06.2018
Place: Nainital

बेसल-III पिलर-3 प्रकटीकरण (31.03.2018)**BASEL-III PILLAR-3 DISCLOSURES (31.03.2018)**

सारणी डीएफ- 1: लागू किये जाने का दायरा

Table DF- 1: Scope of Application

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है :

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

The Nainital Bank Ltd.

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

i) Qualitative Disclosures:

क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके।

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम / निगमन देश	क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उस हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
शून्य / Nil						

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिए गए समूह हस्तियों की सूची।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो।

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ii) Quantitative Disclosures:

ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

c. List of group entities considered for consolidation

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे लिया गया हो।

There is no such entity which may be considered for consolidation.

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है :

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का अवसर नहीं है।

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियां (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई रुचि नहीं रखता है।

The bank has no interest in insurance entity.

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियां या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं।

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

कोई प्रतिबंध नहीं है।

There is no restriction.

सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने एक संतुलित जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधिक लाभ या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल-III की रुपरेखा के अनुसार वैश्विक रूप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैंच मार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:-

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक व्यूह रचना और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पूंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन समिति करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

बैंक एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (ICAAP) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है :

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

i) Qualitative Disclosures

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel-III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं. सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2018
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं:	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	364.12
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	----
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	46.51
	• ब्याज दर जोखिम	36.74
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	----
	• इक्विटी जोखिम	9.77
(घ)	परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं	
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	44.64
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात :	
	• समेकित समूह के लिए	
	• सीईटी 1 अनुपात	----
	• टियर 1 अनुपात	----
	• टियर 2 अनुपात	----
	• सीआरएआर	----
	• एकल सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	14.51%
	• टियर 1 अनुपात	14.51%
	• टियर 2 अनुपात	0.44%
	• सीआरएआर	14.95%

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :-

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ -

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) रहा है।
- खरीदे गए तथा बड़े खाते डाले गए बिलों के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया अतिदेय बिल।
- अल्पावधि फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।

ii) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crores) 31.03.2018
(b)	Capital requirements for Credit Risk	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	364.12
	• Securitization Exposures	----
(c)	Capital requirements for Market Risk	
	• Standardized Duration Approach	46.51
	• Interest Rate Risk	36.74
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	----
	• Equity Risk	9.77
(d)	Capital requirements for Operational Risk	
	• Basic Indicator Approach	44.64
(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:	
	• Group CRAR	
	• CET 1 Ratio	----
	• Tier 1 Ratio	----
	• Tier 2 Ratio	----
	• CRAR	----
	• Stand alone CRAR	
	• CET 1 Ratio	14.51%
	• Tier 1 Ratio	14.51%
	• Tier 2 Ratio	0.44%
	• CRAR	14.95%

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

- लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

किसी भी ओ.डी./सी.सी. खाते को उस स्थिति में **“खराब”** खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अवधि में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते खराब समझे जाते हैं।

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उस स्थिति में **“अतिदेय”** माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है –

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय-अवमानक आस्तियों से भी सम्बंधित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में “क्लीयरेंस” प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जाएगा।

संदिग्ध आस्तियां

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हैं/जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

हानिकर आस्तियां

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष/देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैंकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण/पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as ‘out of order’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as ‘out of order’.

An amount due to the bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

Strategies and Processes

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं—स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है :

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अत्यधिक वृद्धि करना ताकि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित होने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों को आर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry.
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियाँ

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख-रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, कमियों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा आकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक में ऋण एक्सपोजर के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली विद्यमान है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल जोखिम एक्सपोजर

विवरण	राशि (करोड़ रु. में) 31.03.2018
निधि आधारित एक्सपोजर	3440.22
गैर निधीतर आधारित एक्सपोजर	138.91
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	3579.13

ग) एक्सपोजरों का भौगोलिक वितरण:

एक्सपोजर	राशि (करोड़ रु. में)	
	निधि आधारित एक्सपोजर	निधीतर आधारित एक्सपोजर
घरेलू परिचालन	3440.22	138.91
ओवरसीज परिचालन	----	----
कुल	3440.22	138.91

Architecture and Systems of the Bank

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

ii) Quantitative Disclosures

b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2018
Fund Based Exposures	3440.22
Non-fund Based Exposures	138.91
Total Gross Credit Exposures	3579.13

c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Crores)	
	Fund Based Exposures	Non-fund Based Exposures
Domestic operations	3440.22	138.91
Overseas operations	----	----
Total	3440.22	138.91

घ) एक्सपोजरों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण:

d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

कं. सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित (अवशेष) Fund Based (O/s)	गैर निधि आस्तियां (अवशेष) Non Fund Based (O/S)	कुल Total
A	खान एवं खनन	Mining and Quarrying	39.46	0.18	39.64
A.1	कोयला	Coal	0.00	0	0
A.2	अन्य	Other	39.46	0.18	39.64
B	फूड प्रोसेसिंग	Food Processing	107.60	0.11	107.71
B.1	चीनी	Sugar	33.36	0.06	33.42
B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	29.75	0	29.75
B.3	चाय	Tea	0.60	0	0.6
B.4	काफी	Coffee	0.00	0	0
B.5	अन्य	Others	43.89	0.05	43.94
C	पेय पदार्थ	Beverages	0.15	0.01	0.16
C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0	0
C.2	अन्य	Others	0.15	0.01	0.16
D	टैक्सटाईल	Textiles	61.00	8.59	69.59
D.1	सूती टैक्सटाईल	Cotton Textile	1.30	0	1.3
D.2	जूट टैक्सटाईल	Jute Textile	0.00	0	0
D.3	हैन्डीक्राफ्ट / खादी	Handicraft/Khadi	45.54	7.99	53.53
D.4	सिल्क	Silk	0.00	0	0
D.5	ऊनी	Woollen	0.00	0	0
D.6	अन्य	Others	14.16	0.6	14.76
	टैक्सटाईल में से स्पनिंग मिलों को	Out of D to Spinning Mills	0.00	0	0
E	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	Leather and Leather Products	14.13	0.14	14.27
F	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	Wood and Wood Products	4.79	0	4.79
G	कागज और कागज के उत्पाद	Paper and Paper Products	37.08	0.5	37.58
H	पैट्रोलियम	Petroleum	0.72	0	0.72
I	कैमिकल और कैमिकल उत्पाद	Chemicals and Chemical Products	25.39	0.12	25.51
I.1	फर्टिलाइजर	Fertilizers	0.50	0	0.5
I.2	दवाई एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	4.62	0.01	4.63
I.3	पेट्रो - कैमिकल्स	Petro-Chemicals	0.00	0	0
I.4	अन्य	Other	20.27	0.11	20.38
J	रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	Rubber Plastic and their Products	46.18	0.01	46.19
K	कांच एवं कांच के उत्पाद	Glass and Glassware	9.86	0	9.86
L	सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद	Cement and Cement Products	32.40	0	32.4

क्र. सं. S. No.	उद्योग / Industry		निधि आधारित (अवशेष) Fund Based (O/s)	गैर निधि आस्तियां (अवशेष) Non Fund Based (O/S)	कुल Total
M	मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद	Basic Metal and Metal Products	51.66	0.31	51.96
M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	40.21	0.13	40.34
M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	11.44	0.18	11.62
N	सभी इंजीनियरिंग	All Engineering	101.13	9.55	110.67
N.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	Electronics	0.98	0	0.98
N.2	अन्य इंजीनियरिंग	Other Engg	100.14	9.55	109.69
O	वाहन, वाहन के पुर्जे और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	Vehicle, vehicle parts and Transport Equipments	13.61	0.01	13.62
P	रत्न एवं आभूषण	Gems and Jewellery	0.00	0	0
Q	निर्माण	Construction	38.63	8.66	47.29
R	आधारभूत सुविधाएं	Infrastructure	94.76	8.11	102.87
R.1	ट्रांसपोर्ट	Transport	86.21	6.35	92.56
R.1.1	रेलवे	Railways	0	0	0
R.1.2	रोडवेज	Roadways	17.07	6.35	23.42
R.1.3	एविएशन	Aviation	0	0	0
R.1.4	वाटरवेज	Waterways	0	0	0
R.1.5	अन्य ट्रांसपोर्ट	Others Transport	69.14	0	69.14
R.2	ऊर्जा	Energy	0	0	0
R.2.1	विद्युत उत्पादन-ट्रांस-संवितरण	Electricity gen-trans-distribution	0.00	0	0
R.2.1.1	जिसमें से राज्य बिजली बोर्ड	Of which state electricity board	0	0	0
R.2.2	तेल	Oil	0	0	0
R.2.3	गैस/एल.एन.जी.(भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Gas/LNG(Storage and Pipeline)	0	0	0
R.2.4	अन्य	Other	0	0	0
R.3	संचार	Telecommunication	0.57	0	0.57
R.4	अन्य	Others	7.98	1.76	9.74
R.4.1	वाटर सेनिटेशन	Water Sanitation	0	0	0
R.4.2	आधारभूत सामाजिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं	Social and Commercial Infrastruc- ture	7.98	1.76	9.74
R.4.3	अन्य	Others	0	0	0
S	अन्य उद्योग	Other Industries	41.46	2.51	43.97
	समस्त उद्योग (सकल)	ALL INDUSTRIES(Total)	719.99	38.81	758.80
	अवशिष्ट अन्य अग्रिम(उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है)	Residuary other advances (not included above)	2720.22	100.11	2820.33
	सकल ऋण और अग्रिम	Total Loan & Advances	3440.21	138.92	3579.13

उद्योगों को उस ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के समग्र सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है:

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क. सं. S.No.	उद्योग Industry	कुल एक्सपोजर (रुपये करोड़ में) Total Exposure (in Crores)	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत % of Total Gross Credit Exposure
	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ड) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण:

e) Residual maturity breakdown of assets

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crores)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष/ Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि/ Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश/ Investments	अग्रिम/ Advances	स्थिर आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां/ Other Assets	जोड़ / Total
1 दिन / Day	88.27	255.01	35.34	80.37	0.00	27.50	486.49
2-7 दिन / Day	11.54	73.59	29.56	98.35	0.00	7.07	220.11
8-14 दिन / Day	7.99	14.81	133.10	107.12	0.00	0.63	263.65
15-30 दिन / Day	8.75	89.70	277.06	311.67	0.00	0.90	688.08
31-2 महीने / Month	10.52	102.97	318.00	115.89	0.00	13.04	560.42
2-3 महीने / Month	15.11	124.92	104.49	118.29	0.00	13.04	375.85
3-6 महीने / Month	36.02	414.78	0.00	220.17	0.00	57.37	728.34
6-12 महीने / Month	91.50	1389.18	0.00	134.32	0.00	1.15	1616.15
1-3 वर्ष / Year	112.45	25.08	51.18	1617.75	0.00	0.44	1806.9
3-5 वर्ष / Year	2.60	0.00	76.24	225.28	0.00	7.44	311.56
5 वर्ष से अधिक Over 5 Year	0.95	0.00	679.79	334.72	33.81	7.87	1057.14
जोड़ / TOTAL	385.70	2490.04	1704.76	3363.93	33.81	136.45	8114.69

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crores)

क. सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		जोड़ / Amount
f)	एनपीए (सकल) :	NPAs (Gross)*:	167.47
	अवमानक	Substandard	43.13
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	59.33
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	30.66
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	24.35
	हानिकर	Loss	10.00
g)	शुद्ध एनपीए	Net NPAs	39.51
h)	एनपीए अनुपात	NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances (%)	4.87%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances (%)	1.16%

क.सं. S.No.	आस्ति श्रेणी / Asset Category		जोड़ / Amount
i)	एनपीए (सकल) में उतार-चढ़ाव	Movement of NPA (Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	164.26
	वृद्धि	Additions	47.90
	कमी	Reductions	44.69
	अन्तिम शेष	Closing balance	167.47
j)	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	65.08
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	17.30
	बट्टे खाते	Write offs	13.54
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना	Write back of excess provisions	0.00
	प्रावधानों के बीच अन्तरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions	7.47
	अन्तिम शेष	Closing balance	76.31
आय विवरण में सीधे बुक किये गये राइट-आफ Write-offs that have been booked directly to the income statement			13.54
आय विवरण में सीधे बुक किये गयी वसूलियां Recoveries that have been booked directly to the income statement			7.82
k)	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing Investments	0.00
l)	गैर निष्पादक निवेश के लिए किये गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	0.00
m)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions for depreciation on investments	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	5.15
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	0.22
	बट्टे खाते	Write-off	0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना	Write back of excess provisions	0
	अन्तिम शेष	Closing balance	5.37
n)	मुख्य उद्योग द्वारा या प्रतिपक्षकार प्रकार:	By major industry or counter type	
		एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान / Provision
	5 शीर्ष उद्योग	Top 5 Industries	27.38 11.30
o)	भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण	Geographic-wise breakup	सकल एनपीए / Gross NPA प्रावधान / Provision
	घरेलू	Domestic	167.48 121.76

सारणी डीएफ-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बैंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेन्सियों को ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्धारण समितियां—

- क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (CARE)
- किसिल लिमिटेड
- इकरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग(पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिक वर्क
- एसएमईआरए

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया:

उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णन:

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक है लघु अवधि की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिप. क्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अवधि की ऋण पात्रता निर्धारण भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की रेटिंग को स्वीकार करता है।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर के लिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो।
- रु. 50 करोड़ से अधिक की राशि बाह्य रेटिंग के अधीन है।
- बैंक ने अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों से केवल मांगी गई निर्धारित दर को स्वीकार किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक की बकाया (पात्रता निर्धारण किए तथा पात्रता निर्धारण न किए) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है :

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above ₹ 50 Crores are subject to external rating.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

ii) Quantitative Disclosures

b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (दर निर्धारित या बिना दर निर्धारित) के आधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2018	निधीतर आधारित 31.03.2018
1	100 % जोखिम भार से कम	1738.40	0.00
2	100 % जोखिम भार	1079.64	95.96
3	100 % जोखिम भार से अधिक	236.67	0.00
4	कुल सीआरएम कटौती	385.49	42.96
5	कुल एक्सपोजर	3440.21	138.92

सारणी डीएफ-5 : ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है : जिसमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना व्यवस्था सम्मिलित है। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:-

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने के कारण/ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना;
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विकों और गारंटियों की वैधता ओर मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है।

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियां बैंक के पैनल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन के आधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पालिसी गाइडलाइन्स) में दिये गए हैं।

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2018	Non-Fund Based 31.03.2018
1	Below 100 % risk weight	1738.40	0.00
2	100 % risk weight	1079.64	95.96
3	More than 100 % risk weight	236.67	0.00
4	Total CRM Deducted	385.49	42.96
5	Total Exposure	3440.21	138.92

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन

जोखिम के न्यूनीकरण के लिए बैंक द्वारा समान्यतः प्रयोग में लाई गई संपार्श्विक अस्तीयाँ :

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ।
3. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार एवं भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआईसी पॉलिसियाँ इत्यादि।
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
6. स्वर्ण आभूषण।
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयता:

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटर्स के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम कम करने वाले उपाय:

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रुपरेखा के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमाराशि, स्वर्ण और सोने के जेवर को स्वीकार किया।

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018
(ख)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा किया गया हो।	428.45
(ग)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर हो।	----

सारणी डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति संबंधी दिशा-निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

बैंकिंग बही

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018
	शून्य	

ट्रेडिंग बही:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018
	शून्य	

बैंक के पास 31-03-2018 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है।

सारणी डीएफ-7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है। इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है-

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2018
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	428.45
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (when-ever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	----

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2018
	NIL	

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2018
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2018.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- एएलएम कमेटी
- जोखिम प्रबन्धन समिति

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- ALM Committee
- Risk Management Committee

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	पूँजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2018
क	ब्याज दर जोखिम	36.74
ख	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	9.77
ग	विदेशी मुद्रा जोखिम	----

सारणी डीएफ-8 : परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवैया, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजना सम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई गई हैं।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- आसित प्रबन्धन देयता समिति
- जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभाव:

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा/कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित हैं।

जोखिम को कम करने और/या से बचाव करने की नीति तथा कम करने/बचाव करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं। नीति की रूप रेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे— चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अत्यीकरण के विभिन्न पहलू निहित हैं।

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2018
(a)	Interest Rate Risk	36.74
(b)	Equity Position Risk	9.77
(c)	Foreign Exchange Risk	----

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes :

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- Asset Management Liability Committee
- Risk Management Committee

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलन:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये आधारमूल सूचक पद्धति अपनायी है।

ii) गुणात्मक प्रकटीकरण:

31.03.2018 को परिचालन जोखिम के लिये पूंजी प्रभार रु. 32.84 करोड़ का था जबकि 31.03.2018 को परिचालन जोखिम आस्तियां रु. 410.46 करोड़ की थीं।

सारणी डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बेंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट-बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार-चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखा:

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, आय दर प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग-अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिये प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदों जो दरों के प्रति संवेदनशील है की घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को ग्रहण कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों को परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरकीबों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

- 1. अंतर विश्लेषण:** ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत हथियार ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2018 was ₹ 32.84 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2018 was ₹410.46 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

- 1. Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-

अलग-अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

एक सकारात्मक या आसति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

2. **जोखिम से आय:** जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनःकीमत लगाने के जोखिम का प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।
3. **इक्विटी का बाजार मूल्य:** बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट-शाक के परिणाम स्वरूप इक्विटी के बा. जार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिये जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है।

- प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिम: आसति और देयताओं के लिये 1 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(रु. करोड़ में)

आय पर जोखिम	-100 बीपीएस	100 बीपीएस
	-24.97	24.97

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अवधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि तक पहुंचा जा सके। घरेलू परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शॉक के लिये अवधि अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	200 बीपीएस
	4.72%	(-)4.72%

sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.
3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

Earning at Risk	-100 bps	100 bps
	-24.97	24.97

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	4.72%	(-)4.72%

सारणी डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं-अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड़ रु. में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि	वर्तमान एक्सपोजर
		31.03.2018	31.03.2018
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं	----	----
2	पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	----	----
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	----	----
4	जोड़	----	----

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Notional Amount	Current Exposure
		31.03.2018	31.03.2018
1	Foreign Exchange Contracts	----	----
2	Cross Currency Interest rate Swaps	----	----
3	Single Currency Interest Rate Swaps	----	----
4	Total	----	----

आकर्षक एवं लाभकारी जमा योजनाएं

"बैनी मोल्ड वातु खाला"
सरलता भी, आसानी भी



Now run your business smoothly with Nainibank "Current Account"

बढ़ाये व्यापार सरलता से

Nainital Bank also offers Banking beyond boundaries

"बैनी मोल्ड वातु खाला"
जितना समृद्धि जितना फायदा



Now earn more on your savings with Nainibank "Savings Account"

सुस्थ के साथ जवादा का वादा

Nainital Bank also offers Banking beyond boundaries

"जवाती जमा योजनाएं"
छोटी-छोटी बचत, बड़ी-बड़ी आय



Now grow your money with Nainibank "Recurring Deposits"

आइये बढ़ें साथ-साथ

Nainital Bank also offers Banking beyond boundaries

सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना

Table DF-11: Composition of Capital

भाग-1— 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका

Part I: Template to be used only from March 31, 2018

(रुपये मिलियन में) / (₹ in Million)

क्र. सं. S. No.	बेसल-III — केवल 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel-III common disclosure template to be used from March 31, 2018 Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves		संदर्भ सं. / Ref No
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1550.00
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4524.37
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	6074.37
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)	
9	मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	
10	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets	
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिजर्व	Cash-flow hedge reserve	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर कास-होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) निवल	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	
20	मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	

क्र. सं. S. No.	बेसल-III – केवल 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel-III common disclosure template to be used from March 31, 2018 Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold	
23	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
24	जिनमें से: मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights	
25	जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	
26b	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	
26c	जिसमें से: बैंक के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के इक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
26d	जिसमें से: अपरिपोषित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	6074.37
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	जिसमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक कास-होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	

क्र. सं. S. No.	बेसल-III – केवल 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel-III common disclosure template to be used from March 31, 2018 Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	जिनमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी-1)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00
45	टियर 1 पूंजी (टी1+सीईटी1+एटी1) (29+44)	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	6074.37
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	जिनमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	प्रावधान	Provisions	183.54
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital before regulatory adjustments	183.54
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक कास-होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	जिसमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	Tier 2 capital (T2)	183.54
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	6257.91
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क + 60ख + 60ग)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	41863.31

क्र. सं. S. No.	बेसल-III – केवल 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel-III common disclosure template to be used from March 31, 2018 Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
60a	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	33482.18
60b	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	4276.51
60c	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4104.62
पूंजी अनुपात / Capital ratios			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.51%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.51%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.95%
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement	
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) National minima (if different from Basel-III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel-III minimum)	5.50%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel-III minimum)	7.00%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel-III minimum)	9.00%
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	258.15
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप)	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	405.79
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	

क्र. सं. S. No.	बेसल-III – केवल 31 मार्च, 2018 से प्रयोग के लिए तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel-III common disclosure template to be used from March 31, 2018 Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves		संदर्भ सं./ Ref No
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	

टेम्पलेट के लिए नोट / NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्पलेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण / Particular		(रु. मिलियन में) / (₹ in Million)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses	----
	आस्थागित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थागित कर आस्तियां)	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	----
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये अनुसार कुल	Total as indicated in row 10	----
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	----
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	----
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital	----
26 ख./b	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	----
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	ii) Increase in risk weighted assets	----
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	258.15
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	----
	पंक्ति 50 का कुल	Total of row 50	258.15

सारणी डीएफ-12: पूंजी की संरचना- मिलान संबंधी अपेक्षाएं
Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1 / Step 1

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities		
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5440.61	5440.61
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest	11.08	11.08
	कुल पूंजी	Total Capital	6215.61	6215.61
ii	जमा राशियां	Deposits	73318.73	73318.73
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	of which: Deposits from banks	8997.58	8997.58
	जिनमें से: ग्राहकों की जमा राशियां	of which: Customer deposits	64321.15	64321.15
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----
iii	उधार	Borrowings	----	----
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	----	----
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	----	----
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	1612.53	1612.53
	कुल	Total	81146.87	81146.87
B	आस्तियां	Assets		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3857.00	3857.00
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	24900.39	24900.39
ii	निवेश	Investments:	17047.61	17047.61
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	15649.17	15649.17
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1098.63	1098.63
	जिनमें से : अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	299.82	299.82

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
iii	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	33639.32	33639.32
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	988.11	988.11
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	32651.21	32651.21
iv	अचल आस्तियां	Fixed assets	338.10	338.10
v	अन्य आस्तियां	Other assets	1364.47	1364.47
	जिनमें से : साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----
vi	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	----	----
	कुल आस्तियां	Total Assets	81146.90	81146.90

चरण 2 / Step 2

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
क / A	पूंजी तथा देयताएं	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	775.00	775.00	a1
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	775.00	775.00	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1	----	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	5440.61	5440.61	
	जिसमें से:	of which:			
	—सांविधिक आरक्षितियां	-Statutory Reserve	1601.51	1601.51	
	— शेयर प्रीमियम	-Share Premium	775.00	775.00	a2
	—केपिटल रिजर्व	-Capital Reserve	166.35	166.35	
	— स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	. Revaluation of Fixed Assets	165.80	165.80	
	— अन्य आरक्षितियां	. Other Reserve	0.55	0.55	
	— रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	-Revenue and Other Reserve	2897.75	2897.75	
	—निवेश आरक्षिति खाता	.Investment Reserve Account	----	----	
	— आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	.Reserve or Bad and Doubtful Debts	31.25	31.25	
	— अन्य आरक्षिति—आस्थगित कर	.Other reserve-deferred tax	0.68	0.68	
	— अन्य आरक्षिति	.Other Reserve	2620.07	2620.07	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	— निवेश आरक्षिति खाता	.Investment Reserve A/c	18.12	18.12	
	— विशेष आरक्षिति धारा 36 के अन्तर्गत	.Special reserve u/s36	227.63	227.63	
	— वर्तमान समय का लाभ जो खाते में नहीं लिया गया	-Current period profit not recognized	----	----	
	कुल पूंजी	Total Capital	6215.61	6215.61	
ii	जमाराशियां	Deposits	73318.73	73318.73	
	जिनमें से:बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	8997.58	8997.58	
	जिनमें से: ग्राहक जमाराशियां	of which: Customer deposits	64321.15	64321.15	
	जिनमें से :अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----	
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----	
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	----	----	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें से :अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----	
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	1612.53	1612.53	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill	----	----	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets	----	----	
	कुल	Total	81146.90	81146.90	
ख / B	आस्तियां	Assets			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	3857.00	3857.00	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	24900.39	24900.39	
ii	निवेश:	Investments:	17047.61	17047.61	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	15649.17	15649.17	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----	
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1098.63	1098.63	
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	299.82	299.82	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
iii	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	33639.32	33639.32	
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	988.11	988.11	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	32651.21	32651.21	
iv	अचल आस्तियां	Fixed assets	338.10	338.10	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	
v	अन्य आस्तियां	Other assets	1364.47	1364.47	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----	
vi	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	----	----	
	कुल आस्तियां	Total Assets	81146.90	81146.90	

चरण 3 / Step 3

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ-11 (भाग I/II जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel-III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	1550.00	अ1 व अ2 a1 & a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings	----	
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4524.37	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टॉक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	----	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	----	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	6074.37	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments	----	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)	----	

सारणी डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण—

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र—वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

लीवरेज अनुपात

बेसल-III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टायर I पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 4.5 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण 31 मार्च, 2018 को निम्नवत हैं :—

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular- Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking book

Leverage Ratio

The Basel-III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 4.5%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank at March 31st, 2018 is as follows.

सारणी डीएफ 17— लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद / Item	रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements 81146.90
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation ----
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure ----
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments ----
5	प्रतिभूतियों के वित्तीय संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending) ----
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रूपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures) 1942.44
7	अन्य समायोजन	Other adjustments 816.57
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure 83905.91

सारणी डीएफ 18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट
Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

क्र. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	तुलनपत्र पर मौजूद	On-balance sheet exposures	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपाश्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	81963.47
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel-III Tier 1 capital)	----
3	तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	81963.47
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative exposures	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	----
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	----
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपाश्विक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	----
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	----
8	(ग्राहक-समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	----
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	----
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	----
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं.4 से 10 का जोड़)	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	----
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	Securities financing transaction exposures	
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	----
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देयराशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	----
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	----
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	----
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं. 12 से 15 का जोड़)	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	----
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	5845.27
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-3902.83
19	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं.17 और 18 का जोड़)	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	1942.44
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures	
20	टियर 1 पूंजी	Tier 1 capital	6074.37
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं.3,11,16 और 19 का जोड़)	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	83905.91
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	Basel-III leverage ratio	7.24%

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2018

(रुपये हजार में) / (₹ in thousands)

पूँजी और दायित्व / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2018 की स्थिति As on 31.03.2018	31.03.2017 की स्थिति As on 31.03.2017
पूँजी / Capital	1	775000	775000
आरक्षितियाँ और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	5440608	5119628
जमा राशियाँ / Deposits	3	73318728	68527851
उधार / Borrowings	4	28	0
अन्य दायित्व और उपबंध / Other Liabilities & Provisions	5	1612534	2574375
जोड़ / Total		81146898	76996854
आस्तियाँ / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	3857001	2848543
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	24900392	18627371
निवेश / Investments	8	17047612	21044842
अग्रिम / Advances	9	33639324	32082034
स्थिर आस्तियाँ / Fixed Assets	10	338096	327218
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	1364473	2066846
जोड़ / Total		81146898	76996854
समाश्रित दायित्व / Contingent Liabilities	12	1123632	800174
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection		4923	5822
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet			

मुकेश शर्मा
Mukesh Sharma
 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 Chairman & Chief Executive Officer

राकेश कुमार भाटिया
Rakesh Kumar Bhatia
 निदेशक
 Director

एस. एस. घाग
S. S. Ghag
 निदेशक
 Director

के. वेंकटेश्वरलू
K. Venkateswarlu
 निदेशक
 Director

सीए मृदुल कुमार अग्रवाल
CA Mradul Kumar Agarwal
 निदेशक
 Director

डॉ. (श्रीमती) के. के. शर्मा
Dr. (Mrs.) K. K. Sharma
 निदेशक
 Director

ऐ. के. सिंह
A. K. Singh
 चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
 Chief Operating Officer
 एवं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
 & Chief Financial Officer
 स्थान / Place : नोएडा / Noida
 दिनांक / Date : 28.05.2018

एस. सी. शुक्ला
S. C. Shukla
 एसो. वाइस प्रेसिडेंट
 (लेखा एवं परिचालन)
 Associate Vice President
 (Accounts & Operations)

विवेक शाह
Vivek Sah
 कंपनी सचिव
 Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
 as per our report of even date
 कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
 For PSMG & Associates
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 008567सी
 FRN- 008567C
(सी.ए. स्वाति सिंह) / (CA Swati Singh)
 साझेदार / Partner
 एम.एन. / M.N.-404531

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(रुपये हजार में) / (₹ In thousands)

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.18 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.17 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	6172881	5596518
अन्य आय / Other Income	14	354748	524409
जोड़ / Total		6527629	6120927
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	4114114	3744865
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	1436744	1278277
उपबन्ध और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		487892	613176
जोड़ / Total		6038750	5636318
III. लाभ / PROFIT			
वर्ष का शुद्ध लाभ / Net profit for the year		488879	484609
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		488879	484609
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
अंतरण / Transfer To :			
सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserve		122220	121152
राजस्व और अन्य आरक्षितियां / Revenue & Other Reserves:			
i) निवेश आरक्षिति खाता / Investment Reserve Account		0	0
ii) सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		182981	139489
iii) विशेष आरक्षितियां / Special Reserve		15779	20209
अन्तरिम लाभांश / Interim Dividend Paid		0	0
अन्तरिम लाभांश पर लाभांश कर / Dividend Tax on Interim Dividend Paid		0	0
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		139500	168887
लाभांश कर (सरचार्ज और शिक्षा प्रतिकर सहित) Dividend Tax (including surcharge & edu.cess)		28399	34872
आरक्षित पूंजी / Capital Reserve		0	0
जोड़ / Total		488879	484609
प्रति शेयर आय (₹.) / Earnings per Share (Rs)			
मूल / Basic		6.31	7.17
तनु / Diluted		6.31	7.17

मुकेश शर्मा
Mukesh Sharma
 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 Chairman & Chief Executive Officer

राकेश कुमार भाटिया
Rakesh Kumar Bhatia
 निदेशक
 Director

एस. एस. घाग
S. S. Ghag
 निदेशक
 Director

के. वेंकटेश्वरलू
K. Venkateswarlu
 निदेशक
 Director

सीए मृदुल कुमार अग्रवाल
CA Mradul Kumar Agarwal
 निदेशक
 Director

डॉ. (श्रीमती) के. के. शर्मा
Dr. (Mrs.) K. K. Sharma
 निदेशक
 Director

ऐ. के. सिंह
A. K. Singh
 चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
 Chief Operating Officer
 एवं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
 & Chief Financial Officer
 स्थान / Place : नोएडा / Noida
 दिनांक / Date: 28.05.2018

एस. सी. शुक्ला
S. C. Shukla
 एसो. वाइस प्रेसिडेंट
 (लेखा एवं परिचालन)
 Associate Vice President
 (Accounts & Operations)

विवेक शाह
Vivek Sah
 कंपनी सचिव
 Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
 as per our report of even date
 कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
 For PSMG & Associates
 सनदी लेखाकार
 Chartered Accountants
 एफआरएन 008567सी
 FRN- 008567C
(सी.ए. स्वाति सिंह) / (CA Swati Singh)
 साझेदार / Partner
 एम.एन. / M.N.-404531

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet
अनुसूची 1-पूंजी / SCHEDULE 1- CAPITAL

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
प्राधिकृत पूंजी (10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) (विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) (Previous Year 15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	1500000	1500000
जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी Issued, Subscribed, Called up and Paid up capital 10/- ₹0 प्रति शेयर मूल्य वाले 775,00,000 शेयर 775,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each विगत वर्ष 10/- ₹0 प्रति शेयर मूल्य वाले 775,00,000 शेयर (Previous Year 775,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each)	775000	775000
जोड़ / Total	775000	775000

अनुसूची 2 – आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	सांविधिक आरक्षितियाँ / Statutory Reserve		
	अथशेष / Opening Balance	1479289	1358137
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	122220	121152
	अंतिम शेष / Closing Balance	1601509	1479289
II	पूंजीगत आरक्षितियाँ / Capital Reserve		
क) / a)	पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ / Revaluation Reserve		
	अथशेष / Opening Balance	165805	46431
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	0	123694
	परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यहास जो लाभ व हानि खाते को अंतरित किया गया Depreciation on account of revaluation of premises transferred to Profit & Loss Account	0	-4320
	अंतिम शेष / Closing Balance	165805	165805
ख) / b)	अन्य / Others	548	548
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	0	0
	अंतिम शेष / Closing Balance	548	548
	जोड़ / Total (II)	166353	166353
III	शेयर प्रीमियम / Share Premium		
	अथशेष / Opening Balance	775000	775000
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deduction during the Year		
	अंतिम शेष / Closing Balance	775000	775000

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves	0	0
(i)	निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve		
	अथशेष / Opening Balance	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	0	0
	घटाएँ : सामान्य प्रावधान को अंतरण Less: Transferred To General Provision	0	0
	अन्तिम शेष / Closing Balance	0	0
(ii)	अन्य आरक्षितियाँ / Other Reserve		
	अथशेष / Opening Balance	2469019	2329530
	जोड़ें : लाभ-हानि खाते से अन्तरित की गई राशि Addition : Transferred from Profit & Loss Account	182981	139489
	कटौती / Deduction:	0	0
	अन्तिम शेष / Closing Balance	2652000	2469019
	निवेश आरक्षिति खाता / Investment Reserve A/c	18117	18117
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	0	0
	अन्तिम शेष / Closing Balance	18117	18117
	विशेष आरक्षिति खंड 36 (I) (VIII) के अन्तर्गत Special reserve u/s 36 (I) (VIII)	211850	191641
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the Year	15779	20209
	अन्तिम शेष / Closing Balance	227629	211850
	जोड़ / Total (IV)	2897746	2698986
V	लाभ और हानि खाते का अतिशेष Balance in Profit & Loss Account	0	0
	जोड़ / Total (I से / to V)	5440608	5119628

अनुसूची 3 – निक्षेप / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
क / A	I) माँग निक्षेप / Demand Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	34957	9957
	ii) अन्य से / From Others	3442112	2998460
	जोड़ / Total	3477069	3008417
	II) बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	20979871	20169366
	III) सावधि निक्षेप / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	8962619	9962206
	ii) अन्य से / From Others	39899169	35387862
	जोड़ / Total	48861788	45350068
	जोड़ / Total (I, II एवं / & III)	73318728	68527851
ख / B	I) भारत में शाखाओं के निक्षेप / Deposits of Branches in India	73318728	68527851
	II) भारत के बाहर शाखाओं के निक्षेप / Deposits of Branches outside India	0	0
	जोड़ / Total (I एवं / & II)	73318728	68527851

अनुसूची 4— उधार / SCHEDULE 4 -BORROWINGS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	भारत में उधार / Borrowings in India		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank Of India	0	0
	ii) अन्य बैंक / Other Banks	28	0
	iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	0	0
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	0	0
	जोड़ / Total (I एवं / & II)	28	0
III	जमानती उधार राशियां जो उपरोक्त I में शामिल हैं Secured Borrowings Included in I above	28	0

अनुसूची 5 – अन्य दायित्व और उपबंध / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	संदेय बिल / Bills Payable	200685	173166
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	468	8187
III	प्रोद्भूत ब्याज / Interest Accrued	91380	94482
IV	अग्रिम दिया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	0	0
V	अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं) / Others (Including Provisions)	1320001	2298540
	जोड़ / Total (I से / to V)	1612534	2574375
	नोट : टियर II पूंजी हेतु लिए गए गौण ऋण NOTE: Subordinated Debts raised in Tier II Capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष
SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (Including foreign currency notes)	324484	245908
II	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	3532517	2602635
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	0	0
	जोड़ / Total	3532517	2602635
	जोड़ / Total (I एवं / & II)	3857001	2848543

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन

SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE (रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	भारत में / In India		
	i) बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	150891	125521
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	22349501	17301850
	जोड़ / Total	22500392	17427371
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्त धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	500000	1200000
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	1900000	0
	जोड़ / Total	2400000	1200000
	जोड़ / Total (i एवं & ii)	24900392	18627371
II	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	जोड़ / Total (I एवं & II)	24900392	18627371

अनुसूची – 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	17101321	21096329
	घटाएँ : मूल्यहास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	53709	51487
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	17047612	21044842
	अलग-अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	15595459	17235559
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0	0
	iii) शेयर / Shares	152	0
	iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	1098628	1159700
	v) समनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	0	0
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचुअल फंड्स, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	353373	2649583
	जोड़ / Total	17047612	21044842
II	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	जोड़ / Total (I एवं & II)	17047612	21044842

अनुसूची – 9 अग्रिम / SCHEDULE 9- ADVANCES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
क) / A	i) क्रय किये गये और मितिकाटे पर भुगतान किये गये विनिमय पत्र Bills Purchased and Discounted	34503	8294
	ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रति-संदेय उधार Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	19517575	20005813
	iii) सावधि उधार / Term Loans	14087246	12067927
	जोड़ / Total	33639324	32082034
ख) / B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by Tangible Assets	32782462	31047184
	ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Govt. Guarantees	360	0
	iii) अप्रतिभूत / Unsecured	856502	1034850
	जोड़ / Total	33639324	32082034
ग) / C	I) भारत में अग्रिम / Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	17271265	15837585
	घटाएं: बीओबी को जारी आईबीपीसी / Less: IBPC issued to BOB	0	1000000
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण / Net Priority Sector	17271265	14837585
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	2753	1532
	iii) बैंक / Banks	988110	1759
	iv) अन्य / Others	15377196	16241158
	जोड़ें: बीओबी से सहभागिता में आईबीपीसी Add: IBPC participation with BOB	0	1000000
	शुद्ध अन्य / Net Others	15377196	17241158
	II) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India	0	0
	जोड़ / Total	33639324	32082034

अनुसूची – 10 स्थिर आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	परिसर / Premises		
	(पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर / पुनर्मूल्यांकित राशि) / At cost/revalued amount as on 31 st March of the preceeding year	245965	121928
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	3628	124037
	अद्यतन अवक्षयण – (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यहास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	24323	23848
	ब्लॉक I का शेष / Closing Block I	225270	222117
II	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceeding year	443938	378302
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	48571	69331
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	526	3695
	अद्यतन अवक्षयण / Depreciation to date	379157	338837
	ब्लॉक II का शेष / Closing Block II	112826	105101
	जोड़ / Total (I एवं / & II)	338096	327218

अनुसूची – 11– अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustment (Net)	0	0
II	प्रोद्भूत ब्याज / Interest Accrued	829111	605865
III	अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	66630	100076
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	87	44
V	अन्य / Others	468645	1360861
	जोड़ / Total (I से / to V)	1364473	2066846

अनुसूची – 12 समाश्रित दायित्व / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as Debts	7356	7356
II	धोखाघड़ी के विरुद्ध देनदारी / Liability against frauds	0	0
III	संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां Guarantees given on behalf of constituents	886126	515919
IV	स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	73358	111032
V	अन्य / Other	156792	165867
	जोड़ / Total (I से / to V)	1123632	800174

अनुसूची – 13– अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

			31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / मितिकाटा Interest/Discount on Advances/Bills		3246385	3131952
II	निवेशों से आय / Income on Investments	1358197	1354634	1155675
	घटाएं: वर्ष के दौरान परिशोधित राशि Less: amount amortised during the year (on HTM securities)	(-)3563		
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर-बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements		1362259	1168191
IV	अन्य / Others		209603	140700
	जोड़ / Total (I से / to IV)		6172881	5596518

अनुसूची – 14– अन्य आय / SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange & Brokerage	37439	32577
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि Profit / Loss on sale of investments	120140	308384
III	आयकर वापसी पर ब्याज / Interest on Income Tax Refund	4749	8315
IV	प्रकीर्ण आय / Miscellaneous Income	183717	167744
V	तृतीय पार्टी का कमीशन / Third party commission	8703	7389
	जोड़ / Total (I से / to V)	354748	524409

अनुसूची – 15– व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	निक्षेपों पर ब्याज / Interest on Deposits	4095494	3676242
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI / Inter Bank Borrowings	18	108
III	अन्य / Others	18602	68515
	जोड़ / Total (I से / to III)	4114114	3744865

अनुसूची – 16– परिचालन व्यय / SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2018	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2017
I	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	898682	821256
II	किराया, कर और रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	121223	108651
III	मुद्रण और लेखन—सामग्री / Printing and Stationery	7123	8265
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	4175	2201
V	बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण / Depreciation on Bank's Property	44814	42051
	घटाइए – परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास / Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	-4019	-4320
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	957	1115
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सम्मिलित हैं) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	5722	4014
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	9709	6744
IX	डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	7985	6671
X	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance	16161	15188
XI	बीमा / Insurance	71314	51725
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	252898	214716
	जोड़ / Total (I से / to XII)	1436744	1278277

अनुसूची 17— 31 मार्च, 2018 की विशिष्ट लेखा नीतियां

1. लेखा अभिधारणाएँ

ये वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न बताया जाये अवधिगत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और देश के बैंककारी क्षेत्र में विद्यमान सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुरूप हैं।

2. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है:

- 2.1.1 परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले निवेश
- 2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध निवेश
- 2.1.3 खरीद-बिक्री हेतु रखे गए निवेश
- 2.2 'परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले' शीर्ष के तहत आने वाले निवेशों का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत जब तक यह अंकित मूल्य, जिसमें प्रीमियम लागत को प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है, से अधिक नहीं है, पर किया गया है।
- 2.3 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'खरीद-बिक्री हेतु रखे गए' श्रेणी के निवेश बाजार मूल्य पर चिन्हित हैं। उनका मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम है, पर किया गया है। प्रत्येक स्क्रिप का मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यहास/अधिमूल्यन तुलनपत्र की श्रेणियों के अनुसार श्रेणीवार जोड़ा गया है। शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है किंतु यदि यह मूल्य वृद्धि है तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया है।
- 2.4 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'खरीद-बिक्री हेतु रखे गए' श्रेणी के निवेश में मूल्यहास के कारण किये गये शुद्ध प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा इतनी ही राशि अथवा 'निवेश आरक्षित खाते' में उपलब्ध शेष राशि में से जो भी कम हो को 'निवेश आरक्षित खाते' से 'लाभ-हानि विनियोजन खाते' को अंतरित किया गया है।

'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'खरीद-बिक्री हेतु रखे गए' श्रेणी में अतिरिक्त शुद्ध प्रावधान होने पर उसे लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है और उतनी ही राशि का (शुद्ध कर यदि कोई हो एवं ऐसे अतिरिक्त प्रावधान में प्रयोज्य सांविधिक प्रारक्षित निधियों के अन्तरण को छोड़कर) निवेश आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।
- 2.5 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को जो सम्बन्धित निवेशों की भारित औसत लागत/उनके बही मूल्य पर आधारित है को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है।
- 2.6 अनर्जक प्रतिभूतियों (जहां ब्याज/मूल बकाया है) के सम्बन्ध में आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य में हास के लिए उचित प्रावधान किया गया है।
- 2.7 निवेशों के अभिग्रहण की लागत में कमीशन, दलाली, स्टाम्प शुल्क, प्रोत्साहन राशि आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AS ON 31st MARCH, 2018

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared on the historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the Banking Sector of the country.

2. INVESTMENTS

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, Investments portfolio of the bank is classified into the under mentioned categories and the valuation norms, as prescribed by RBI have been applied to each category:

- 2.1.1 Held to Maturity
- 2.1.2 Available for Sale, and
- 2.1.3 Held for Trading
- 2.2 Investment under "Held to Maturity" are valued at cost of acquisition unless it is more than the face value in which case premium is amortized over the remaining maturity period of the security.
- 2.3 Investment held under "Available for Sale" & "Held for Trading" category are marked to market and valued at cost or market value whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation / appreciation is aggregated category wise as per the classification in Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 2.4 The net provisions arising on account of depreciation in "Available for Sale" & "Held for Trading" is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount or the balance available in the "Investment Reserve Account", whichever is less, is transferred from the "Investment Reserve Account" to the "Profit & Loss Appropriation Account".

In case of excess net provision in "Available for Sale" & "Held for Trading", the same is credited to Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Reserve Account.
- 2.5 Profit/ Loss on sale of investments are recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost of the related investments/ book value thereof.
- 2.6 In respect of non-performing securities (where interest / principal is in arrear) income is not recognized, and appropriate provision is made for depreciation in value of securities.
- 2.7 Cost of acquisition of investments excludes commission, brokerage, stamp duty, incentive etc.

2.8 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'खरीद-बिक्री हेतु रखे गए' श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिये प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पी.डी.ए.आई.) / फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (फिमडा) और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा घोषित दरों को आधार बनाया गया है।

ऐसे निवेशों, जिनके लिए ऐसी दरें/कोट्स उपलब्ध नहीं हैं, का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मानकों जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार किया गया है:

2.8.1 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र (जो 12 माह से अधिक पुराना न हो) यदि उपलब्ध होए के अनुसार अन्यथा एक रूपया प्रति कम्पनी के आधार पर किया गया है।

2.8.2 म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंज की मूल्य सूची के अनुसार हुआ है। गैर सूचीबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद कीमत के आधार पर हुआ है। उन फंडों के मामले में जो लॉक इन अवधि में हैं तथा जहां पुनर्खरीद कीमत/बाजार दाम उपलब्ध नहीं है यूनिटों का मूल्यांकन शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर हुआ है। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका मूल्यांकन लॉक इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया गया है। जब कहीं पुनर्खरीद कीमत उपलब्ध नहीं है तो यूनिटों का मूल्यांकन सम्बन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य पर किया गया है।

2.8.3 शून्य कूपन बाण्डों का मूल्यांकन रखाव लागत अर्थात् अभिग्रहण लागत तथा उस पर अभिग्रहण के समय विद्यमान दर से प्रोद्भूत रियायत पर किया गया है। बाजार मूल्य के सन्दर्भ में इन बाण्डों को बाजार मूल्य पर बही खाते में अंकित किया गया है।

3. अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 अग्रिमों को उचित ब्याज, मुकदमा दायर किये गये खातों से प्राप्त विविध जमा खाते में रखी राशि, सावधि जमा रसीद के रूप में रखी मार्जिन राशि (संदिग्ध/हानिकर खातों के मामले में), गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप किये गये प्रावधानों और अनुदान आरक्षित निधि (गैर निष्पादक अग्रिमों पर) घटाकर दिखाया गया है।

3.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अग्रिमों को मानक अवमानक, संदिग्ध और हानिकर आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2017 को हुई बोर्ड की बैठक में मानक अग्रिमों के लिये प्रावधान दरों को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं आरबीआई/2016-17/282 डीबीआर सं बीपी.पीसी/21.04.048/2016-17 दिनांक 1 अप्रैल 2017 के अनुसार, अनुमोदित कर दिया है।

4. अचल आस्तियां:

कुछ परिसरों को छोड़कर, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया था और जिनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य अनुमोदित मूल्यांकक के द्वारा दी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दर्शाया गया है, अचल आस्तियों को उनकी अवधिगत लागत आधार पर लेखे में लिया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आई आधिक्य राशि को 'पूँजीगत आरक्षित निधि' शीर्ष के अन्तर्गत 'पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि' में जमा किया गया है।

2.8 For the purpose of valuation of Investments in "Available for Sale" & "Held for Trading" category, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) and quotes of Stock Exchange has been considered.

Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

2.8.1 Equity Shares are valued as per latest Balance Sheet of the company (not more than 12 months), if available, otherwise are valued at Re. 1/- per company.

2.8.2 Investments in Mutual Funds Units are valued as per Stock Exchange quotation, Investment in non-quoted Mutual Fund Units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. In case of funds with a lock-in period, where repurchase price/ market quote is not available, Units are valued at NAV. If NAV is not available, then the same are valued at cost, till the end of the lock-in period. Whenever the re-purchase price is not available, the Units are valued at the NAV of the respective scheme.

2.8.3 Zero coupon bonds are valued at carrying cost i.e. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition. These bonds are marked to market with reference to market value.

3. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

3.1 Advances are shown net of Interest Suspense, amount received and held in Suit filed Sundry Deposits, Margin held in form of FDR (in case of doubtful/loss accounts), Provisions made for Non Performing Advances in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time and Subsidy Reserve Fund (on Non-performing advances).

3.2 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets as per prudential norms of the Reserve Bank of India and Provision is made as per guidelines issued by RBI. The rates of provisions for standard advances has been approved by Board of Directors in its meeting dated June 17, 2017, as per RBI notification bearing No. RBI/2016-17/282 DBR No. BP/PC/21.04.048/2016-17 dated April 1st, 2017.

4. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at their historical cost except certain Premises, which were revalued and are stated at revalued amounts in accordance with the valuation report of the approved valuers. The surplus on account of revaluation stands credited to Revaluation Reserve under the head "Capital Reserve".

5. स्टाफ हित लाभ :

मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी कोष, पेंशन निधि और संचित उपाजित छुट्टियों के नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना एक्चूरियल आधार पर की गई है।

6. आय अभिज्ञान:

- 6.1** आय की पहचान उपचित आधार पर की गई है। गैर निष्पादक अग्रिमों और निवेशों के मामले में वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय कोए वसूली होने पर ही आय में लिया गया है।
- 6.2** कमीशन से आय (बैंक गारन्टी सहित), विनिमय और दलाली, शुल्क, लॉकर के किराये और अतिदेय बिलों पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर ही आय के रूप में लिया गया है।

7. मूल्यहास:

- 7.1** संबंधित परिसंपत्तियों की लागत का अवशिष्ट मूल्य 5% की दर से आकलित करने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 (डब्ल्यूडीवी विधि के अनुसार) के 'अनुसूची II' में निर्धारित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास शुल्क प्रभारित किया गया है।
- एस-10 में संशोधन के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संशोधित हिस्से पर मूल्यहास, पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से समायोजित करने के बजाय लाभ और हानि खाते के विवरण को चार्ज करके प्रदान किया गया है।
- 7.2** खरीद वर्ष में पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया और बिक्री/निस्तारण/समाप्ति के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं लगाया/प्रभारित किया गया है।
- 7.3** कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरों पर मूल्यहास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 33.33 प्रतिशत की दर से स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया गया है।
- 7.4** बैंक खरीदी गई सभी स्थायी परिसंपत्तियों पर चुकाई गई जीएसटी राशि को पूंजीकृत करता है, इसलिए वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में कोई निविष्ट (इनपुट) क्रेडिट नहीं लिया गया है।

8. आय पर कर

आयकर के लिए लेखाकरण, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउन्टिंग मानक-22 के अनुरूप स्थगित कर आस्ति/देयता के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। स्थगित कर आस्ति/देयता की संगणना तुलन पत्र की दिनांक तक प्रचलित कर की दरों और नियमों के अनुसार की गई है।

9. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 135 के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह का.सा.उ. (सीएसआर) समिति बनाये। बैंक ने उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. समिति के गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। बैंक ने 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि में इस मद में रु. 9.75 लाख की राशि खर्च की।

5. STAFF BENEFITS

Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for encashment of accumulated earned leaves are accounted for on actuarial basis.

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1** Income is recognized on accrual basis. In view of uncertainty of realization in case of Non-Performing Advances and Investments, such income is accounted for only on realization.
- 6.2** Income from Commission (including bank guarantee), Exchange & Brokerage, Fees, Locker Rent and Interest on Overdue Bills is taken on receipt basis.

7. DEPRECIATION

- 7.1** The depreciation has been charged on the basis of useful life of asset as prescribed in 'Schedule II' of the Companies Act, 2013 (as per WDV Method) after taking residual value @ 5% of the cost of the respective assets.
- In accordance with the revision in the AS-10, Depreciation on revalued portion of Property, Plant and Equipment, has been provided by charging to Statement of Profit & Loss Account instead of adjusting from Revaluation Reserve.
- 7.2** Depreciation is charged, for full year in the year of purchase and no depreciation is provided/charged in the year of sale/disposal/deletion.
- 7.3** Depreciation on Computers and Computer Software's are provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% in line with guidelines of Reserve Bank of India.
- 7.4** Bank capitalizes the GST amount paid on all fixed assets purchased and therefore no input credit has been taken in respect of the fixed assets purchased during the year.

8. TAXES ON INCOME

Incompliance with Accounting Standard-22 on Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India, accounting for Income tax is made after considering the effect of Deferred Tax assets/liabilities. While calculating the deferred tax assets/liabilities, tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of Balance Sheet date are applied.

9. Corporate Social Responsibility (CSR)

According to Section 135 of the Companies Act, 2013, bank is required to have CSR Committee. Bank has complied with the provisions of the Act regarding formation of CSR committee. The bank has incurred an amount of ₹ 9.75 Lacs during the period ending 31st March, 2018.

अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियाँ—2017—18

1. ये खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. तुलनपत्र में सभी आंकड़े भारतीय हजार रुपये में दर्शाये गये हैं सिवाय प्रति शेयर आय के जिसे रुपये में दर्शाया गया है।
3. **बही संतुलन और समाधान**
 - 3.1 कुछ शाखाओं में सहायक बही/तुलन बही में शेष मिलान या महाबही में तदनु रूप नियंत्रक खातों से उनके समाधान का कार्य प्रगति पर है।
 - 3.2 उपरोक्त वहीं संतुलन/समाधान/मिलान का कार्य जो अभी पूरा नहीं है, के परिणामस्वरूप होने वाले समायोजन का खातों पर प्रभाव सुनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है।
4. **अग्रिम**
 - 4.1 मानक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान तथा प्रावधान की उस राशि में से जो भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित राशि से अधिक है हानिकर आस्तियों की बढ़ते खाते डाली जाने वाली राशि को कम करके "अन्य दायित्व और उपबन्ध" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 की समाप्ति तक की रु0 312.54 लाख की संचित राशि के, जिसे निरन्तर "आरक्षितियाँ और अधिशेष" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।
 - 4.2 भा.रि.बैं. के दिशा-निर्देशों के अनुसार बही ऋण के विरुद्ध किए गए अग्रिमों को "मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत" शीर्षके अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन नोट के अनुरूप नहीं है।
5. **करों के लिए प्रावधान**

एसैसमेंट/आयकर अधिनियम की अपील के विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा और/या न्यायिक सलाहकार की राय के अनुसार पहले से ही किए प्रावधानों को समुचित माना गया है।
6. भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS-2017-18

1. The accounts have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 read with the provisions of Section 128 of the Companies Act, 2013.
2. All figures in Balance Sheet are provided in Indian Rupees in terms of thousands except EPS, which is shown in Rupees.
3. **BALANCING OF BOOKS AND RECONCILIATION:**
 - 3.1 Reconciliation of some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc. are in progress.
 - 3.2 Pending completion of aforesaid reconciliation/matching, the impact of consequential adjustments on the accounts is not ascertainable.
4. **ADVANCES:**
 - 4.1 Provision made for Standard Advances and Provision made in excess of RBI prudential norms after meeting the write off of loss assets are included under the head "Other Liabilities and Provisions" except the accumulated balance of ₹ 312.54 Lac up to the close of the year 1997-98 created under Section 36(1) (vii a) of the Income Tax Act, 1961, which is continued to be shown under the head "Reserve & Surplus".
 - 4.2 In accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India, advances against book debts have been included under the head "Secured by Tangible Assets" which is not in line with guidance note issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
5. **PROVISION FOR TAXATION:**

In respect of pending cases of assessment /appeal under The Income Tax Act, the provisions already made are, in view of judicial pronouncement and/ or counsel's opinion, considered to be adequate.
6. **In terms of guidelines issued by the RBI the following disclosures are furnished:**

6.1 पूंजी:

6.1 Capital:

क्र. सं. S. No.	मद / Items		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बेसल-II / BASEL-II				
i)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	CRAR (%)	15.30%	13.02%
ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर I पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier I capital (%)	14.67%	12.54%
iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर II पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier II Capital (%)	0.63%	0.48%
iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
v)	बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of Share holding of Bank of Baroda	98.57%	98.57%
vi)	टियर II पूंजी के रूप में दिए गए गौण ऋण की राशि	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital		
बेसल-III / BASEL-III				
i)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	CRAR (%)	14.95%	12.78%
ii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर-I पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier I capital (%)	14.51%	12.47%
iii)	जोखिम भारित परिसम्पत्ति की तुलना में टियर-II पूंजी (प्रतिशत)	CRAR - Tier II Capital (%)	0.44%	0.31%

6.2 निवेश :

6.2 Investments:

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

क्र. सं. S. No.	मद / Items		चालू वर्ष Current Year 2017-18	विगत वर्ष Previous Year 2016-17
1.	निवेशों का मूल्य	Value of investments		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of investments		
(क) / (a)	भारत में	In India	1710.13	2109.63
(ख) / (b)	भारत से बाहर	Outside India	0.0	0.00
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Provision for depreciation		
(क) / (a)	भारत में	In India	5.37	5.15
(ख) / (b)	भारत से बाहर	Outside India	0.0	0.00
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य	Net value of investments		
(क) / (a)	भारत में	In India	1704.76	2104.48
(ख) / (b)	भारत से बाहर	Outside India	0.0	0.00
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i)	अथशेष	Opening Balance	5.15	0.00
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Add: Provisions made during the year	0.22	5.15
(iii)	घटाइए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की बटूटे खाते में डाली गई / पुरांकित राशि	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year	0.00	0.00
(iv)	इति शेष	Closing Balance	5.37	5.15

भारतीय रिजर्व बैंक कापरिपत्र संख्या आरबीआई/2017-18/147 डीबी. आर.एन.बी.बी.सी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018, बैंकों को, 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए निवेश पर बाजार घाटे कोए जिस तिमाही में घाटा (लॉस) हुआ हैए से प्रारम्भ कर चार तिमाहियों में समान रूप मेंए प्रावधान को विस्तारित (स्प्रेड) करने का विकल्प देता है।

तदनुसार, बैंक ने विकल्प का उपयोग किया है और भारग्रहण (इनकरेंस) की तिमाही में निवेश पर बाजार घाटे (एमटीएम लॉस) को चिन्हित/दर्ज किया है। इस प्रकार निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यहास की प्रावधान राशि दिसम्बर 2017 को (विस्तार (स्प्रेड) के बिना) को रु. 88665869.52 और मार्च 2018 को (विस्तार (स्प्रेड)के बिना) को रु. 37502348.57, इस प्रकार कुल रु. 126,168,218.09 थी।

बैंक ने दिसंबर 2017 के लिये किये गये मूल्यहास के प्रावधान को दिसंबर 2017 से सितंबर 2018 तक चार तिमाहियों में विस्तारित (स्प्रेड) किया है तथा मार्च 2018 के लिये किये गये मूल्यहास को मार्च 2018 से दिसम्बर 2018 तक विस्तारित (स्प्रेड) किया है। तदनुसार मार्च 2018 के अंत में रु. 53708521.90 (दिसंबर 2017 के मूल्यहास से संबंधित राशि रु. 44332934.76 और मार्च 2018 के मूल्यहास से संबंधित राशि रु. 9375587.14) का प्रावधान किया गया था। अतः शेष राशि (रु. 72459696.19) का प्रावधान आगामी तिमाहियों मेंए अर्थात् जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 31542054.52, दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 31542054.52 और दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 9375587.15 किया जाएगा।

6.2.1 रिपो (पुनः खरीद) लेन-देन : शून्य

6.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग :

1. गैर एस.एल.आर. निवेशों के निर्गमकर्ताओं का संघटन

RBI circular dated April 2, 2018 number RBI/2017-18/147DBR. No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 grants an option to the Banks to spread provisioning for mark to market losses on investments for the quarter ended December 31, 2017 and March 31, 2018 equally over the four quarters commencing with quarter in which the loss is incurred.

Accordingly, the Bank has exercised the option and recognized the Mark to Market loss (MTM Loss) on investment in the quarter of incurrence. The provisioning of depreciation of the investment portfolio was ₹ 88665869.52 as on Dec 2017 (without spreading) and ₹ 37502348.57 as on March 2018 (without spreading) cumulating to ₹ 126168218.09.

The bank has spread the provision for depreciation of December 2017 in four quarters from Dec 2017 to September 2018 and depreciation of March 2018, from March 2018 to December 2018. Accordingly ₹ 53708521.90 (₹ 44332934.76 pertaining to depreciation of December 2017 and ₹ 9375587.14 pertaining to depreciation of March 2018) was provided at the end of March 2018. Hence the balance (₹ 72459696.19) to be provided in the subsequent quarters i.e. ₹ 31542054.52 for the quarter ending June 2018, ₹ 31542054.52 for the quarter ending September 2018 and ₹ 9375587.15 for the quarter ending December 2018.

6.2.1 Repo Transactions : NIL

6.2.2 Non-SLR Investment Portfolio :

1. Issuer composition of Non SLR investments

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

क्र.सं. S. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	प्राइवेट स्थापन/ Private Placement	'इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियां 'Below investment Grade' securities	वे प्रतिभूतियां जिनकी दर निर्धारित नहीं है। Unrated	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां Unlisted
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/PSU	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थान/Financial Institutions	47.24	17.31	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक/Banks	15.04	10.02	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कम्पनी/Private Corporate	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य/Others	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
(vii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान/ Provisions held for depreciation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़/Total	174.73	32.33	0.00	0.00	0.00

नोट: कोष्ठक में दी गई संख्याएं विगत वर्ष की संख्याओं को दर्शाती हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year's figures.

2. अनर्जक हो गये गैर एस.एल.आर. निवेश –

2. Non performing Non-SLR investments –

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Previous Year
अथ शेष / Opening Balance	0.00	0.00
वर्ष के दौरान वृद्धि (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) Addition during the year (since 1 st April 2017 to 31 st March 2018)	0.00	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी / Reductions during the above period	0.00	0.00
इति शेष / Closing balance	0.00	0.00
सकल प्रावधान / Total provisions held	0.00	0.00

6.3 व्युत्पन्न :

शून्य

6.3 Derivatives :

NIL

6.4.1 अनर्जक आस्तियां –

6.4.1 Non-Performing Asset –

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

क्र. सं. S. No.	मद / Items		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध गै.नि.अ. (प्रतिशत)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.16	1.25
(ii)	गै.नि.अ. (सकल) में उतार-चढ़ाव	Movement of NPAs (Gross)		
क/ a	अथशेष	Opening balance	164.27	121.04
ख/ b	वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	47.89	87.48
ग/ c	वर्ष के दौरान कमी	Reductions during the year	44.68	44.25
घ/ d	इति शेष	Closing balance	167.48	164.27
(iii)	शुद्ध गै.नि.अ. में उतार-चढ़ाव	Movement of Net NPAs		
क/ a	अथशेष	Opening balance	39.51	27.73
ख/ b	वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	0	11.78
ग/ c	वर्ष के दौरान कमी	Reductions during the year	1.26	0.00
घ/ d	इति शेष	Closing balance	38.25	39.51
(iv)	गै.नि.अ. के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क/ a	अथशेष**	Opening balance**	118.00	89.14
ख/ b	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the year	17.30	29.52
ग/ c	अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखित की गई राशि	Write-off/ write-back of excess provisions	13.54	0.66
घ/ d	इति शेष**	Closing balance **	121.76	118.00

*उच्चत ब्याज की राशि को घटाकर आई राशि

*Amount is net of interest suspense

**इस राशि में अस्थायी प्रावधान सम्मिलित है।

** Amount includes floating provision

6.4.2 पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण (2016-17)
6.4.2 Details of Loan Assets subjected to Restructuring (2016-17)

क्र. सं. No.	पुनर्गठन का प्रकार Types of Restructure		कम्पनी ऋण पुनर्गठन तन्त्र के अन्तर्गत Under CDR Mechanism					लघु, सूक्ष्म उद्योग ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत Under SME Debt Rest.Mech					अन्य / Others					योग / Total				
	आस्तित्व वर्गी. / Asset Class.		मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.
	विवरण / Details		St	Ss	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Total
1.	01-04-2016 को पुनर्गठित खाते Rest. a/c as on 1.04.2016	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.											285	127	7	4	423	285	127	7	4	423
		बकाया राशि Amt. O/St											21.98	6.36	0.09	0.04	28.47	21.98	6.36	0.09	0.04	28.47
		प्राव धान Prov.											1.79	0.95	0.05	0.04	2.83	1.79	0.95	0.05	0.04	2.83
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खाते Fresh. Rest. During The Year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	शून्य / Nil					शून्य / Nil					शून्य / Nil					शून्य / Nil				
		बकाया राशि Amt. O/St																				
		प्राव धान Prov.																				
3	उच्चिकरण Upgradation		शून्य / Nil					शून्य / Nil					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्ग. मा. आ. जिनके लिए बड़े प्रावधान की और/या वि. व. की समाप्ति पर जोखिम भार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर पुनर्ग. के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Rest. St. Adv. which cease to attract higher prov. and or add. Risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as rest. St. adv. at the beg. Of next FY	No. of Borr.											277	127	7	4	415	277	127	7	4	415
		Amt. O/St											21.39	6.36	0.09	0.04	27.88	21.39	6.36	0.09	0.04	27.88
		Prov.											1.73	0.95	0.05	0.04	2.77	1.73	0.95	0.05	0.04	2.77
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्ग. खातों का स्तर निम्नतर होना Downgrading of rest. a/cs during the FY																					
6	वर्ष के दौरान बंद खाते डाले गये पुनर्ग. खाते Write off rest. a/cs during the year																					
7	31.03.2017 को पुनर्ग. खाते Rest. a/cs as on 31.03.17	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	-										08	-	-	-	08	08	-	-	-	08
		बकाया राशि Amt. O/S											0.62				0.62	0.62				0.62
		प्राव धान Prov.											0.06				0.06	0.06				0.06

नोट: कुछ शाखाओं ने गैरइरादतन 2014-15 में कुछ पुनर्गठित खातों जिनका अधिशेष लगभग रु. 5.91 करोड़ है पुनर्गठित पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है जो अब शामिल कर लिया गया है इसके प्रभाव स्वरूप 31-03-2016 को मानक खातों की संख्या में अन्तर आया है। जिसमें लेजर होटल्स लिमिटेड जिसका अधिशेष रु. 3.15 करोड़ है और जो भारतीय रिजर्व बैंक के एएफआई में जुलाई, 2015 में प्रकाश में आया था।

NOTE: A few of the branches had inadvertently left from reporting accounts which were restructured during FY 2014-15 having aggregate O/s balance of appx. ₹ 5.91 Crore in the restructured portfolio of the Bank which have been now accounted for and as a result of this, there is difference in the number of standard accounts as on 31.03.2016. This includes an amount of Leisure Hotels Ltd. Having O/s balance ₹ 3.15 crores which was detected during AFI of RBI in July 2015.

6.4.2 पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण (2017-18)

6.4.2 Details of Loan Assets subjected to Restructuring (2017-18)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्गठन का प्रकार Types of Restructure		कम्पनी ऋण पुनर्गठन तन्त्र के अन्तर्गत Under CDR Mechanism					लघु, सूक्ष्म उद्योग ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत Under SME Debt Rest.Mech					अन्य / Others					योग / Total				
	आसित वर्गी. / Asset Class.		मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.	मा.	अवमा.	सं.	हानि.	योग.
	विवरण / Details		St	Ss	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Tot	St	SS	D	Lo	Total
1.	01-04-2017 को पुनर्गठित खाते Rest. a/c as on 1.04.2017	उधारकर्ताओं की संख्या No.of Borr.											08	---	---	---	08	08	---	---	---	08
		बकाया राशि Amt. O/St												0.62				0.62	0.62			0.62
		प्राव धान Prov.												0.06				0.06	0.06			0.06
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खाते Fresh. Rest. During The Year	उधारकर्ताओं की संख्या No.of Borr.	शून्य / Nil					शून्य / Nil					शून्य / Nil					शून्य / Nil				
		बकाया राशि Amt. O/St												-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्राव धान Prov.																				
3	उच्चीकरण Upgradation		शून्य / Nil					शून्य / Nil														
4	पुनर्ग.मा.आ.जिनके लिए बड़े प्र. प्रावधान की और/या वि.व. की समाप्ति पर जोखिम भार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर पुनर्ग.के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Rest. St. Adv.which cease to attract higher prov.and or add. Risk weight at the end of the FYand hence need not be shown as rest.St. adv.at the beg. Of next FY	No.of Borr.											08	---	---	---	08	08	---	---	---	08
		Amt. O/St												0.62				0.62	0.62			0.62
		Prov.												0.06				0.06	0.06			0.06
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्ग. खातों का स्तर निम्नतर होना Downgrading of rest. a/cs during the FY	NIL																				
6	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये पुनर्ग. खाते Write off rest. a/cs during the year	NIL																				
7	31.03.2018 को पुनर्ग.खाते Rest. a/cs as on 31.03.18	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borro.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		बकाया राशि Amt. O/S	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		प्रावधान Prov.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.4.3 आस्तियों की पुनर्संरचना के लिए : शून्य
सिक्यूरिटाइजेशन/ पुनर्निर्माण कम्पनी
को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.4.3 Details of financial assets sold to : NIL
Securitisation/Reconstruction
Company for Asset Reconstruction

6.4.3 (क) खरीदी/बेची गई गैर निष्पादक: शून्य
वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.4.3 (a) Details of non performance : NIL
financial assets purchases/sold

6.4.4 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

6.4.4 Provisions on Standard Asset

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

मद / Item	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Previous Year
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	16.49	12.45

6.4.5 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अस्थाई प्रावधान
6.4.5 Floating Provisions for Financial year 2017-18

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

मद / Item	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Previous Year
क) अस्थाई प्रावधान खाते में अथशेष a) Opening balance in the floating provisions account	52.92	40.77
ख) लेखा वर्ष में किये गये अस्थाई प्रावधान की मात्रा b) The quantum of floating provision made in the accounting year	0.00	12.15
ग) लेखा वर्ष में किये गये आहरण द्वारा गिरावट की राशि c) Amount of draw down made during the accounting year*	0.00	0.00
घ) अस्थाई प्रावधान खाते में इति शेष d) Closing balance in the floating provision account	52.92	52.92

6.4.6 प्रावधान सुरक्षा अनुपात
6.4.6 Provisioning Coverage Ratio

	चालू वर्ष / Current Year	विगत वर्ष / Last Year
सकल प्रावधान / सकल एन.पी.ए. / Total Provision/Total NPA	121.76/167.48	118.00/164.27
	72.70%	71.83%

बैंक ने 31 मार्च, 2018 को सकल एन.पी.ए. के लिए 72.71 प्रतिशत प्रावधान सुरक्षा अनुपात रखा जबकि भारि.बैं. ने इसके लिए 70 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया है। इसलिए शुद्ध एन.पी.ए. रु. 38.25 करोड़ है। सकल प्रावधान में रु. 52.92 करोड़ का अस्थाई प्रावधान सम्मिलित है।

The bank has achieved Provisioning Coverage Ratio of 72.71% as against the stipulated RBI provision coverage ratio norm of 70% with reference to the gross NPAs as at 31st March, 2018. Hence the net NPAs stands at ₹ 38.25 Crore. Total provision include floating provision amounting to ₹ 52.92 crore.

6.4.7 आस्तियों वर्गीकरण और प्रोविजनिंग में विचलन (आरबीआई परिपत्र No.DBR.BP.BC.No.63 / 21.04.18 / 2016-17 अप्रैल 18, 2017): शून्य

6.4.7 Divergence in the Assets Classification and Provisioning (RBI Circular No.DBR.BP.BC.No.63/21.04.18/2016-17 dated April 18, 2017): NIL

6.5 व्यावसायिक अनुपात
6.5. Business Ratio

क्र.सं. Sr. No.	मद / Item	चालू वर्ष (प्रतिशत) Current Year (%)	विगत वर्ष (प्रतिशत) Previous Year (%)
i.	कार्यकारी निधि में ब्याज से आय का प्रतिशत Interest Income as a percentage to Working Funds	8.00%	8.47%
ii.	कार्यकारी निधि में गैर ब्याज से आय का प्रतिशत Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.46%	0.79%
iii.	कार्यकारी निधि में परिचालन लाभ का प्रतिशत Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.27%	1.66%
iv.	आस्तियों से प्राप्ति का प्रतिशत / Return on Assets	0.63%	0.73%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम, बैंक जमा को छोड़कर) (रु. करोड़ में) Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (₹ in crore)	11.70	12.71
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में) Profit per employee (₹ in crore)	0.06	0.07

6.6 आस्ति देयता प्रबन्धन (ए.एल.एम.)**6.6 Asset Liability Management (ALM)**

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति के आंकड़े नीचे दिये गये हैं (ये आंकड़े प्रबन्धन द्वारा संकलित किए गए हैं तथा उन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।)

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (as compiled by the management and relied upon by the Auditors) are as under:

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

देयताएं Liabilities	जमा / Deposits	अग्रिम / Advances	निवेश / Investments	उधार / Borrowings	विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities
1 दिन / 1 day	35.62 (35.75)	80.37 (39.79)	35.34 (310.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 से 7 दिन तक / 2 to 7 days	178.74 (159.83)	98.35 (103.04)	29.56 (89.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8 से 14 दिन तक / 8 to 14 days	190.21 (169.52)	107.12 (112.92)	133.10 (74.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
15 से 30 दिन तक / 15 to 30 days	213.65 (178.57)	311.67 (247.88)	277.06 (392.13)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
31 दिन से अधिक और 2 माह तक / Over 31 days & up to 2 months	260.96 (223.99)	115.89 (116.36)	318.00 (126.60)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 माह से अधिक और 3 माह तक / Over 2 months & up to 3 months	375.67 (347.10)	118.29 (122.00)	104.49 (110.80)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 माह से अधिक और 6 माह तक / Over 3 months & up to 6 months	896.31 (976.31)	220.17 (131.26)	0.00 (19.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक / Over 3 months & up to 1 year	2286.58 (2150.68)	134.32 (127.55)	0.00 (18.69)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year & up to 3 years	2810.74 (2518.33)	1617.75 (1684.78)	51.18 (164.35)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 years & up to 5 years	64.08 (75.99)	225.28 (244.70)	76.24 (86.11)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	19.31 (16.72)	334.72 (277.92)	679.79 (712.74)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल / Total	7331.87 (6852.79)	3363.93 (3208.20)	1704.76 (2104.48)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं

Note: Figures in bracket indicates previous year figures

6.7 संवेदनशील क्षेत्र को उधार
6.7 Lending to Sensitive Sector
6.7.1 भूमि भवन क्षेत्र को ऋण
6.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

क्र.सं. S. No.	श्रेणी / Category		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
क) / A)	प्रत्यक्ष ऋण	Direct exposure		
i)	आवासीय बंधक— आवासीय सम्पत्ति जो उधार कर्ता के कब्जे में है या होगी या उसके द्वारा किराये पर दी गई है को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित उधार (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग से दिखाया जा सकता है)	Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	362.22* (194.50)	340.86* (207.99)
ii)	व्यापारिक भूमि भवन— व्यापारिक भूमि भवन (कार्यालय भवन, खुदरा जगह, बहु उद्देशीय व्यापारिक परिसर, अनेक परिवारों के आवासीय भवन, अनेक व्यक्तियों को किराये पर दिये गये व्यावसायिक भवन, उद्योग या गोदाम के लिए जगह, होटल, भूमि पर कब्जा, विकास और संरचना आदि) को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित ऋण। ऋण में गैर निधि आधारित सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	Commercial Real Estate — Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	126.88**	160.70
iii)	बंधक से समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत ऋण —	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	(अ) आवासीय	a. Residential,	0.00	0.00
	(ब) व्यापारिक भूमि भवन	b. Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख) / B)	अप्रत्यक्ष ऋण	Indirect Exposure		
	राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्तीय कम्पनियों को निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण।	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	0.00	0.00
	भूमि भवन क्षेत्र को कुल ऋण	Total Exposure to Real Estate Sector	489.10	501.56

*इसमें स्टाफ को दिए गए आवास ऋणों की राशि सम्मिलित है।

*include staff housing loans.

**इसमें वाणिज्यिक भूमि भवन क्षेत्र को ऋण सम्मिलित है—

**Exposure to Commercial Real Estate includes

— निधि आधारित ऋण रु. 120.87 करोड़

- Funded Exposure ₹ 120.87 crore

— गैर निधि आधारित ऋण रु. 6.01 करोड़

- Non Funded Exposure ₹ 6.01 crore

6.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर (ऋण)
6.7.2 Exposure to Capital Market

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

क्र.सं. S. No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year	विगत वर्ष Previous Year
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है।	33.35	0.00
ii)	शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी. सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम		
iii)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है		

क्र.सं. S. No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year	विगत वर्ष Previous Year
iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों शेषों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहां शेषों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से इतर प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती, के लिए अग्रिम	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	
v)	स्टॉक दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा स्टॉक दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेषों/बांडों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण	loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण	bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	
viii)	शेषों/परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दलालों को वित्तपोषण	financing to stockbrokers for margin trading;	
x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों) में सभी एक्सपोजर	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर (ऋण)	Total Exposure to Capital Market	33.35 0.00

6.7.3 जोखिम की श्रेणीवार किसी देश को ऋण : शून्य

6.7.3 Risk Category wise Country Exposure : NIL

6.7.4 ऋण का विवरण जहां बैंक ने व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता के लिये यथोचित उधार सीमा का उल्लंघन किया :

6.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

बैंक ने किसी व्यक्तिगत, समूह खाते के लिये विवेक सम्मत ऋण सीमा का उल्लंघन नहीं किया।

The Bank has not exceeded the prudential limits in respect of any individual, group account.

6.7.5 गैर जमानती अग्रिम

6.7.5 Unsecured Advances

अनुसूची 9 में दर्शाये गये गैर जमानती अग्रिमों की राशि निश्चित करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं सहित) में अधिकार, लाइसेंस, अधिकरण आदि जो बैंक में समर्थक जमानत के रूप में हैं को गोचर प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना गया है। इसलिए ऐसे अग्रिमों को असुरक्षित माना गया है। ऐसा कोई अग्रिम नहीं है जिसके लिए अगोचर प्रतिभूति जैसे – अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, अधिकार आदि को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया हो।

For determining the amount of unsecured advances reflected in Schedule 9, the rights, licenses, authorizations, etc., charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) financed by bank, have not been reckoned as tangible security. Hence such advances have been reckoned as unsecured. Moreover, there is no amount of advance for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc has been considered.

6.8 विविध

6.8 Miscellaneous

6.8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

6.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year;

(रु० करोड़ में)

(₹ in crore)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
आयकर के लिए प्रावधान	27.60	27.01

	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax	27.60	27.01

6.8.2 भा.रि.बैं. द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड का प्रकटीकरण: रुपये 1,11,000/- (मुद्रा प्रकोष्ठ से संबंधित)

7. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (जहाँ भा.रि.बैं. ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।)

7.1 ले.मा.-15 (संशो.) को अंगीकार करना :

बैंक ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (सं) - कर्मचारी हितलाभ को अंगीकार किया है।

1. पेंशन

भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज एलाएन्स, लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि., आई. सी. आई. सी. आई. प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि., इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि., एस. बी. आई. लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि., एच. डी. एफ. सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि., रिलायन्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि. और आईडीबीआई फ़ैडरल लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड इस निधि के प्रबन्धन का कार्य करते हैं। बैंक पेंशन फंड को वार्षिक योगदान, लाभ और हानि खाते से देता है। बैंक अपनी बही में आस्ति और देयता का अभिज्ञान नहीं करता है। निधि का प्रबन्धन एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

2. छुट्टी नकदीकरण

इस निधि का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसके लिए बैंक अपना योगदान लाभ और हानि खाते से देता है। आस्ति और देयता का हिसाब ज्ञापन बही में रखा गया है।

3. ग्रेच्युटी

एस.बी.आई. लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., बजाज एलाएन्स, लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., एच.डी.एफ. सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., एल.आई.सी. आफ इण्डिया और आई.डी.बी.आई. फ़ैडरल लाइफ इन्श्योरेंस लिमिटेड द्वारा ग्रेच्युटी निधि के प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। बैंक ग्रेच्युटी निधि को दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को लाभ और हानि खाते से अदा करता है। बैंक आस्ति और देयता को अपनी बहियों में चिन्हित नहीं करता है। निधि के प्रबन्धन का कार्य एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

4. कर्मचारियों को अन्य हित लाभ

कर्मचारियों के अन्य हित लाभ के लिए बैंक ने रु 1.50 करोड़ का छुट्टी यातायात रियायत (LFC) एवं एक्स ग्रेसिया के लिए रु 2.58 करोड़ का प्रावधान दिनांक 31.03.2018 तक के लिए किया है। ये प्रावधान एक्चूरियल फर्म द्वारा किये गए दायित्वों के मूल्यांकन पर आधारित है।

5. नैनीताल बैंक लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के नुकसान की भरपायी के लिए

31.03.2017 को नैनीताल बैंक लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि

6.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI : Rs 1,11,000 /- (related to Currency Chest)

7. Disclosure as per Accounting Standards (where RBI has issued guidelines)

7.1 Adoption of AS-15(R):

The Bank has adopted Accounting Standard 15 (R) - Employees Benefits, issued by ICAI w.e.f. 1st April, 2007.

1. Pension

The fund is managed by Life Insurance Corporation of India, Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd, SBI Life Insurance Co. Ltd., HDFC Standard Life Insurance Company Limited, Reliance Life Insurance Company Limited and IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd. The Bank charges the annual contribution towards pension fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

2. Leave encashment

The fund is managed by LIC of India. The Bank charges the annual contribution towards the fund to its Profit & Loss account. The asset and liability are maintained in Memorandum Books.

3. Gratuity

The fund is managed by SBI Life Insurance Co. Ltd., Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd. HDFC Standard Life Insurance Company Ltd, Reliance Life Insurance Company Ltd., LIC of India and IDBI Federal Life Insurance Co Ltd. The Bank charges the annual contribution towards Gratuity fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

4. Other Employees Benefits

In respect to other benefit, the bank has made a provision of ₹ 1.50 crores on account of LFC & ₹ 2.58 crores on account of Ex-gratia payment upto 31.03.2018. These provisions have been made on the basis of valuation of obligation carried out by actuarial firm.

5. To make good for the loss of the Nainital Bank Ltd. Staff Provident Fund Trust

The existing loss of the Nainital Bank Ltd Staff Provident

ट्रस्ट का मौजूदा नुकसान रु. 69,36,411.09 था। इसके अलावा ट्रस्ट ने रु. 2,00,25,845.00 की राशि का भुगतान, 2009-10 के बाद से सदस्यों को देय ब्याज की बकाया राशि के लिए किया है। भविष्यनिधि अधिनियम के अनुसार, ट्रस्ट को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपायी नियोजता अर्थात् नैनीताल बैंक लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड स्टाफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के मौजूदा नुकसान की भरपायी, इसे -3- वर्ष की अवधि में विस्तारित (स्प्रेड) करते हुए करने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार बैंक ने नैनीताल बैंक लिमिटेड स्टाफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के मौजूदा नुकसान की भरपायी के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 90,00,000.00 (रु. नब्बे लाख मात्र) का भुगतान किया है।

Fund Trust as on 31/03/2017 was ₹ 69, 36,411.09. Further the Trust has paid an amount of ₹ 2,00,25,845.00 towards arrear of interest payable to its members since 2009-10. As per PF Act, any loss to the Trust has to be made good by the employer i.e. The Nainital Bank Limited. Keeping in view the same, the Bank has agreed to make good for the existing loss of the Nainital Bank Ltd Staff Provident Fund Trust by spreading it over a period of -3- years. Accordingly, the Bank has made payment for an amount of ₹ 90.00 (Rupees Ninety lakhs only) towards the existing loss of the Nainital Bank Ltd Staff Provident Fund Trust in the FY 2017-18.

7.1.1 देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
1 अप्रैल, 2017 को निर्धारित हित लाभ के दायित्व का वर्तमान मूल्य	221.55	38.33	21.89
ब्याज लागत	16.62	2.87	1.64
चालू सेवा लागत	4.80	1.71	0.97
पूर्व सेवा लागत		9.89	
घटाएं:			
अदा किए गए हित लाभ	-20.65	-3.86	-2.29
एक्चूरियल हानि/ (लाभ)	24.99	-3.14	-0.84
31 मार्च, 2018 को निर्धारित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	247.31	45.80	21.37

7.1.2 योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
1 अप्रैल, 2017 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	142.38	41.11	21.81
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति, जैसा कि एक्चूरी की रिपोर्ट में दिया गया है	11.02	3.43	1.72
नियोजता का योगदान 2017-18	20.90	5.12	2.90
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खरीदी गई एन्युटीज	99.41		
घटाएं :	-	-	-
प्रदत्त हित लाभ	-20.65	-3.86	-2.29
एक्चूरियल हानि/ (लाभ)			
31 मार्च, 2018 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	253.06	45.80	24.14

7.1.1 Changes in the present value of the obligation:

(₹ In crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Present Value of defined benefit obligation as at 1 st April, 2017	221.55	38.33	21.89
Interest Cost	16.62	2.87	1.64
Current service cost	4.80	1.71	0.97
Past Service Cost		9.89	
Less:			
Benefits Paid	-20.65	-3.86	-2.29
Actuarial (loss)/gain	24.99	-3.14	-0.84
Present value of defined benefits obligations as at 31 st March, 2018	247.31	45.80	21.37

7.1.2 Changes in the fair value of Plan Assets

(₹ In crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Fair value of Plan Assets as at 1 st April, 2017	142.38	41.11	21.81
Expected Return of Plan Assets as in the actuarial report	11.02	3.43	1.72
Employer's Contribution 2017-18	20.90	5.12	2.90
Annuities Purchased for retirees	99.41		
Less:	-	-	-
Benefits Paid	-20.65	-3.86	-2.29
Actuarial loss/(gain)			
Fair value of Plan Assets as at 31 st March, 2018	253.06	45.80	24.14

7.1.3 शुद्ध एक्चूरियल घाटा / (लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
दायित्वों पर एक्चूरियल हानि / (लाभ) (क)	24.99	(3.14)	(0.84)
योजनाबद्ध आस्तियों पर एक्चूरियल घाटा / (लाभ) (ख)	1.44	(0.14)	0.19
शुद्ध एक्चूरियल हानि / (लाभ)	26.42	(3.28)	(0.65)
चिन्हित एक्चूरियल हानि / (लाभ)	26.42	(3.28)	(0.65)
वर्ष के अन्त में निश्चित न किया गया एक्चूरियल हानि / (लाभ)	0.00	0.00	0.00

7.1.4 लाभ और हानि खाते में दिये गये व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
चालू सेवा लागत	4.80	1.71	0.97
ब्याज लागत	16.62	2.87	1.64
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति	-12.46	-3.29	-1.91
पूर्व सेवा लागत – निहित हितलाभ	0.00	9.89	0.00
पूर्व सेवा लागत – गैर-निहित हितलाभ	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निश्चित की गई संक्रमण कालीन देयता	0.00	0.00	0.00
घटाएं :	0.00	0.00	0.00
शुद्ध एक्चूरियल घाटा / (लाभ)	26.42	(3.28)	(0.65)
वास्तव में निश्चित किया गया शुद्ध हितलाभ व्यय	35.39	7.91	0.05

7.1.5 तुलन पत्र में दी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
देयता का वर्तमान मूल्य	247.31	45.80	21.37
योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य	253.06	45.70	24.14
निधिक स्थिति	-5.75	0.10	-2.77

7.1.3 Net Actuarial Loss / (Gain)

(₹ In crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Actuarial Loss / (gain) on obligation (A)	24.99	(3.14)	(0.84)
Actuarial Loss / (gain) on Plan Assets (B)	1.44	(0.14)	0.19
Net Actuarial loss / (gain)	26.42	(3.28)	(0.65)
Actuarial Loss/(gain) recognized in the period	26.42	(3.28)	(0.65)
Unrecognized Actuarial loss/ (gain) at the end of the year.	0.00	0.00	0.00

7.1.4 Expenses Recognized in Profit & Loss Account

(₹ In crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Current Service Cost	4.80	1.71	0.97
Interest Cost	16.62	2.87	1.64
Expected Return on Plan Assets	-12.46	-3.29	-1.91
Past Service Cost – Vested Benefits	0.00	9.89	0.00
Past Service Cost – Non-Vested Benefits	0.00	0.00	0.00
Transitional liability recognized during the year.	0.00	0.00	0.00
Less:	0.00	0.00	0.00
Net Actuarial Loss/(gain)	26.42	(3.28)	(0.65)
Net benefits expenses actually recognized	35.39	7.91	0.05

7.1.5 Amount recognized in the Balance Sheet (₹ In crores)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Present value of Obligation	247.31	45.80	21.37
Fair Value of Plan Assets	253.06	45.70	24.14
Funded Status	-5.75	0.10	-2.77

7.1.6 तुलन पत्र की दिनांक को मुख्य एक्चूरियल पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में प्रदर्शित)

विवरण	पेंशन (निधिक)	ग्रेच्युटी (निधिक)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक)
रियायत दर	7.75	7.75	7.75
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.75	8.35	8.21
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00
क्षरण दर	0	0	0
अपनाई गई विधि	PUC	PUC	PUC

7.1.6 Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Discount rate	7.75	7.75	7.75
Expected rate of return on Plan Assets	8.75	8.35	8.21
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	0	0	0
Method Used	PUC	PUC	PUC

7.2 खण्डवार सूचना (लेखा मानक 17)

भाग (क) :

व्यावसायिक खण्ड (रु० करोड़ में)

7.2 Segment Reporting (Accounting Standard 17)

Part A:

Business segments

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

व्यावसायिक खण्ड Business Segments		ट्रेजरी Treasury	कम्पनी/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation	कुल योग Total
विवरण / Particulars		2017-18	2017-18	2017-18	2017-18	
राजस्व	Revenue	283.70 (263.22)	94.75 (84.20)	272.96 (263.10)	1.35 (1.57)	652.76 (612.09)
परिणाम	Result	60.47 (61.71)	15.18 (7.60)	53.30 (50.29)	1.35 (1.57)	130.29 (121.17)
आवंटित न किए गए खर्च	Unallocated expenses					53.81 (45.70)
परिचालन लाभ	Operating profit					76.49 (75.47)
आयकर	Income taxes					27.60 (27.01)
असामान्य लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss					0 (0)
शुद्ध लाभ	Net profit					48.89 (48.46)
अन्य सूचना / Other Information						
खण्ड आस्तियाँ	Segment assets	4285.89 (4078.08)	1563.90 (1643.63)	2231.09 (1945.25)	0 (0)	8080.88 (7666.96)
आवंटित न की गई आस्तियाँ	Unallocated assets					33.81 (32.72)
कुल आस्तियाँ	Total assets					8114.69 (7699.68)
खण्ड देयताएं	Segment liabilities	3898.98 (3710.02)	1482.63 (1559.39)	2114.71 (1844.01)	0 (0)	7496.32 (7113.42)
आवंटित न की गई देयताएं	Unallocated liabilities					618.37 (586.26)
कुल देयताएं	Total liabilities					8114.69 (7699.68)

भाग ख :

Part B:

भौगोलिक खण्ड

: शून्य

Geographic segments

: NIL

7.3. सम्बन्धित पक्षों का प्रकटीकरण (लेखा मानक 18):

7.3 Related Party disclosures (Accounting Standard 18):

(रु. करोड़ में) / (Rs in crore)

मद / सम्बन्धित पक्ष Items/Related Party		मूल कम्पनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुशंगियां संयुक्त उद्यम Parent's Subsidiaries	सहयोगी संस्था Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
वर्ष की समाप्ति पर उधार	Borrowings At the year end	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/s	10.00 (40.00)	--	--	--	--	10.00 (40.00)
जमा	Deposit						
जमाओं का विवरण	Placement of deposits	--	--	--	--	--	--
चालू खाता, वर्ष के अंत में	Current A/c At the year end	11.43 (5.04)	--	--	--	--	11.43 (5.04)
सावधि जमा राशि, वर्ष के अंत में	Fixed Deposit At year end	0.00 (22.77)	--	--	--	--	0.00 (22.77)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	22.77 (22.77)	--	--	--	--	22.77 (22.77)
जमा प्राप्तियां	Deposit received						
चालू खाते में वर्ष के अंत में	Current A/c at the year end	0.00 (00.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
सावधि खाते में प्राप्त जमा राशि वर्ष के अंत में	Fixed Deposit at the year end	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
सर्वाधिक राशि	Maximum. O/s	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
अग्रिम	Advances						
जारी आईबीपीसी	IBPC Issued	0.00 (100.00)	--	--	--	--	0.00 (100.00)
आईबीपीसी साझेदारी	IBPC Participated	0.00 (100.00)	--	--	--	--	0.00 (100.00)
वर्ष के अंत में निवेश	Investments At year end	--	--	--	--	--	--
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	0.00	--	--	--	--	0.00
वर्ष के अंत में गैर निधिक प्रतिबद्ध ताएं	Non-funded commitments At the year end	11.01 (7.09)	--	--	--	--	11.01 (7.09)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	(11.01) (22.95)	--	--	--	--	(11.01) (22.95)
वर्ष के अंत में जारी गैर निधिक प्रतिबद्धताएं	Non funded Commitments issued at the year end	1.57 (1.57)	--	--	--	--	1.57 (1.57)
सर्वाधिक राशि	Maximum O/S	1.57 (1.57)	--	--	--	--	1.57 (1.57)

मद/सम्बन्धित पक्ष Items/Related Party		मूल कम्पनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुशंगियां संयुक्त उद्यम Parent's Subsidiaries	सहयोगी संस्था Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
उपयोग की गई पट्टादायी/ किराया खरीद व्यवस्था	Leasing/HP arrangements availed	--	--	--	--	--	--
उपलब्ध कराई गई पट्टादायी/ कि.ख. व्यवस्था	Leasing/HP arrangements provided	--	--	--	--	--	--
अचल सम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	--	--	--	--	--	--
म्यूचुअल फण्ड की यूनिटों की खरीद	Purchase of Mutual Fund Unit	--	--	95.00 (108.00)	--	--	95.00 (108.00)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री म्यूचुअल फण्ड की यूनिटों की बिक्री	Sale of fixed assets Sale of Mutual Fund Unit	--	--	95.00 (108.00)	--	--	95.00 (108.00)
प्रदत्त ब्याज	Interest paid	0.002 (0.01)	--	--	--	--	0.002 (0.01)
प्रदत्त कमीशन	Commission paid	0.52 (17.00)	--	--	--	--	0.52 (17.00)
प्राप्त कमीशन	Commission received	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
डिविडेन्ड आय	Dividend income	--	(Nil)	--	--	--	--
यूनिटों की बिक्री से लाभ	Profit on sale Of Units	Nil	(Nil)	--	--	--	Nil
प्रदत्त ब्याज (आईबीपीसी)	Interest Paid (IBPC)	1.86 (6.85)	--	--	--	--	1.86 (6.85)
प्राप्त ब्याज	Interest received	1.47 (0.00)	--	--	--	--	1.47 (0.00)
प्राप्त ब्याज (आईबीपीसी)	Interest Received (IBPC)	2.92 (11.79)	--	--	--	--	2.92 (11.79)
प्रदत्त सेवाएं	Rendering of services	--	--	--	--	--	--
प्राप्त सेवाएं	Receiving of services	--	--	0.00	--	--	0.00
प्रबन्धन	Management	--	--	--	0.27* (0.29)*	--	0.27* (0.29)*

नोट :- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

शेष राशियां पुष्टिकरण के आधीन हैं।

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) को प्रबन्धकीय पारिश्रमिक

Note:- Figures in brackets indicate previous year figures.

Balances are subject to confirmation.

*Managerial Remuneration to CEO & COO

7.4 सम्बन्धित पक्षों के नाम व उनका बैंक से सम्बन्ध
7.4 Names of the related parties and their relationship with the Bank

(i)	मूल कम्पनी	Parent	:	बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रमुख अंश धारक)	Bank of Baroda (Major Shareholder)
(ii)	प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक	Key Management Personnel	(I)	श्री मुकेश शर्मा (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	Shri Mukesh Sharma (Chairman & CEO)
			(II)	श्री ए. के. सिंह (मुख्य परिचालन अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)	Shri A. K. Singh (Chief Operating Officer & Chief Financial Officer)
(iii)	मूल कम्पनी का अनुषंगी	Parent's Subsidiary	(I)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर सरभिशेष लिमिटेड	Baroda Global Shared Services Limited
			(II)	बीओबी फाईनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (जिसे पहले बॉब कार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	BOB Financial Solutions Limited (formerly known as Bob cards Limited)
			(III)	बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.	BOB Capital Markets Ltd.

**7.5 आय पर करों के लिए लेखाकरण
(लेखा मानक 22)**

वर्ष के अंत में आस्थगित कर आस्ति/देयता का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:

**7.5 Accounting for Taxes on Income
(Accounting Standard 22)**

The breakup of deferred tax asset/liability at the year end is as under:

(रु. करोड़ में)/(Rs in crore)

मद / Item		31.03.2018	
		सकल आस्थगित कर आस्ति Total Deferred Tax Assets	सकल आस्थगित कर देयता Total Deferred Tax Liability
बही मूल्यहास (बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के) और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास में अंतर	Difference between WDV as per book (Without Revaluation Reserve) and depreciation under Income Tax Act	1.85	-
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रवधान	Provision For Employee Benefits	1.69	-
खण्ड 36(i)(viii) के अन्तर्गत सृजित आरक्षित निधि	Reserve created u/s 36(i)(viii)	-	7.88
जोड़	Total	3.54	-
31.03.2018 को सकल आस्थगित कर देयता	Total Deferred Tax Liability as 31.03.2018		4.34

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कोई अतिरिक्त स्थगित कर देयता नहीं है। पिछले वर्ष के डीटीएल यानी 4.69 करोड़ रुपये लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात हैं। 31.03.2018 को कुल स्थगित कर देयता 4.34 करोड़ रुपये है। प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, एनपीए प्रावधानों के संबंध में कोई समय अंतर नहीं हुआ है, इसलिए कोई स्थगित कर संपत्तियां पहचानी नहीं गई हैं।

There is no additional Deferred Tax Liability for the year-ended 31.03.2018 (Previous year DTL ₹ 4.69 crore) has been recognized in the Profit and Loss Account. Total Deferred Tax Liability as on 31.03.2018 is ₹ 4.34 Crores. In view of the management, there is no timing difference arising in connection with NPA provisions, hence no deferred tax assets have been recognized.

7.6 प्रति शेयर आय:
7.6 Earnings per share-

विवरण / Particulars			31.03.2018	31.03.2017
क)/a)	प्रति शेयर आय	Earnings per share		
	मूल	Basic	6.31	7.17
	तनु**	Diluted**	6.31	7.17
ख)/b)	(कर के बाद) लाभ के रूप में आई राशि	Amount used as numerator (Profit after tax)	रु./₹ 48.89 करोड़ / crore	रु./₹ 48.46 करोड़ / crore
ग)/c)	शेयरों का न्यूनतम मूल्य	Nominal value of shares	रु./₹ 10/- प्रतिशेयर / per share	रु./₹ 10/- प्रतिशेयर / per share
घ)/d)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिससे भाग दिया गया।	Weighted average number of equity shares used as the denominator	77500000	67554794

**बैंक के पास वर्ष के दौरान तनु प्रति शेयर आय की गणना के लिए कोई सम्भावित तनु इक्विटी शेयर नहीं है और प्रति शेयर मूल आय लेखा-20 के अनुसार, कर के बाद आये शुद्ध लाभ को औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई है।

**The bank has no dilutive potential equity shares outstanding during the year for the purpose of computing diluted EPS and the basic earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares as per AS-20.

7.7 आस्तियों की क्षति (लेखा मानक 28) :**7.7 Impairment of Assets (Accounting Standard 28)**

बैंक के प्रबन्धन की राय में आस्तियों की ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिस पर 31.03.18 की स्थिति के अनुसार किसी ठोस सीमा तक उपरोक्त लेखा मानक प्रयुक्त होता हो। चालू वर्ष के दौरान ₹ 5.00 लाख का पूर्ववत् तदर्थ प्रावधान किया गया है।

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment of the assets to which aforesaid Accounting Standard applies to any material extent as at 31.3.2018. An adhoc provision of ₹ 5.00 Lac has been continued during the current year.

7.8 समाश्रित देयता और प्रावधानों का विवरण (ले० मा० 29)**7.8 Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)**

(₹. करोड़ में) / (Rs in crore)

मद / Item		लेखा मानक-29 के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS - 29							टिप्पणी Remarks
		वह राशि जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से देनदार है Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष के आरम्भ में किया गया प्रावधान Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गयी राशि Amount used during the year	उपयोग न की गई राशि जिसे वर्ष के दौरान वापस किया गया। Unused amount reversed during the year	वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान Provision as at the close of the year	भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में बड़ी अवधारणाएं Major assumption regarding future events	
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं समझा गया।	Claims against the Bank not acknowledged as debt	0.81 (0.811)	0.14 (0.17)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.03)	0.14 (0.14)	*	-
संघटकों की ओर से जारी की गई गारन्टियां	Guarantees issued on behalf of constituents	88.61 (51.59)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	-
स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व	Acceptance Endorsements and other obligations	8.31 (11.10)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	-
अन्य मद जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है।	Other items, for which the Bank is contingently liable	0.14 (0.11)	0.14 (0.11)	0.00 (0.03)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.14 (0.14)	*	-

*ऐसी देयताएं न्यायालय/मध्यस्थ/न्यायालय से बाहर समझौते, मुकदमों के निस्तारण, मांगी जा रही राशि, संविदा की शर्तों, सम्बन्धित पक्षों द्वारा मांग व उसके विकास के परिणाम पर निर्भर हैं।

*Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

8. भारि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निवेशों की स्थिति निम्नानुसार है :-

8. In accordance with RBI guidelines, the Bank's Investment portfolio has been classified into three categories. The position of holding as on 31.03.2018 is as follows:

(करोड़ रुपए में)

(Rs in crore)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	परिपक्वता अवधि तक रखे गये	966.76	981.89
2	बिक्री के लिये उपलब्ध	743.38	1127.74
3	व्यापार के लिये रखे गये	0.00	0.00

S No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Held to Maturity	966.76	981.89
2	Available for sale	743.38	1127.74
3	Held for trading	0.00	0.00

निवेशों का प्रतिशत

(% holding)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	परिपक्वता अवधि तक रखे गये	56.53%	46.54%
2	बिक्री के लिये उपलब्ध	43.47%	53.46%
3	व्यापार के लिये रखे गये	0.00%	0.00%

S No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Held to Maturity	56.53%	46.54%
2	Available for sale	43.47%	53.46%
3	Held for trading	0.00%	0.00%

9. लाभ-हानि खाते के "व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत "प्रावधान और आकस्मिकताओं" में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(रु० करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1.	आयकर के लिए प्रावधान (चालू कर)	27.60	27.01
2.	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर)	-0.36	0.39
3.	निवेशों में मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	0.22	5.15
4.	एन.पी.ए. नियामक के लिए प्रावधान	17.30	17.37
5.	फ्लोटिंग एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	0.00	12.15
6.	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	4.05	0.95
7.	पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	-0.02	-1.73
8.	धोखाधड़ी के खिलाफ प्रावधान	0.00	0.03
9.	अन्य प्रावधान (बैंक राइटबैक के विरुद्ध दावा)	0.00	0.00
		48.79	61.32
	घटाएँ :- प्रतिलेखित निवेशों पर अतिरिक्त प्रावधान/मूल्यह्रास	-	-
	प्रतिलेखित किए गये अन्य प्रावधान	-	-
	जोड़	48.79	61.32

10. शिकायतों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

10.1 ग्राहकों से शिकायतें :

क्र.सं.		*2017-18	**2016-17
क)	वर्ष के आरम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या	18	3
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3137	1181
ग)	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	3119	1166
घ)	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या	36	18

*यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों में से 3023 शिकायतें ए.टी.एम. से असफल लेन-देन/उन्हें वापस करने के मामलों से सम्बन्धित थी। पुनः ऐसी 3023 शिकायतों में से 2990 शिकायतें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सौहार्द्रपूर्ण ढंग से ग्राहक की संतुष्टि तक सुलझा ली गई और केवल 33 शिकायत ऐसी थी जो मार्च, 2018 के दौरान प्राप्त हुई तथा जो एनपीसीआई (धोखाधड़ी देयता निर्धारण समिति) देयता के हटाने की प्रक्रिया में थी।

**यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों में से 1125 शिकायतें ए.टी.एम. से असफल लेन-देन/उन्हें वापस करने के मामलों से सम्बन्धित थी। पुनः ऐसी 1125 शिकायतों में से 1111 शिकायतें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सौहार्द्रपूर्ण ढंग से ग्राहक की संतुष्टि तक सुलझा ली गई और केवल 14 शिकायतें ऐसी थी जो मार्च, 2017 के दौरान प्राप्त हुई तथा जो सुलझने की प्रक्रिया में थी।

10.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय :

क्र.सं.		2017-18	2016-17
क)	वर्ष के आरम्भ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
घ)	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

9. Break-up of the items "Provisions and Contingencies" included under the head Expenditure in the Profit & Loss Account:

(₹ in crore)

Sr.No.		2017-18	2016-17
1.	Provision for Income Tax (Current Tax)	27.60	27.01
2.	Provision for Income Tax (Deferred Tax)	-0.36	0.39
3.	Provision for depreciation in investment	0.22	5.15
4.	Provision towards NPA Regulatory	17.30	17.37
5.	Provisions towards NPA floating	0.00	12.15
6.	Provision for standard Advances	4.05	0.95
7.	Provision for Restructured Advances	-0.02	-1.73
8.	Provision against frauds	0.00	0.03
9.	Other provision (Claim against bank write back)	0.00	0.00
		48.79	61.32
	Less: Excess Provision /Depreciation on Investment written back	-	-
10.	Other Provisions written back	-	-
	Total	48.79	61.32

10. Statement showing the position of Complaints

10.1 Customer Complaints

Sr. No.		*2017-18	**2016-17
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	18	3
b)	No. of complaints received during the year	3137	1181
c)	No of complaints redressed during the year	3119	1166
d)	No. of complaints pending at end of the year	36	18

*It is clarified that out of the complaints received during the year, 3023 complaints pertained to ATM failed transactions/ charged back cases. Further Out of 3023 such complaints, 2990 were resolved to the satisfaction of customers amicably, within the stipulated time frame and only 33 complaints which were received during the month end March 2018, were in process of resolution.

**It is clarified that out of the complaints received during the year, 1125 complaints pertained to ATM failed transactions/ charged back cases. Further Out of 1125 such complaints, 1111 were resolved to the satisfaction of customers amicably, within the stipulated time frame and only 14 complaints which were received during the month end March 2017, were in process of resolution.

10.2 Awards Passed by the Banking OMBUDSMAN

Sr.No.		2017-18	2016-17
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	Nil
b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	NIL	Nil
c)	No of Awards implemented during the year	NIL	Nil
d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	Nil

10.3 बैंकों द्वारा जारी लैटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) का प्रकटीकरण

बैंक द्वारा जारी लैटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के अन्तर्गत प्रकटीकरण	2017-18	2016-17
	शून्य	शून्य

11. अनु. जा./अनु. जन. को ऋण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.		2017-18	2016-17
1	वर्ष की समाप्ति पर अनु.जा./अनु. जन. को दिए गए ऋण का शेष	47.12	46.99
2	वर्ष के दौरान अनु. जा./अनु. जन. के उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली	19.26	19.68

12. इंटर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी):

बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ 150.00 करोड़ रुपये के लिए जोखिम साझा करने के आधार पर अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) में भाग लिया है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक माना जाता है, फिर से समूहित/पुनः स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण
I) 31.03.2018 को अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

चार शीर्षस्थ अनर्जक खातों में कुल एक्सपोजर	2017-18	2016-17
	54.60	59.62

II) क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत (प्राथमिकता प्राप्त एवं गैर प्राथमिकता शामिल)	
		2017-18	2016-17
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	6.88	5.50
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	4.69	5.71
3	सेवाएं	5.67	5.67
4	वैयक्तिक ऋण	2.44	2.72

10.3 Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Banks:

Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Banks:	2017-18	2016-17
	NIL	Nil

11. Advances to SC/STs

(Rs in crore)

Sr. No.		2017-18	2016-17
1	Outstanding credit to SC/STs as at end of the year	47.12	46.99
2	Recovery from SC/STs borrowers during the year	19.26	19.68

12. Interbank Participation Certificate (IBPC):

Bank has participated in Inter Bank Participation Certificate (IBPC) on risk sharing basis, for ₹ 150.00 Crores with HDFC Bank Limited.

Figures for the previous year have been regrouped/ recasted wherever considered necessary to make them comparable with current year figures.

Additional Disclosures
I) Concentration of NPAs* as on 31.03.2018

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	2017-18	2016-17
	54.60	59.62

II) Sector-wise NPAs

(In Percentage)

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to total Advances in that sector (including both Priority & Non Priority)	
		2017-18	2016-17
1	Agriculture & Allied Activities	6.88	5.50
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	4.69	5.71
3	Services	5.67	5.67
4	Personal Loans	2.44	2.72

III) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (रु. करोड़ में)

ब्यौरे	2017-18	2016-17
विगत वर्ष विशेष के 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियाँ (आरंभिक शेष)	164.27	121.04
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियाँ)	47.89	87.48
उप-जोड़ (क)	212.16	208.52
घटाएं :-		
(i) श्रेणी उन्नयन	12.65	9.86
(ii) वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है उनसे वसूली को छोड़कर)	18.56	33.77
(iii) बट्टे खाते डाले गये	13.47	0.62
उप-जोड़ (ख)	44.68	44.25
चालू वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियाँ (इति शेष) (क-ख)	167.48	164.27

*भारि.बैं. के परिपत्र, दिनांक 24.09.2010 की अपेक्षाओं के अनुसार सकल गै.नि.अ. (एन.पी.ए.) में उचित ब्याज खाते के शेष की राशि सम्मिलित नहीं है।

IV) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दी गई कुल ऋणराशि	633.76	836.62
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	18.42	25.51

V) सेक्टर वार अग्रिम

क. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector		चालू वर्ष / Current Year			विगत वर्ष / Previous Year		
			बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advance	सकल गै.नि.अ. / Gross NPA	स.गै.नि.अ. का सेक्टर के कुल अग्रिम से प्रतिशत / Percentage of gross NPA to Total Advance in that sector	बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advance	सकल गै.नि.अ. / Gross NPAs	स.गै.नि.अ. का सेक्टर के कुल अग्रिम से प्रतिशत / Percentage of Gross NPA to Total Advance in that sector
क / A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority Sector	1777.47	103.80	5.84	1627.29	84.28	5.18
1	कृषि एवं सहायक कार्यकलाप	Agriculture and allied activities	725.89	50.07	6.90	733.58	40.37	5.50
2	प्रा.प्रा.क्षे. में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	345.75	17.81	5.15	247.89	14.84	5.99
3	सेवाएं	Services	473.34	27.36	5.78	407.77	21.00	5.15
4	वैयक्तिक ऋण	Personal Loan	232.47	8.57	3.68	238.05	8.07	3.39
	उप-जोड़ (अ)	Sub Total (A)	1777.47	103.80	5.84	1627.29	84.28	5.18
ख / B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector	1662.75	63.67	3.83	1652.71	79.98	4.84
	जोड़ / TOTAL		3440.22	167.48	4.87	3280.00	164.26	5.01

III) Movement of NPAs (₹ in Crores)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPA should be removed as on 1st April of previous year (Opening Balance)	164.27	121.04
Additions (Fresh NPAs) during the year	47.89	87.48
Sub - Total (A)	212.16	208.52
Less :-		
(i) Upgradations	12.65	9.86
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	18.56	33.77
(iii) Write - offs	13.47	0.62
Sub - Total (B)	44.68	44.25
Gross NPA as on 31st March of current year (closing balance) (A-B)	167.48	164.27

*Gross NPAs are net of balance in interest suspense account as per RBI requirements vide circular dated 24.09.2010.

IV) Concentration of Advances

(₹ in Crores)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Advances to twenty largest borrowers	633.76	836.62
Percentage of advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	18.42	25.51

V) Sector wise advances

(₹ in Crores)

एनेक्सर-1**भाग-अ**

सकल अग्रिम, सकल गै.नि.अ., शुद्ध अग्रिम एवं शुद्ध गै.नि.अ.
का 31-03-2018 को विवरण।

Annex - 1**Part A**

Details of Gross Advances, Gross NPAs, Net Advances
and Net NPAs on 31.03.2018

(रुपये करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars		31.03.2018	31.03.2017
1.	मानक अग्रिम	Standard Advances	3272.74	3115.73
2.	सकल गैर निष्पादक आस्तियां	Gross NPAs	167.48	164.27
3.	सकल अग्रिम (1 + 2)	Gross Advances (1+2)	3440.22	3280.00
4.	सकल गैर निष्पादक आस्तियों का सकल अग्रिमों से प्रतिशत (2/3) (प्रतिशत में)	Gross NPAs as a percentage of Gross Advances (2/3) (in %)	4.87%	5.01%
5.	कटौतियां	Deductions		
	(i) गै.नि.अ. खाते के सन्दर्भ में आस्ति वर्गीकरण के अनुसार किया गया प्रावधान (गै.नि.अ. के सन्दर्भ में निर्धारित प्रावधान से अधिक अतिरिक्त प्रावधान को सम्मिलित करते हुए)	Provisions held in the case of NPA Accounts as per asset classification (including additional Provisions for NPAs at higher than prescribed rates).	68.84	65.08
	(ii) डीआईसीजीसी/ईसीजीसी क्लेम जो प्राप्त हुए और समायोजन हेतु अनिष्पादित	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	-	-
	(iii) अंश भुगतान प्राप्त एवं उचित खाते या ऐसे किसी समान खाते में रखा गया	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	7.45	6.73
	(iv) विविध खाते में अवशेष (ब्याज पूंजीकरण-पुर्नगठित खाते) गै.नि.अ. खातों के सन्दर्भ में	Balance in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts	-	-
	(v) चल प्रावधान	Floating Provisions	52.92	52.92
	(vi) गै.नि.अ. में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में कमी के विरुद्ध प्रावधान	Provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as NPAs	-	-
	(vii) मानक आस्तियों में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में कमी के विरुद्ध प्रावधान	Provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets	0.02	0.03
6.	शुद्ध अग्रिम (3-5)	Net Advances (3-5)	3310.99	3155.24
7.	शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां {2-5(i + ii + iii + iv + v + vi)}	Net NPAs {2-5 (i + ii + iii + iv + v + vi)}	38.25	39.51
8.	शुद्ध गै.नि.अ. का शुद्ध अग्रिम से प्रतिशत (7/6) (प्रतिशत)	Net NPAs as percentage of Net Advances (7/6) (in %)	1.16%	1.25%

VI. एक्सपोजर का संकेन्द्रण (रु. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	866.65	965.06
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये एक्सपोजर का प्रतिशत	20.69%	17.90%

VII. जमाराशि का संकेन्द्रण

(रु. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	2050.63	981.53
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	27.97%	14.32%

VIII. बैंकाश्योरैन्स व्यवसाय

बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकाश्योरैन्स व्यवसाय से निम्नानुसार रु. 86.57 लाख की कुल आय हुई :

(रु. लाख में)

क्र. सं.	इश्योरैन्स कम्पनी	राशि	
		2017-18	2016-17
1	एक्साईड लाइफ इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	35.97	41.47
2	नेशनल इन्श्योरैन्स कम्पनी लि.	29.84	23.28
3	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरैन्स कं. लि.	3.59	5.18
4	भारतीय जीवन बीमा निगम लि. (पीएमजेजेबीवाई)	3.11	3.00
5	अटल पेंशन योजना	0.31	0.27
6		13.75	-
	जोड़	86.57	73.20

बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अन्य उत्पादों से निम्नानुसार रु. 0.46 लाख की आय हुई

(रु. लाख में)

क्र. सं.	कम्पनी	राशि	
		2017-18	2016-17
1	विजमैन फोरेक्स लि.	0.37	0.61
2	यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल.	-	-
3	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	0.09	0.08
	जोड़	0.46	0.69

IX. डीईएफ (जमाकर्ता को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए निधि):

(रु. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
डी ई ए एफ को अंतरित प्रारम्भिक जमा राशि शून्य	11.17	8.31
जोड़ें: वर्ष के दौरान डी ई ए एफ को अंतरित राशि	3.11	2.94
घटाएं: दावों के लिए डी ई ए एफ द्वारा प्रतिपूरित राशि	0.43	0.08
डी ई ए एफ को अंतरित राशि का इतिशेष	13.85	11.17

V. Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

	2017-18	2016-17
Total Exposures to twenty largest borrowers/ customers	866.65	965.06
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	20.69%	17.90%

VII. Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

	2017-18	2016-17
Total Deposits from twenty largest Depositors	2050.63	981.53
Percentage of Deposits from twenty largest customers to Total deposits of the bank	27.97%	14.32%

VIII. Bancassurance Business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was ₹ 86.57 Lac during the financial year 2017-18, with details as under:

(₹ in Lac)

Sr. No.	Insurance Company	Amount	
		2017-18	2016-17
1	Exide Life Insurance Company Ltd.	35.97	41.47
2	National Insurance Company Ltd	29.84	23.28
3	India First Life Insurance Co. Ltd	3.59	5.18
4	Life Insurance Corp of India (PMJJBY)	3.11	3.00
5	Atal Pension Yojna	0.31	0.27
6		13.75	-
	Total	86.57	73.20

The total income of the bank in respect of other products was ₹ 0.46 Lac during the financial year 2017-18, with details as under.

(₹ in Lac)

Sr. No.	Company	Amount	
		2017-18	2016-17
1	Weizmann Forex Ltd.	0.37	0.61
2	UTIITSL	-	-
3	Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.09	0.08
	Total	0.46	0.69

IX. DEAF (Depositor Education and Awareness Fund)

(₹ in Crore)

	2017-18	2016-17
Opening balance of amounts transferred to DEAF	11.17	8.31
Add: Amounts Transferred to DEAF during the year	3.11	2.94
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.43	0.08
Closing balance of amounts transferred to DEAF	13.85	11.17

X. चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) 2017-2018**X. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 2017-2018**

(राशि करोड़ में) / (Amount in crore)

क्र. सं. Sr. No.		वित्त वर्ष / FY 2017-18		वित्त वर्ष / FY 2016-17		चौथी तिमाही 4 / Q4 2017-18	
		सकल गैर भारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	सकल गैर भारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	सकल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
	उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति / High Quality Liquid Assets						
1	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति (एचक्यूएलए) / Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1201.88		869.95		1209.41
	नकदी का बाह्य प्रवाह / Cash Outflows						
2	फुटकर जमा और छोटे व्यापारी ग्राहकों द्वारा जमा जिसमें से / Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	3864.77	297.62	3357.44	255.04	4001.68	310.18
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	1777.23	88.86	1614.16	80.71	1799.82	89.99
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	2087.55	208.75	1743.27	174.33	2201.86	220.19
3	असुरक्षित थोक निधायन, जिसमें से / Unsecured wholesale funding, of which:	1952.83	974.40	633.10	170.29	2328.54	1115.97
(i)	परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षी) / Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर परिचालनगत जमा (समस्त प्रतिपक्षी) / Non-operational deposits (all counterparties)	1952.83	974.40	633.10	170.29	2328.54	1115.97
(iii)	असुरक्षित ऋण / Unsecured debt	-	-	-	-	-	-
4	सुरक्षित थोक निधायन / Secured wholesale funding	-	-	-	-	-	-
5	अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें से / Additional requirements, of which	680.98	43.39	611.96	38.98	723.83	47.60
(i)	गौण ऋण और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से सम्बन्धित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऋण उत्पादों पर वित्तीयन की हानि से सम्बन्धित बहिर्गमन / Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और तरलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	680.98	43.39	611.96	38.98	723.83	47.60
6	अन्य संविदागत वित्तीयन बाध्यता / Other contractual funding obligations	167.13	167.13	157.89	157.89	146.10	146.10
7	अन्य आकस्मिक वित्तीयन बाध्यता / Other contingent funding obligations	114.34	3.43	88.38	2.65	137.66	4.13
8	सकल नकद बहिर्गमन / Total Cash Outflows	6780.06	1485.97	4848.77	624.84	7337.82	1623.98
	नकदी आगमन / Cash Inflows						
9	सुरक्षित उधार (उदाहरण के लिए रिवर्स रिपो) / Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह निष्पादक ऋणों से आगमन / Inflows from fully performing exposures	1046.18	751.91	969.81	761.24	998.18	690.08
11	अन्य नकद आगमन / Other cash inflows	200.73	100.36	407.81	308.43	194.92	97.46
12	सकल नकद आगमन / Total Cash Inflows	1246.90	852.27	1377.61	1069.67	1193.11	787.54
13	उच्च गुणवत्ता की सकल आस्ति (एचक्यूएलए) / TOTAL HQLA		1201.88		869.95		1209.41
14	सकल शुद्ध नकद बहिर्गमन / Total Net Cash Outflows		633.70		156.21		836.44
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) / Liquidity Coverage Ratio (%)		189.66		556.91		144.59

गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति (बीसीबीएस) ने चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) इस उद्देश्य से प्रस्तावित की है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास पर्याप्त स्तर पर बिना भार ग्रस्त उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति है जिसे तरल निधि के पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट उल्लेखनीय रूप से तीव्र दबाव की स्थिति में अपनी तरलनिधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 30 दिनों की अवधि में नकदी में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा 1 जनवरी, 2015 से रखा जाने वाला न्यूनतम वांछित चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।

जनवरी 1 से प्रारम्भ	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एल सी आर) के दो घटक हैं:

- क) उच्च स्तर की चलनिधि आस्ति (एच क्यू एल ए) के स्टाक के मूल्य का दबाव की स्थिति में होना।
- ख) सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन: “सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन” शब्दांश को इस प्रकार परिभाषित किया गया है— विनिर्दिष्ट दबाव के परिदृश्य में बाद के 30 दिनों (दबाव की अवधि) के लिए “सकल अपेक्षित नकदी बहिर्गमन” से “सकल अपेक्षित नकदी आगमन” को घटाना।

तरलनिधि व्याप्ति अनुपात = उच्च स्तर की तरल आस्ति के स्टाक / आगामी 30 दिनों में सकल शुद्ध नकदी बहिर्गमन ≥ 100 प्रतिशत

उच्च स्तर की तरल आस्तियां

तरल आस्ति में उच्च स्तर की वह आस्ति समाविष्ट है जिसे दबाव के परिदृश्य की अवधि में सरलता से बेचा जा सकता है या निधि के प्राप्ति के लिए संपार्श्विक निधि के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। उसे भार रहित अर्थात् किसी भी प्रकार के विधिगत, नियामक या परिचालनगत व्यवधान से रहित होना चाहिए। आस्तियों को उस स्थिति में उच्च गुणवत्ता की तरल आस्ति समझा जाता है जब वह आसानी से या तुरन्त उसके मूल्य में बहुत कम या बिना नुकसान के नकदी में परिवर्तित हो जाये।

बैंक एचक्यूएलए की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो सीमागत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और एलसीआर (एफओएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा के तहत दी गई सीमा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष। स्तर 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए— और ऊपर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

बैंक के नकद बहिर्वाह मुख्य रूप से खुदरा जमा है, असुरक्षित थोक अनुदान, अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से अनुदान, अनाहरित प्रतिबद्ध क्रेडिट एंड चलनिधि सुविधाएं, क्रेडिट और व्यापार वित्त की गारंटी पत्र, और अन्य संविदात्मक प्रवाह के होते हैं।

कैश इन्फ्लो में मुख्य रूप से खुदरा और लघु व्यवसाय प्रतिपक्षों से प्राप्त की गई राशि, गैर-वित्तीय थोक प्रतिपक्षों से प्राप्त की जाने वाली राशि,

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

The LCR has two components:

- (a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.
- (b) Total net cash outflows: The term “Total net cash outflows” is defined as “Total expected cash outflows” minus “Total expected cash inflows” in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days $\geq 100\%$

High Quality Liquid Assets

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received

वित्तीय संस्थानों और आरबीआई से प्राप्त राशि और अन्य संविदात्मक नकदी शामिल हैं।

शुद्ध नकदी बहिर्वाह प्रवाह कि गणना रिजर्व बैंक के निर्धारित बहिर्वाह कारकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए तथा साथ ही अनाहरित प्रतिबद्धताएं और आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियां के नकदी प्रवाह से की जाती हैं।

2016-17 के दौरान औसत LCR 556.91 प्रतिशत था जो 2017-18 में 189.66 प्रतिशत पर है, जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक था। औसत HQLA 2016-2017 में 869.95 करोड़ रुपये थे, और 2017-18 में 1201.88 करोड़ रुपये है। 2016-17 में औसत नकदी प्रवाह 624.84 करोड़ रुपये थे और 2017-2018 में 1485.97 करोड़ रुपये है। इसी तरह, 2016-2017 के लिए औसत अंतर्वाह 1069.67 करोड़ रुपये और 2017-2018 में 852.27 करोड़ रुपये थे।

XI. भारतीय लेखामानक (Ind As) का कार्यान्वयन:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र No. DBR.BP.BCNo-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 से बैंको को 1 अप्रैल, 2018 के बाद से शुरू हो रहे वित्तीय वर्षों के लेखांकन के लिए भारतीय लेखामानक (Ind AS) के साथ लागू करना आवश्यक है। मार्च 31, 2018 से समाप्त हो रहे वर्ष के लिए तुलनीयता (comparatives) के साथ होना आवश्यक है। हालांकि, आरबीआई ने 5 अप्रैल, 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक वर्ष तक इंडए एस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।

बैंकों को आगे Ind As के कार्यान्वयन का उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पूंजी की पर्याप्तता तथा बेसल तृतीय पूंजी आवश्यकताओं सहित बोर्डों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बैंको को तैयारियों के रूप में perform Ind As वित्तीय विवरण छमाही सितंबर 30, 2016 के बाद से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने की जरूरत है।

ऊपर कहे परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है। 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले छमाही वर्ष का IND AS का वित्तीय प्रारूप, रिजर्व बैंक को 28.12.2016 को भेजा जा चुका है।

XII. वेतन संशोधन के लिए प्रावधान:

नवंबर, 2017 से प्रभावी उद्योग स्तर पर मजदूरी संशोधन के मद्देनजर, हमने नवंबर 2017 से मार्च 2018 तक, 5 महीने की अवधि के लिए 6307547.60/- (तिरसठ लाख सात हजार पांच सौ सैतालीस रुपए और साठ पैसा) का प्रावधान किया है।

XIII. बैंक का डिजिटलीकरण

31.03.2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटलीकरण के माध्यम से बैंक में परिवर्तन लाने के लिए 2.92 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The average LCR was at 556.91% for 2016-17 which stands as 189.66% for 2017-18 comfortably above RBI prescribed minimum requirement. The average HQLA were Rs.869.95 Crores in 2016-2017 & ₹ 1201.88 Crores in 2017-18. The average cash outflows were ₹ 624.84 Crores in 2016-17 & ₹ 1485.97 Crores in 2017-2018. Similarly, the average cash inflows for 2016-2017 were ₹ 1069.67 Crores & ₹ 852.27 Crores in 2017-2018.

XI. IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS) :

In terms of RBI circular No.DBR.BP.BC No.76/21.07.001/2015-16 dated February 11, 2016 banks were required to implement with the Indian Accounting Standard (Ind AS) for financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 or thereafter. RBI vide its press release dated April 5, 2018, deferred the implementation of IND AS by one year.

Banks were further instructed to assess the impact of the Ind AS implementation on their financial position including the adequacy of capital, taking into account the Basel III capital requirements and place quarterly progress reports to their Boards. Banks also need to be in preparedness to submit proforma Ind AS financial statements to the reserve bank from the half year ended September 30, 2016 onwards.

In compliance with the said circular, the bank has formed a Steering Committee headed by the General Manager and report to the Audit Committee of the bank. The Performa for IND AS statements for the half year ended 30th September, 2016 has been submitted with RBI on 28.12.2016.

XII. PROVISIONS TOWARDS WAGE REVISION:

In view of Wage revision at industry level w.e.f. November, 2017, we have made a provision of ₹ 6307547.60/- (Rupees Sixty Three Lakh Seven Thousand Five Hundred Forty Seven and Paise Sixty Only) for a period of 5 Months from November 2017 to March 2018.

XIII. DIGITIZATION OF THE BANK:

During the financial year ending 31.03.2018 an amount of ₹ 2.92 crore has been spent for the project for transformation of the bank through digitization.

XIV. 31.03.2018 को शीर्ष 20 उधार ग्राहकों के नाम XIV. TOP 20 BORROWAL CUSTOMERS AS ON 31.03.2018

(रुपये करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र.स. SI. NO	ग्राहक का नाम CUSTOMER NAME	ब्रांच Branch	वित्त पोषित एक्सपोजर FUNDED EXPOSURE	गैर वित्त पोषित एक्सपोजर NON FUNDED EXPOSURE	टीसीई / TCE
1	श्री जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट SHRI JAIPAL SINGH SHARMA TRUST	गाजियाबाद Ghaziabad	101.60	9.50	111.10
2	ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी GRAPHIC ERA EDUCATIONAL SOCIETY	रायपुर/हरिद्वार रोड, देहरादून Rajpur/Hardwar Rd Dehradun	82.60	5.00	87.60
3	श्यामा पॉवर इंडिया लिमिटेड SHYAMA POWER INDIA LTD	गुडगाँव Gurgaon	30.25	45.00	75.25
4	आई एल एंड एफ़ एस ट्रांसपोर्टेशन नेट. लिमिटेड IL & FS TRANSPORTATION NET Ltd	पटपड़गंज, दिल्ली Patparganj, Dehi	68.12	0.00	68.12
5	रुद्रा ऑटो टेक इंजिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड RUDRA AUTO TECH ENGG. PVT. LTD.	रूड़की Roorkee	62.19	5.00	67.19
6	एकेएस मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लि. AKS MEDICAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD	नोएडा-18 NOIDA-18	50.30	0.00	50.30
7	आरबीएनएस सुगर मिल्स लि. RBNS SUGAR MILLS LIMITED	रूड़की Roorkee	50.00	0.00	50.00
8	श्री बालाजी फार्म एंड राइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड SHRI BALAJI FARMS AND RICE PROCESSING PRIVATE LIMITED	सिविल लाइन्स, बरेली Civil lines, Bareilly	47.90	0.00	47.90
9	बेनलोन इंडिया लिमिटेड BENLON INDIA LIMITED	शालीमार बाग, दिल्ली Shalimarbagh, Delhi	30.30	8.00	38.30
10	वी आर वाई इंडस्ट्रियल पार्क VRY INDUSTRIAL PARK	पप्पनकला, दिल्ली Pappankalan	37.93	0.00	37.93
11	राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड RAJASTHAN FLEXIBLE PACKAGING LTD	पीतमपुरा, दिल्ली Pitampura, Delhi	34.17	0.00	34.17
12	जिंदल रिफायनरीज लिमिटेड JINDAL REFINERIES LTD	काशीपुर Kashipur	26.90	0.00	26.90
13	नैनी ऑटो टेक NAINI AUTO TECH	रूद्रपुर Rudrapur	21.33	5.00	26.33
14	आईबीपीसी एचडीएफसी ऐकॉउन्ट वन्डर सिमेंट लि. IBPC HDFC A/c- WONDER CEMENT LTD	एचओ HO	26.00	0.00	26.00
15	के एम पेपर्स K M PAPERS	रूद्रपुर Rudrapur	23.84	0.00	23.84
16	एडवांस मेडिकल साइंस एंड एजुकेशनल सोसाइटी ADVANCE MEDICAL SCIENCE & EDUCATIONAL SOCIETY	शालीमार बाग, दिल्ली Shalimarbagh, Delhi	23.19	0.00	23.19
17	सूद सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SOOD SEEDS COMPANY PVT LTD	बाजपुर Bazpur	20.00	0.00	20.00
18	साटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड SATIN CREDITCARE NETWORK Ltd	पीतमपुरा, दिल्ली Pitampura, Delhi	19.91	0.00	19.91
19	कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड KURUKSHETRA EXPRESSWAY PVT LTD	फरीदाबाद Faridabad	17.07	0.00	17.07
20	श्री सूद सीड्स SRI SOOD SEEDS	बाजपुर Bazpur	15.54	0.00	15.54
	योग TOTAL		789.14	77.50	866.64

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
क)/ A.	परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from operating activities :		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ / Net profit before taxes.	764879	754709
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustments for :		
	स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on fixed Assets	40795	37731
	प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on investment Written back	0	0
	निवेशों के लिए किया गया प्रावधान / Provision made on Investment	2221	51487
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision in respect of NPA.	173043	295171
	पुर्नगठित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restr	40235	-7758
	अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items.	0	291
	स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ / ((हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets.	46	286
	चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	-3607	3886
	अतिरिक्त प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back	0	0
		1017612	1135803
	निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in investments	3995010	-7282245
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in advances	-1557290	-5221198
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in other assets	702373	-81707
	उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	28	-1153
	जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in deposits	4790877	15421984
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in other liabilities and provisions	-1136143	-338700
	भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid.	-276000	-270100
	परिचालनगत कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क) Net Cash from operating Activities (A)	7536466	3362684
ख)/ B.	निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from investing activities :		
	स्थाई आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in fixed Assets	-51719	-66266
	व्यापार से सम्बन्धित निवेशों में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	0.00	0.00
	समनुषंगी / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00
	निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख) Net Cash from investing activities (B)	-51719	-66266
ग)/ C.	वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing Activities		
	शेयर पूंजी / Share Capital	0	100000
	शेयर पर वर्धित मूल्य (प्रीमियम) / Share Premium	0	140000
	अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड / Unsecured Redeemable Bonds	0.00	0.00
	लाभांश / Dividend	-203268	-64797
	अप्रतिभूत मोचनीय बॉण्डों पर दिया गया / देय ब्याज Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	0.00	0.00
	वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ग) Net Cash from financing Activities (c)	-203268	175203
	नकदी और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क) + (ख) + (ग) Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	7281479	3471621
	वर्ष के आरम्भ पर नकदी व समतुल्य / Opening Cash & cash equivalents	21475914	18004293
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी व समतुल्य / Closing Cash & cash equivalents	28757393	21475914

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के
अंशधारकों के प्रति

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसके बाद जिसे "बैंक" लिखा गया है) की, संलग्न एकल विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता विवरण और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं, लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 5 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 132 शाखाओं का जोकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश स्थित शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित शाखाएं हमारे द्वारा एवं अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित की गईं।

एकल वित्तीय विवरणियों के लिये प्रबन्धन का दायित्व

बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मसलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियों जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यकलापों और बैंक के वित्तीय प्रवाह की उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ तथा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों व परिपत्रों के अनुसार पढ़ा जाये, का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख-रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने लेखा रिकार्ड को पूरा करने और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम स्वयं द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय प्रकट करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखा परीक्षा के मानकों और उन मसलों को जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करना अपेक्षित है को सज्जान में लिया है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
The Nainital Bank Limited

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2018, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these Standalone Financial Statements are the returns of 5 branches audited by us and 132 branches audited by Statutory Branch Auditors of bank branches at Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

हमने बैंक का इसकी शाखाओं सहित अधिनियम के खण्ड 143 (10) के अन्तर्गत जारी मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा का कार्य किया। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना एवं क्रियान्वयन इस प्रकार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां किसी भी त्रुटिपूर्ण कथन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा के कार्य में वित्तीय विवरणियों में दिए गए आकड़ों और प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्य निष्पादन की प्रक्रिया की जाती है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणियों में त्रुटिपूर्ण कथन चाहे वो धोखे से हो या गलती से, के जोखिम का आकलन भी सम्मिलित है। उन जोखिमों का आकलन करते समय लेखा परीक्षक बैंक द्वारा सही एवं निष्पक्ष वित्तीय विवरणियों की तैयारी के सम्बन्ध में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि वह लेखा परीक्षा की रूपरेखा जो उस स्थिति में उचित हो तैयार कर सके। लेखा परीक्षा में बैंक के निदेशकों द्वारा अपनायी गई लेखा नीतियों की समुचितता, लेखानुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रकटीकरण का आकलन भी सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित राय देने के लिये पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर उपरोक्त एकल विवरणियां और उक्त खाते और उन पर दी गई टिप्पणियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से देती हैं तथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के काम-काज और उसी दिन समाप्त वर्ष को इसके लाभ और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति बैंकों के कामकाज के सम्बन्ध में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार दर्शाती हैं।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 तथा कंपनियां (लेखा मानक) संशोधन, 2016 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के खण्ड 30 के उपखण्ड(3) के अनुसार अपेक्षित है हम सूचित करते हैं कि:

क) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।

We conducted our audit of the Bank including its branches in accordance with Standards on Auditing ('the Standards') specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Standalone Financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the Standalone Financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Standalone Financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2018, and its profit and its cash flows for the year then ended.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Companies (Accounting Standard) Amendment, 2016.

As required by sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

ख) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त पायी गयीं।

पुनः जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (3) के अनुसार अपेक्षित है हम पुनः सूचित करते हैं कि:-

i) वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमने मांगे तथा यह हमें मिल गए हैं

ii) हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं और उन शाखाओं जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, से उचित विवरणियां जो हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त है, प्राप्त कर ली गई हैं।

iii) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के खण्ड 143 (8) के अन्तर्गत लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट भी हमें भेजी गई है और इन्हें इस रिपोर्ट में लिया गया है।

iv) तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी जिनसे यह रिपोर्ट सम्बन्धित है लेखा बहियों और उन शाखाओं से, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है, प्राप्त विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।

v) हमारी राय में उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम के खण्ड 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार हैं और वे आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के प्रतिकूल नहीं हैं।

vi) 31 मार्च, 2018 को प्राप्त निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है, के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2018 को अधिनियम के खण्ड 164 (2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद के लिए अपात्र नहीं है।

vii) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के सन्दर्भ में एवं ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनात्मक प्रभाव के लिये हमारी प्रथक रिपोर्ट अनुलग्नक (क) का संदर्भ लें।

viii) हमारी राय में एवं समुचित सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधीन अन्य मामलों में, जिन्हें कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है:-

क) बैंक ने अपनी वित्तीय विवरणियों में विचाराधीन मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को उजागर किया है- देखें वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 12, अनुसूची 18-नोट 7.8।

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c) The returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

Further, as required by section 143(3) of the Act, we further report that:

i) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us..

iii) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 143(8) of the Companies Act 2013 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

iv) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

v) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

vi) on the basis of written representations received from the directors as on 31 March 2018 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act : and

vii) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

viii) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(a) the Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Schedule 12 & Schedule 18 - Note 7.8 to the Standalone financial statements;



- ख) बैंक ने दीर्घ अवधि की ऐसी कोई संविदा जिसमें अनुमानित संविदाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें कोई पूर्वानुमानित नुकसान हो, नहीं की है।
- ग) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण योग्य वांछित धनराशि के अन्तरण में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

- (b) The Bank did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses and
- (c) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 008567सी

For PSMG and Associates
Chartered Accountants
FRN: 008567C

स्थान: नोएडा
दिनांक: 28.05.2018

ह. / -
(सीए स्वाति सिंह)
स.सं. 404531

Sd/-
Place of Signature: Noida
Date of Report: 28/05/2018

(CA SWATI SINGH)
M. NO. 404531

नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट का संलग्नक (क)

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 को बैंक की समान तिथि को समाप्त वर्ष की एकल वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण के संयोजन में नैनीताल बैंक लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त परिपत्रों एवं निर्देशों के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को नियत करने एवं बनाए रखने के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का रुपांकन लागू करना व बनाए रखना शामिल है जो कि अपने व्यवसाय के कुशल एवं नियमबद्ध संचालन जिसमें बैंक की नीतियों पर कायम रहना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व गलतियों को रोकना एवं पता लगाना लेखा रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन वांछित है, को सुनिश्चित करते हुए प्रभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं।

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone* Financial Statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank'),

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Nainital Bank Limited ('the Bank'), as at 31 March 2018 in conjunction with our audit of the Standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls over financial reporting criteria established by the Bank based on the circulars and instructions received from RBI and the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के अनुभाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर गार्डेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गार्डेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से सभी तात्त्विक संदर्भों में संचालित हो रहे हैं।

हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने की तात्त्विक कमजोरी मौजूद है। आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण में तात्त्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधारप्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणका अर्थ

बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतु तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव से सम्बन्ध रखती है जो सही, स्पष्टरूप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन-देन एवं निपटारे को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन-देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्त्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), as specified under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the branch; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Branch are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the branches's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहितसीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धनका अत्यधिक दबाव तात्त्विक मिथ्या कथन जोकि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य केसम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलनका कोई अनुमान यह जोखिम रखता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन की स्तर घटसकती है।

राय

हमारी राय में, बैंक ने सभी भौतिक सम्मानों में, मार्च 31, 2018 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, आन्तरिक द्वारा आवश्यक वित्तीय घटकों पर विचार करके बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया नियंत्रण और डीसी/डीआर साइटों के सत्यापन/लेखा परीक्षा की प्रणाली पर सामग्री कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर बैंक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च 31, 2018 के अनुसार प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

हमने 31 मार्च, 2018 के हमारे लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में उपरोक्त चिन्हित तथ्यपरककमियों पर विचार किया है और बैंक की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, और इन तथ्यपरक कमियों से बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है।

अन्य मामले

बैंक शाखाओं से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों की तदनुसूचीरिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय के संबंध में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है।

कृते पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. 008567सी

स्थान: नोएडा
दिनांक: 28.05.2018

ह./—
(सीए स्वाति सिंह)
स.सं. 404531

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank has, in all material aspects, maintained an adequate internal financial controls system over financial reporting as of March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India and except for the possible effects of the material weaknesses on the system of verification/audit of the DC/DR sites been framed by the bank on the achievement of the objectives of the control criteria, the banks' internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2018.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31st, 2018 Standalone financial statements of the bank, and these material weaknesses does not affect our opinion on the Standalone financial statements of the Bank.

Other Matters

Our Aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy of internal financial controls over Financial reporting in so far as it relates to Bank branches, is based on the corresponding reports of the branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For PSMG and Associates
Chartered Accountants
FRN: 008567C

Place of Signature: Noida
Date of Report: 28/05/2018

Sd/-
(CA SWATI SINGH)
M. NO. 407620



Ambulance provided by bank on 96th Foundation Day Under CSR Scheme To Ramsay Hospital



Blazer Distribution At Nagar Palika Parishad Nursery School On 17.11.2017 Under CSR Activity

दिल्ली / DELHI (16) 1. पंचकुंडिया रोड / Panchkuian Road (M) 2. लाजपत नगर / Lajpat Nagar (M) 3. शालीमार बाग / Shalimar Bagh (M) 4. तिलक नगर / Tilak Nagar (M) 5. पटपड़गंज / Patparganj (M) 6. पीतमपुरा / Pitampura (M) 7. आई.पी. एक्सटेंशन / I.P.Extension (M)	8. पप्पनकला / Pappankala (M) 9. विकास मार्ग / Vikas Marg (M) 10. न्यू कोंडली / New Kondli (M) 11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 (M) 12. रोहतक रोड / Rohtak Road (M) 13. सर्विस ब्रान्च, पंचकुंडिया रोड / Serv. Br. Panchkuian Road (M) 14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh) (R) 15. द्वारका / Dwarka (M) 16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden (M)
उत्तराखंड / Uttarakhand (75) जिला - अल्मोड़ा / DISTT.-ALMORA (4) 17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main) (SU) 18. रानीखेत / Ranikhet (SU) 19. लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora (SU) 20. द्वाराहाट / Dwarahat (R) जिला - बागेश्वर / DISTT.-BAGESHWAR (3) 21. बागेश्वर / Bageshwar (R) 22. बनलेख / Banlekh (R) 23. कपकोट / Kapkot (R) जिला - चम्पावत / DISTT. - CHAMPAWAT (7) 24. लोहाघाट / Lohaghat (R) 25. चम्पावत / Champawat (R) 26. देवीधुरा / Devidhura (R) 27. चौमेल / Chaumel (R) 28. भिंगराड़ा / Bhingrara (R) 29. टनकपुर / Tanakpur (SU) 30. बनबसा-चम्पावत / Banbasa-Champawat (R) जिला - नैनीताल / DISTT.-NAINITAL (19) 31. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main) (SU) 32. रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani (U) 33. रामनगर / Ramnagar (SU) 34. भीमताल / Bhimtal (R) 35. रामगढ़ / Ramgarh (R) 36. लाल कुआ / Lalkuan (R) 37. बैल पड़ाव / Bailparao (R) 38. पहाड़पानी / Paharpani (R) 39. रानीबाग / Ranibagh (R) 40. तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital (SU) 41. कालादुंगी रोड, हल्द्वानी / Kaladhungi Road, Haldwani (U) 42. एमबीपीजी कालेज, हल्द्वानी / MBGPG College, Haldwani (U) 43. रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani (U) 44. भवाली / Bhowali (R) 45. अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी (R) Arjunpur (Goraparao), Haldwani 46. लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी (R) Lohariasal Malla (Kathgharia), Haldwani 47. कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani (R) 48. जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar) (R) 49. दमुवा दूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti) (R) जिला - पिथौरागढ़ / DISTT.-PITHORAGARH (2) 50. पिथौरागढ़ / Pithoragarh (SU) 51. धारचूला / Dharchula (R)	जिला - ऊधम सिंह नगर / DISTT.- U.S. NAGAR (19) 52. काशीपुर / Kashipur (U) 53. किच्छा / Kichha (SU) 54. बाजपुर / Bazpur (SU) 55. किलाखेड़ा / Kilakhera (SU) 56. नगला / Nagla (SU) 57. बरा / Bara (R) 58. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa (R) 59. रुद्रपुर / Rudrapur (U) 60. जसपुर / Jaspur (SU) 61. गदरपुर / Gadarpur (R) 62. भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) (SU) 63. सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar (U) 64. सितारगंज / Sitargang (SU) 65. महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur (R) 66. बरहैनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur (R) 67. मुरादाबाद रोड, काशीपुर / Moradabad Road, Kashipur (U) 68. भूरारानी, रुद्रपुर / Bhurarani, Rudrapur (R) 69. विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur (R) 70. शिमलापिस्तौर, रुद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur (R) जिला - चमोली / Distt. - Chamoli (2) 71. जोशीमठ / Joshimath (SU) 72. कर्णप्रयाग / Karn Prayag (R) जिला - देहरादून / DISTT. - DEHRADUN (9) 73. देहरादून / Dehradun (U) 74. विकास नगर / Vikas Nagar (SU) 75. डोईवाला / Doiwala (R) 76. ऋषिकेश / Rishikesh (SU) 77. हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun (U) 78. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun (U) 79. मंसूरी / Mussoorie (SU) 80. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun (U) 81. चक्राता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun (U) जिला - हरिद्वार / DISTT. - HARIDWAR (3) 82. हरिद्वार / Haridwar (U) 83. रूड़की / Roorkee (U) 84. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar (U) जिला - पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT.- PAURI (GARHWAL) (3) 85. कोटद्वार / Kotdwar (SU) 86. श्रीनगर / Srinagar (SU) 87. पौड़ी / Pauri (SU) जिला - रुद्रप्रयाग / DISTT. - RUDRAPRAYAG (1) 88. रुद्रप्रयाग / Rudra Prayag (R) जिला - टेहरी / DISTT. - TEHARI (2) 89. नई टेहरी / New Tehari (SU) 90. तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh (R) जिला - उत्तरकाशी / DISTT. - UTTARKASHI (1) 91. पुरोला, उत्तरकाशी / Purola, Uttarkashi (R)

उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh (36)	जिला – लखनऊ / DISTT.- LUCKNOW (6)
जिला आगरा / DISTT. AGRA (1)	110. टी.एन. रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow (M)
92. आगरा / Agra (M)	111. महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow (M)
जिला – बरेली / DISTT.-BAREILLY (4)	112. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow (M)
93. बहेड़ी / Baheri (SU)	113. नादान महल मार्ग, लखनऊ (M)
94. सिविल लाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly (U)	Nadan Mahal Road, Lucknow
95. प्रभात नगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly (U)	114. गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow (M)
96. फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly (SU)	115. आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow (M)
जिला – बिजनौर / DISTT.- BIJNOR (4)	जिला – मेरठ / DISTT.- MEERUT (2)
97. नजीबाबाद / Najibabad (SU)	116. मेरठ / Meerut (M)
98. बिजनौर / Bijnor (SU)	117. कंकर खेड़ा-मेरठ / Kankar-Khera-Meerut (M)
99. धामपुर / Dhampur (SU)	जिला – मुरादाबाद / DISTT.- MORADABAD (2)
100. नगीना / Nagina (SU)	118. मुरादाबाद / Moradabad (U)
जिला – बुलन्दशहर / DISTT.-BULANDSHAHR (1)	119. कांठ रोड-मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad (U)
101. बुलन्दशहर / Bulandshahr (U)	जिला – मुजफ्फरनगर / DISTT.- MUZAFFARNAGAR (1)
जिला-गाज़ियाबाद / DISTT.- GHAZIABAD (3)	120. मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar (U)
102. गाज़ियाबाद / Ghaziabad (M)	जिला – पीलीभीत / DISTT.- PILIBHIT (1)
103. वैशाली, गाज़ियाबाद / Vaishali, Ghaziabad (M)	121. पीलीभीत / Pilibhit (U)
104. संजयनगर, गाज़ियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad (M)	जिला – रामपुर / DISTT.- RAMPUR (2)
जिला गौ. बु. नगर / DISTT.-G.B. NAGAR (3)	122. रामपुर / Rampur (U)
105. नोएडा सैक्टर – 50 / NOIDA Sect. - 50 (U)	123. बिलासपुर / Bilaspur (SU)
106. नोएडा सैक्टर – 18 / NOIDA Sect. -18 (U)	जिला- सहारनपुर / DISTT.- SAHARANPUR (1)
107. ग्रेटर नोएडा / Greater NOIDA (U)	124. सहारनपुर / Saharanpur (U)
जिला – कानपुर / DISTT. – KANPUR (2)	जिला- शाहजहाँपुर / DISTT.- SHAHJAHANPUR (2)
108. कानपुर / Kanpur (M)	125. शाहजहाँपुर / Shahjahanpur (U)
109. बर्रा-कानपुर / Barra-Kanpur (M)	126. सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur(R)
	जिला – सीतापुर / DISTT.- SITAPUR (1)
	127. सीतापुर / Sitapur (U)

हरियाणा / Haryana (7)	जिला-करनाल / DISTT.-KARNAL (1)
जिला-अम्बाला / DISTT.-AMBALA (1)	133. करनाल / Karnal (U)
128. अम्बाला / Ambala (U)	जिला-पानीपत / DISTT.-PANIPAT (1)
जिला-फरीदाबाद / DISTT.-FARIDABAD (2)	134. पानीपत / Panipat (U)
129. फरीदाबाद / Faridabad (M)	राजस्थान / Rajasthan (3)
130. बल्लभगढ़-फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad (M)	जिला-जयपुर / DISTT.-JAIPUR (3)
जिला-गुरुग्राम / DISTT.-GURUGRAM (2)	135. जयपुर / Jaipur (M)
131. गुरुग्राम / Gurugram (U)	136. कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur (SU)
132. सोहना रोड-गुरुग्राम / Sohna Road-Gurugram (U)	137. राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur (M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :

1. महानगरीय / Metro 33	2. शहरी / Urban 35	3. अर्द्धशहरी / Semi Urban 31	4. ग्रामीण / Rural 38
---------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices

1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun
-------------------	-------------------------	------------------------

विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट

1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun	4. लखनऊ / Lucknow	5. रुद्रपुर / Rudrapur
-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------------------

STATUTORY AUDITORS : M/s P.S.M.G. and Associates, Chartered Accountants

COMPANY SECRETARY : Mr. Vivek Sah

In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final.

95th Annual General Meeting



Awarded Best Pvt Sector Bank in MSME Category by ASSOCHAM on 14/12/2017





THE NAINITAL BANK LTD

Regd Off. G. B. Pant Road, Nainital – 263001 (Uttarakhand)

H.O. : Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital, Nainital – 263001 (Uttarakhand)

Phone: 05942 – 236138 / 236195 / 239280

Email : accounts@nainitalbank.co.in

Website : www.nainitalbank.co.in

CIN NO.: U65923UR 1922 PLC 000234